


भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

आर्थिक क्षेत्र
(सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए

हिमाचल प्रदेश सरकार
वर्ष 2012 का प्रतिवेदन संख्या 4



विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	परिच्छेद	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना		v
अध्याय-1: परिचय		
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों बारे में	1.1-1.3	1
लेखापरीक्षा अधिदेश	1.4-1.6	2
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में निवेश	1.7-1.9	2-3
बजटीय निकास, अनुदान/उपदान, गारंटियां एवं ऋण	1.10-1.12	4-5
वित्त लेखों के साथ मिलान	1.13-1.14	5
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन	1.15-1.21	5-8
लेखों को अंतिम रूप देने सम्बन्धी बकाया	1.22-1.26	8-10
अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का परिसमापन	1.27-1.29	10
लेखा टिप्पणियां तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा	1.30-1.35	10-13
लेखापरीक्षा के आग्रह पर वसूलियां	1.36	14
पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण की स्थिति	1.37	14
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण तथा पुनर्संरचना	1.38	14
अध्याय-2: निष्पादन लेखापरीक्षा		
विद्युत संचारण प्रयोज्यताएं		
कार्यकारी सारांश		15-17
परिचय	2.1-2.2	17-19
लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं पद्धति	2.3	19
लेखापरीक्षा उद्देश्य	2.4	19-20
लेखापरीक्षा मानदण्ड	2.5	20
लेखापरीक्षा पद्धति	2.6	21
संचारण प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण	2.7	21-22
लेखापरीक्षा परिणाम	2.8-2.18	22-46
योजना एवं विकास	2.9	22-23
संचारण नेटवर्क तथा इसकी वृद्धि	2.10-2.10.1	24-26
संचारण प्रणाली का परियोजना प्रबन्धन	2.11-2.11.6	26-28

संचारण प्रणाली का निष्पादन	2.12-2.12.6	29-31
अनुरक्षण	2.13-2.13.2	32-33
ग्रिड प्रबन्धन	2.14-2.14.6	33-37
ऊर्जा लेखांकन एवं लेखापरीक्षा	2.15	37
वित्तीय प्रबन्धन	2.16-2.16.12	38-45
सामग्री प्रबन्धन	2.17-2.17.2	45-46
अनुश्रवण एवं नियंत्रण	2.18-2.18.1	46
निष्कर्ष		47
सिफारिशें		47
अध्याय-3: विषयक लेखापरीक्षा		
राज्य सरकार की कम्पनियों में निगमित शासन		
कार्यकारी सारांश		49
परिचय	3.1	49
निगमित शासन विधान	3.2-3.2.2	49-50
लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र	3.3	50
सूचीबद्ध कम्पनी	3.4-3.4.6	50-52
गैर-सूचीबद्ध कम्पनियां	3.5-3.5.5	52-55
आंतरिक लेखापरीक्षा	3.6	55
निष्कर्ष		56
अध्याय-4: लेन-देनों की लेखापरीक्षा		
सरकारी कम्पनियां		
हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित		
मूल्य वर्धित कर के कम दावे के कारण अल्प वसूली	4.1	57-58
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित		
उपभोक्ता को अनुचित लाभ पहुंचाना	4.2	58-59
अवसंरचना लागत की अल्प वसूली	4.3	60-61
सांविधिक प्रावधानों की गैर-अनुपालना के कारण हानि	4.4	61-62
आंशिक रूप से पूर्ण संचारण लाईन पर निधियों का अवरोधन	4.5	62-63

हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित		
निजी दलों को अनुचित लाभ पहुंचाना	4.6	63-64
हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित		
कार्य प्रभारित स्टाफ व्यय की अवसूली के कारण हानि	4.7	65-66
हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित		
केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में ठेकेदार को अनुचित लाभ	4.8	66-67
हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित		
मोटर वाहन कर की अवसूली के कारण परिहार्य हानि	4.9	67-68
बैंक प्रभारों की अवसूली के कारण परिहार्य हानि	4.10	68-69
सांविधिक निगम		
हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम		
सरकारी धन का अपवर्तन	4.11	69-70
सामान्य		
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	4.12	70-73

परिशिष्ट

परिशिष्ट संख्या	विवरण	संदर्भ	
		परिच्छेद	पृष्ठ संख्या
1.1	सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के नवीनतम वर्ष से सम्बन्धित सारांशित वित्तीय परिणाम जिसके लिए लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया	1.1, 1.15 तथा 1.35	75-79
1.2	सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के सम्बन्ध में 31 मार्च 2012 तक अद्यतन प्रदत्त पूंजी, बकाया ऋण तथा जनशक्ति के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	1.7	80-83
1.3	वर्ष के दौरान प्राप्त/प्राप्य अनुदान एवं उपदान, प्राप्त गारंटियां, देयताओं का अधित्याग, बट्टे खाते में डाले गए ऋणों तथा इक्विटी में परिवर्तित ऋणों तथा मार्च 2012 के अंत में गारंटी वचनबद्धता को दर्शाने वाली विवरणी	1.10	84-86
1.4	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, जिनके लेखे बकाया हैं, में राज्य सरकार द्वारा किये गये निवेश को दर्शाने वाली विवरणी	1.25	87
1.5	सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाली विवरणी	1.15	88-89
1.6	सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणामों को दर्शाने वाली विवरणी	1.15	90-91
2.1	2011-12 तक पांच वर्षों के दौरान वोल्टेजवार क्षमता वृद्धि योजना, वास्तविक वृद्धि एवं कमी को दर्शाने वाली विवरणी	2.10.1	92
2.2	2007-08 से 2011-12 के दौरान विभिन्न अतिरिक्त उच्च वोल्टेज लाईनों तथा उप-स्टेशनों पर बढ़ी लागत तथा बढ़े समय को दर्शाने वाली विवरणी	2.11.3	93-95
2.3	उपभोक्ताओं से लागतांश की अवसूली का ब्यौरा दर्शाने वाली विवरणी	2.16.1	96
4.1	विभागवार शेष निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा परिच्छेदों को दर्शाने वाली विवरणी	4.12.3	97
4.2	विभागवार प्रारूप परिच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जिनके उत्तर प्रतीक्षित थे, को दर्शाने वाली विवरणी	4.12.3	98

प्रस्तावना

1. यह प्रतिवेदन समय-समय पर यथासंशोधित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां व सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 क के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।
2. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जिन सरकारी वाणिज्यिक व्यवसायों के लेखे लेखापरीक्षित किए जाते हैं वे तीन श्रेणियों में आते हैं अर्थात् सरकारी कम्पनियां, सांविधिक निगम तथा विभागीय रूप से प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रम। यह प्रतिवेदन सामाजिक, सामान्य, राजस्व तथा आर्थिक क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले सरकारी कम्पनियों व सांविधिक निगमों के लेखापरीक्षा से सम्बन्धित है। विभागीय रूप से प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रमों से सम्बन्धित लेखापरीक्षा परिणामों को पृथक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
3. प्रतिवेदन में चार अध्याय हैं। अध्याय-I में परिचय; अध्याय-II में विद्युत संचारण प्रयोज्यताओं के निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम; अध्याय-III में सरकार की कम्पनियों में निगमित शासन की विषयक लेखापरीक्षा तथा अध्याय-IV में सरकारी उद्यमों एवं निगमों के लेन-देन की लेखापरीक्षा सम्मिलित है।
4. सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के उपबन्धों के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है।
5. हिमाचल पथ परिवहन निगम, जो एक सांविधिक निगम है, के संदर्भ में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक है। उसे हिमाचल प्रदेश वित्त निगम के संदर्भ में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सहमति से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकारों द्वारा की गई लेखापरीक्षा के अतिरिक्त लेखों की लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के संदर्भ में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक है। इन सभी निगमों के वार्षिक लेखाओं के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य सरकार को पृथक रूप से अग्रेषित किए जाते हैं।
6. इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले उनमें से हैं जो 2011-12 के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए तथा वे मामले भी हैं जो विगत वर्षों में ध्यान में आए थे, किन्तु पिछले प्रतिवेदनों में स्थान नहीं पा सके; आवश्यकतानुसार 2011-12 से उत्तरवर्ती अवधि से सम्बन्धित मामलों को भी सम्मिलित किया गया है।
7. लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

अध्याय -I

परिचय

अध्याय -I परिचय

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में

1.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अंतर्गत राज्य की सरकारी कम्पनियाँ तथा सांविधिक निगम सम्मिलित होते हैं। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना लोगों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक प्रकृति के कार्य करने हेतु की जाती है। हिमाचल प्रदेश में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने 30 सितम्बर 2012 तक अपने अंतिम रूप दिए गए अद्यतन वार्षिक लेखों के अनुसार वर्ष 2011-12 में (परिशिष्ट 1.1) ₹ 4,990.22 करोड़ की कुल बिक्री की। यह आय 2011-12 में ₹ 63,084 करोड़ के राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 7.91 प्रतिशत के बराबर थी। हिमाचल प्रदेश राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की मुख्य गतिविधियाँ ऊर्जा क्षेत्र में केन्द्रित हैं। क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने 30 सितम्बर 2012 को अंतिम रूप दिए गए अपने अद्यतन लेखों के अनुसार वर्ष 2011-12 के दौरान कुल ₹ 223.05 करोड़ (परिशिष्ट 1.1) की हानि उठाई। राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने 31 मार्च 2012 तक 37,032 कर्मचारियों को नियुक्त किया था।

1.2 31 मार्च 2012 को नीचे तालिका 1.1 में दिए गए ब्योरा के अनुसार 21 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अस्तित्व में थे:

तालिका-1.1

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की श्रेणी	क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ¹	योग
सरकारी कम्पनियाँ ²	17	2 ³	19
सांविधिक निगम	2 ⁴	-	2
योग	19	2	21

एक कंपनी अर्थात् हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित शेयर बाजार में सूचीबद्ध थी।

1.3 वर्ष 2011-12 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम अर्थात् नाहन फाउण्डरी लिमिटेड का हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित के साथ विलय कर दिया गया था।

¹ अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम वे हैं जिन्होंने अपनी गतिविधियों का परिचालन बंद कर रखा है।
² दो 619-बी कम्पनियाँ (ब्यास घाटी ऊर्जा निगम सीमित तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित) सम्मिलित हैं।
³ एग्रो इंडस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया सीमित तथा हिमाचल वर्सटिड मिल्स लिमिटेड।
⁴ हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम तथा हिमाचल पथ परिवहन निगम।

लेखापरीक्षा अधिदेश

1.4 सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग 619 के अंतर्गत की जाती है। भाग 617 के अनुसार एक सरकारी कम्पनी उसे कहते हैं जिसमें सरकार (सरकारों) की प्रदत्त पूंजी 51 प्रतिशत से कम नहीं होती। एक सरकारी कम्पनी में एक सहायक सरकारी कम्पनी सम्मिलित होती है। इसके अतिरिक्त एक कम्पनी जिसमें प्रदत्त पूंजी का 51 प्रतिशत सरकार (सरकारों), सरकारी कम्पनियों तथा सरकार/सरकारों द्वारा नियंत्रित निगमों द्वारा किसी भी संयोजन में लगा होता है, उसे कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग 619-बी के अनुसार एक सरकारी कम्पनी (सरकारी कम्पनी के तुल्य) ही समझा जाता था।

1.5 राज्य सरकार की कम्पनियों के लेखों (जैसाकि कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग 617 में परिभाषित है) की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है, जिनकी नियुक्ति कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग 619 (2)के प्रावधानों के अनुसार नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। ये लेखे कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग 619 के प्रावधानों के अनुसार नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाने वाली अनुपूरक लेखापरीक्षा हेतु भी बाध्य होते हैं।

1.6 सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा संबंधित विधानों के अंतर्गत की जाती है। उनके दो सांविधिक निगमों में से हिमाचल पथ परिवहन निगम का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक है। हिमाचल प्रदेश वित्त निगम से संबंधित लेखापरीक्षा सनदी लेखापालों द्वारा तथा अनुपूरक लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

1.7 31 मार्च 2012 को 21 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (619-बी कम्पनियों सहित)में निम्न तालिका 1.2 में दिए गए विवरण के अनुसार ₹ 6,527.75 करोड़ का निवेश (पूंजीगत तथा दीर्घावधि ऋण) था:


तालिका-1.2

(राशि: ₹ करोड़)


सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की श्रेणी	सरकारी कम्पनियां			सांविधिक निगम			सकल जोड़
	पूंजीगत	दीर्घावधि ऋण	योग	पूंजीगत	दीर्घावधि ऋण	योग	
क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	2,372.75	3,330.78	5,703.53	538.57	209.94	748.51	6,452.04
अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	18.64	57.07	75.71	-	-	-	75.71
योग	2,391.39	3,387.85	5,779.24	538.57	209.94	748.51	6,527.75

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी निवेश की एक सारांशित स्थिति परिशिष्ट 1.2 में वर्णित है।

1.8 31 मार्च 2012 तक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश का 98.84 प्रतिशत क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में तथा शेष 1.16 प्रतिशत अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में था। कुल निवेश का 44.88 प्रतिशत पूंजी तथा 55.12 प्रतिशत दीर्घावधि ऋणों के रूप में था। निवेश 2006-07 में ₹ 3,958.10 करोड़ से 64.92 प्रतिशत बढ़कर 2011-12 में ₹ 6,527.75 करोड़ हो गया जैसाकि निम्नवत् ग्राफ में दर्शाया गया है:



1.9 31 मार्च 2007 तथा 31 मार्च 2012 के अंत में विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों निरपेक्ष एवं सापेक्ष दोनों में निवेश नीचे बार चार्ट में इंगित है। वर्ष 2006-12 के दौरान मुख्य निवेश ऊर्जा क्षेत्र में था। नई कम्पनियों के निगमन के कारण ऊर्जा क्षेत्र में कुल निवेश में निवेश की प्रतिशतता 2006-07 में 60.66 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 में 82.36 प्रतिशत तक पहुंच गई।



बजटीय विकास, अनुदान/उपदान, गारंटियां एवं ऋण


1.10 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संदर्भ में इक्विटी, ऋणों, अनुदानों/उपदानों, दी गई गारंटियां, बट्टे खाते में डाले गए ऋणों, इक्विटी में परिवर्तित किए गए ऋणों तथा माफ किए गए ब्याज में बजटीय विकास सम्बन्धी विवरण परिशिष्ट 1.3 में दिया गया है। 31 मार्च 2012 को समाप्त पिछले तीन वर्षों का सारांशित विवरण नीचे तालिका 1.3 में दिया गया है:

तालिका-1.3

(राशि: ₹ करोड़)

क्रमांक	विवरण	2009-10		2010-11		2011-12	
		सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि
1.	बजट से इक्विटी पूंजी का विकास	9	310.13	5	162.91	5	227.19
2.	बजट से दिए गए ऋण	2	20.28	1	175.01	-	-
3.	प्राप्त अनुदान/उपदान	9	330.97	5	347.48	7	495.50
4.	कुल विकास (1+2+3)	14 ⁵	661.38	10 ⁵	685.40	10 ⁵	722.69
5.	इक्विटी में परिवर्तित ऋण	1	17.46	-	-	-	-
6.	जारी की गई गारंटियां	5	41.60	5	54.65	6	1,278.60
7.	गारंटी प्रतिबद्धता	7	1,537.58	6	1,272.16	8	1,159.87

1.11 विगत छः वर्षों में बजटीय विकास के प्रति इक्विटी, ऋणों तथा अनुदानों/उपदानों से संबंधित विवरण नीचे ग्राफ में दिया गया है:



2006-07 से 2011-12 वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा इक्विटी, ऋणों तथा अनुदानों/उपदानों के रूप में समर्थन ने घटती-बढ़ती प्रवृत्ति दर्शायी। बजटीय विकास, जो 2006-07 में ₹ 79.26

⁵ कम्पनियों/निगमों की वास्तविक संख्या को दर्शाता है जिन्होंने राज्य सरकार से संबंधित वर्षों के दौरान इक्विटी, ऋणों, अनुदानों तथा उपदान के रूप में बजटीय समर्थन प्राप्त किया हो।

करोड़ पर था तथा छः वर्षों के दौरान न्यूनतम था, मुख्यतः विद्युत क्षेत्र में इक्विटी/ऋणों तथा अनुदानों/उपदानों का महत्वपूर्ण विस्तार होने के कारण 2011-12 में बढ़ कर ₹ 722.69 करोड़ हो गया।

1.12 सरकार ने 2011-12 के दौरान छः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्राप्त किए गए कुल ₹ 1,278.60 करोड़ के ऋण की गारंटी दी थी। 2011-12 के अंत में क्रमशः 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान गारंटी प्रतिबद्धता क्रमशः ₹ 1,537.58 करोड़ (सात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) तथा ₹ 1,272.16 करोड़ (छः सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) के प्रति ₹ 1,159.87 करोड़ (आठ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) थी।

सरकार के वित्त लेखों के साथ मिलान

1.13 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार बकाया इक्विटी, ऋणों तथा गारंटियों से सम्बन्धित आंकड़े सरकार के वित्त लेखों में प्रविष्ट आंकड़ों से मिलने चाहिए। यदि आंकड़े नहीं मिलते हैं तो संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा वित्त विभाग को अंतर्गत का मिलान करना चाहिए। इस सम्बन्ध में 31 मार्च 2012 की स्थिति नीचे **तालिका 1.4** में दर्शाई गई है:

तालिका-1.4

(राशि: ₹ करोड़)

से संबंधित बकाया	वित्त लेखों के अनुसार राशि	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार राशि	अंतर
इक्विटी	1,254.35	1,415.59	(-) 161.24
ऋण	⁶	809.74	-
गारंटियां	1,291.32	1,159.87	131.45

1.14 लेखापरीक्षा में पाया गया कि सात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में हुए अंतर तथा एक कम्पनी⁷ के सम्बन्ध में अंतर का 1995-96 से समाधान लंबित था। संबंधित प्रशासनिक विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा वित्त विभाग से प्रत्येक तिमाही को अंतरों का समाधान करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया गया था। सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अंतरों के समाधान हेतु समयबद्ध ढंग से ठोस कदम उठाने चाहिए।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

1.15 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वित्तीय परिणामों, क्रियाशील सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति तथा कार्य परिणामों का विवरण क्रमशः **परिशिष्ट 1.1, 1.5 तथा 1.6** में दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की कुल बिक्री का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात राज्य

⁶ सरकारी कम्पनी तथा सांविधिक निगम वार बकाया ऋणों का विवरण, जिन्हें 2011-12 के वित्त लेखों में सम्मिलित नहीं किया गया।

⁷ हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम।

की अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की गतिविधियों की सीमा को दर्शाता है। 2006-07 से 2011-12 तक की अवधि के दौरान क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कुल बिक्री तथा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का विवरण नीचे तालिका 1.5 में दिया गया है:


तालिका-1.5

(राशि: ₹ करोड़)

विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
कुल बिक्री ⁸	3,029.68	3,476.06	4,629.88	4,642.23	4,964.59	4,990.22
राज्य सकल घरेलू उत्पाद	28,358	31,974	36,940	42,278	52,426	63,084
राज्य सकल घरेलू उत्पाद के प्रति कुल बिक्री की प्रतिशतता	10.68	10.87	12.53	10.98	9.47	7.91

यह देखा जा सकता है कि 2006-12 के दौरान राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कुल बिक्री में समग्र बढ़ोतरी हुई। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के प्रति बिक्री की प्रतिशतता 2006-07 में 10.68 से बढ़कर 2008-09 में 12.53 हो गई लेकिन 2009-10 में 10.98 से गिरकर 2011-12 में 7.91 हो गई।

1.16 राज्य के क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 2006-07 से 2011-12 के दौरान उठाई गई हानियां नीचे बार चार्ट में दिखाई गई हैं।



(कोष्ठकों के आंकड़े संबंधित वर्षों में क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या दर्शाते हैं। 2010-11 व 2011-12 वर्षों के लिए आंकड़ों में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, जिसे 2010-11 में सरकारी कम्पनी में परिवर्तित किया गया था, द्वारा उठाई गई हानियां भी सम्मिलित हैं।)

2006-12 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने भारी हानियां उठाई जो इस ओर इंगित करता है कि 2008-09 की अवधि को छोड़कर, जब राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उठाई गई समग्र हानियां ₹ 0.12 करोड़ थी तथा तुलनात्मक रूप से कम थी, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यप्रणाली निकृष्ट रही।

⁸ 30 सितम्बर तक अद्यतन अंतिम रूप दिए गए लेखों के अनुसार कुल बिक्री।

19 क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जिनके लिए नवीनतम वर्षों के लेखों को 30 सितम्बर 2012 तक प्राप्त किया गया था, में से आठ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹ 17.37 करोड़ का लाभ अर्जित किया तथा सात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹ 240.42 करोड़ की हानि उठाई। तीन⁹ क्रियाशील सरकारी कम्पनियों ने अपने लाभ तथा हानि लेखे नहीं बनाए हैं जबकि एक कम्पनी हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित ने निगमन के बाद से अपने प्रथम लेखे तैयार नहीं किए हैं। एक क्रियाशील सरकारी कम्पनी (हिमाचल प्रदेश सड़क तथा अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित) के मामले में आय से अधिक किया गया व्यय राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति करने योग्य है। लाभ में सहयोग करने वाले मुख्य अंशदाता हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित (₹ 6.04 करोड़), हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित (₹ 1.58 करोड़) तथा हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित (₹ 7.71 करोड़) थे। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (₹ 152.62 करोड़) तथा हिमाचल पथ परिवहन निगम (₹ 80.65 करोड़) द्वारा भारी हानियां उठाई गईं।

1.17 क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की हानियां मुख्यतः वित्तीय प्रबंधन, योजना, परियोजनाओं के कार्यान्वयन तथा उनके परिचालन अनुश्रवण में कमियों के कारण हैं। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के नवीनतम तीन वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समीक्षा दर्शाती है कि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹ 2,980.43 करोड़ की हानियां उठायी तथा ₹ 1.91 करोड़ का निष्फल निवेश किया, जो बेहतर प्रबंधन से नियन्त्रित किया जा सकता था। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से वर्षवार ब्योरे नीचे **तालिका 1.6** में दिए गए हैं:

तालिका-1.6

(राशि: ₹ करोड़)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	योग
निवल हानि	21.95	189.15	10.05	221.15
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुसार नियंत्रण योग्य हानियां/परिहार्य व्यय	953.38	703.53	1,323.52	2,980.43
निष्फल निवेश	-	-	1.91	1.91

1.18 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों द्वारा दर्शायी गई उपरोक्त हानियां सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों की नमूना-जांच पर आधारित हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपनी भूमिका का दक्षता के साथ निर्वहन तभी कर सकते हैं जब वे वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर हों। उपरोक्त स्थिति सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यप्रणाली में व्यवसायिकता तथा उत्तरदायित्व की आवश्यकता को इंगित करती है।

1.19 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित कुछ अन्य प्रमुख पैरामीटर नीचे **तालिका 1.7** में दिए गए हैं:

⁹ ब्यास घाटी विद्युत निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित।

तालिका -1.7

(राशि: ₹ करोड़)

विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (प्रतिशत)	2.74	3.93	5.54	4.16	0.48	0.00
ऋण	3,136.86	2,918.66	2,841.21	2,672.18	3,075.69	3,597.79
कुल बिक्री ¹⁰	3,029.68	3,476.06	4,629.88	4,642.23	4,964.59	4,990.22
ऋण/कुल बिक्री अनुपात	1.04:1	0.84:1	0.61:1	0.58:1	0.62:1	0.72:1
ब्याज अदायगियां	166.55	210.64	201.39	207.20	207.13	199.50
संचित लाभ/(हानियां)	(939.66)	(1,021.00)	(1,028.60)	(846.73)	(1,286.19)	(1,360.45)

(क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कुल बिक्री के अतिरिक्त उपरोक्त आंकड़े सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित हैं।)

1.20 निवेशित पूंजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता ने 2006-07 में 2.74 प्रतिशत से 2008-09 में 5.54 प्रतिशत वृद्धि प्रवृत्ति दर्शाई तथा 2009-10 में 4.16 से गिरकर 2011-12 में शून्य हो गई। ऋण की स्थिति में भी कोई सुधार नहीं हुआ क्योंकि कुल डेबिट 2006-07 में ₹ 3,136.86 करोड़ से बढ़कर 2011-12 में ₹ 3,597.79 करोड़ हो गया। ब्याज की अदायगी के संदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निकास 2006-07 में ₹ 166.55 करोड़ से बढ़कर 2007-08 में ₹ 210.64 करोड़ हो गया तथा 2011-12 में गिरकर ₹ 199.50 करोड़ रह गया। कुल बिक्री की स्थिति 2006-07 में ₹ 3,029.68 करोड़ से 2011-12 में ₹ 4,990.22 करोड़ की सुधार की प्रवृत्ति दर्शाई; डेबिट-कुल बिक्री अनुपात 2006-07 में 1.04 से 2010-11 में 0.62 का सुधार हुआ तथा 2011-12 में 0.72 की मामूली वृद्धि हुई। तथापि, संचित हानियों की स्थिति की वृद्धि में हास हुआ, 2009-10 के अतिरिक्त जब यह गिरकर ₹ 846.73 करोड़ हो गई, यह 2006-07 में ₹ 939.66 करोड़ से बढ़कर 2011-12 में ₹ 1,360.45 करोड़ हो गई।

1.21 राज्य सरकार ने लाभांश नीति का सूत्रपात किया था (अगस्त 1982), जिसके अंतर्गत सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से, राज्य सरकार द्वारा योगदान की गई प्रदत्त शेयर पूंजी पर तीन प्रतिशत के निम्नतम प्रतिफल की अदायगी करना अपेक्षित है। उनके नवीनतम अंतिम रूप प्राप्त लेखों के अनुसार आठ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹ 17.37 करोड़ का कुल लाभ अर्जित किया तथा केवल हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित ने ₹ 0.35 करोड़ का लाभांश घोषित किया, जो इसकी प्रदत्त पूंजी (₹ 3.51 करोड़) का 10 प्रतिशत था।

लेखों को अंतिम रूप देने सम्बन्धी बकाया

1.22 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166, 210, 230, 619 तथा 619-बी के अंतर्गत कम्पनियों के प्रत्येक वित्त वर्ष के लेखों को सम्बन्धित वित्त वर्ष की समाप्ति के छः मास के

¹⁰ 30 सितम्बर को नवीनतम अंतिम रूप प्राप्त लेखों के अनुसार क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कुल बिक्री।

भीतर अंतिम रूप देना अपेक्षित है। इसी प्रकार सांविधिक निगमों के मामले में उनसे संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार उनके लेखों को अंतिम रूप दिया जाता है, उनकी लेखापरीक्षा की जाती है तथा विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सम्बन्धित वर्ष के सितम्बर तक लेखों को अंतिम रूप दिए जाने की प्रगति का विवरण नीचे **तालिका 1.8** में दिया गया है:

तालिका -1.8

क्रमांक	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1.	क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	22	20	21	19	19
2.	वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिए गए लेखों की संख्या	20	19	22	21	15
3.	बकाया लेखों की संख्या	17	15	14	12	16
4.	प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का औसत बकाया (3/1)	0.77	0.75	0.67	0.63	0.84
5.	बकाया लेखों सहित क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	13	12	12	10	10
6.	बकायों की अवधि	1 से 3 वर्ष	1 से 3 वर्ष	1 से 2 वर्ष	1 से 2 वर्ष	1 से 2 वर्ष

1.23 2007-12 में प्रति क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की बकाया लेखों की औसत संख्या 0.63 तथा 0.84 की सीमा के बीच रही। बकाया लेखों वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा पिछले बकाया को शीघ्र निपटाने तथा लेखों को अद्यतन करने हेतु प्रभावशाली उपाय करने की आवश्यकता है।

1.24 दो अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से हिमाचल वर्सिटिड मिल्लज लिमिटेड परिसमापन प्रक्रिया के अंतर्गत था तथा एग्रो इंडस्ट्रीयल पैकेजिंग इंडिया लिमिटेड ने वर्ष 2011-12 के लेखों को अंतिम रूप नहीं दिया था।

1.25 राज्य सरकार ने उन वर्षों के दौरान जिनमें लेखों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है जैसा कि विवरण **परिशिष्ट 1.4** में दिया गया है, पांच सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ₹ 85.27 करोड़ (इक्विटी: ₹ 52.94 करोड़ तथा अनुदान: ₹ 32.33 करोड़) का निवेश किया था। लेखों की अनुपलब्धता एवं अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि क्या किया गया निवेश तथा किया गया व्यय उचित ढंग से लेखाबद्ध कर लिया गया है और जिस प्रयोजन हेतु निवेश किया गया था, क्या उसे प्राप्त कर लिया गया है अथवा नहीं तथा इस प्रकार ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकार द्वारा किया गया निवेश राज्य विधानसभा की संवीक्षा से बाहर रहता है। इसके अतिरिक्त लेखों को अंतिम रूप देने में विलम्ब से कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के उल्लंघन के अतिरिक्त, गबन तथा सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का खतरा भी उत्पन्न हो सकता है।

1.26 प्रशासनिक विभाग इन इकाइयों के कार्यकलापों की निगरानी करने तथा निर्धारित समयावधि के भीतर इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों को अंतिम रूप दिया गया तथा

अपनाया गया, सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। यद्यपि सरकार के सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों तथा कर्मचारियों को लेखापरीक्षा द्वारा लेखों को अंतिम रूप देने में बकाया रहे मामलों के बारे में प्रत्येक तिमाही को सूचित किया गया था, तथापि कोई भी सुधारात्मक उपाय नहीं किए गए। इसके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा द्वारा इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निवल मूल्य का मूल्यांकन नहीं किया जा सका। लेखों के बकायों के बैकलॉग को समयबद्ध ढंग से शीघ्रतापूर्वक निपटाने हेतु लेखों के बकायों का मामला मुख्य सचिव/वित्त सचिव के साथ उठाया गया था (अक्टूबर 2012)।

अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का परिसमापन

1.27 विगत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के अंत में अक्रियाशील कम्पनियों की संख्या नीचे तालिका 1.9 में दी गई है:

तालिका -1.9

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
अक्रियाशील कम्पनियों की संख्या	2	3	3	3	2

31 मार्च 2012 को दो अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सभी कम्पनियां) थे। इनमें से हिमाचल वर्सटिड मिल्ल लिमिटेड ने परिसमापन प्रक्रिया आरम्भ कर दी है।

1.28 अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के समापन की स्थिति नीचे तालिका 1.10 में दी गई है:

तालिका -1.10

क्रमांक	विवरण	कम्पनियां
1.	अक्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कुल संख्या	2
2.	उपरोक्त (1) के अन्तर्गत संख्या:	
	(क) न्यायालय द्वारा परिसमापन (परिसमापक नियुक्त किया गया)	-
	(ख) स्वैच्छिक परिसमापन (परिसमापक नियुक्त किया गया)	1
	(ग) समापन, अर्थात् समापन आदेश/अनुदेश जारी किए गए, किंतु परिसमापन प्रक्रिया अभी तक प्रारंभ नहीं की गई।	1

1.29 वर्ष 2011-12 के दौरान एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अर्थात् नाहन फाउण्डरी लिमिटेड का पूर्व प्रभाव से (1 अप्रैल 2009), हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के साथ विलय हुआ यद्यपि इसने अपने लेखाओं को 31 मार्च 2011 तक अन्तिम रूप दिया था। कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत स्वैच्छिक परिसमापन की प्रक्रिया बहुत तीव्र है तथा इसे सक्रियता से अपनाने/अनुसरण करने की आवश्यकता है। सरकार अक्रियाशील कम्पनी के परिसमापन की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने पर विचार करे।

लेखा टिप्पणियां तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा

1.30 पन्द्रह क्रियाशील कंपनियों ने अक्टूबर 2011 से सितम्बर 2012 तक की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा को अपने 15 लेखे अग्रेषित किए। इनमें से 14 कम्पनियों के 14 लेखे

अनुपूरक लेखापरीक्षा हेतु चयनित किए गए थे। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की अनुपूरक लेखापरीक्षा यह इंगित करती हैं कि लेखों के अनुरक्षण की गुणवत्ता को व्यापक रूप से सुधारने की आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों की सकल राशि मूल्य का विवरण नीचे तालिका 1.11 में दी गई है:

तालिका -1.11

(राशि: ₹ करोड़)

क्रमांक	विवरण	2009-10		2010-11		2011-12	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	1	0.33	6	45.20	2	56.40
2.	हानि में वृद्धि	6	42.60	3	17.18	3	12.49

यह देखा जा सकता है कि 'हानि में वृद्धि' अथवा 'लाभ में कमी' करने वाले प्रत्येक लेखे की लेखापरीक्षा टिप्पणियों का औसत प्रभाव ₹ 6.13 करोड़ (2009-10) से बढ़कर ₹ 13.78 करोड़ (2011-12) हो गया। इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों के अनुरक्षण की गुणवत्ता में हास स्पष्ट है तथा इसे सुधारने की आवश्यकता है।

1.31 वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों ने नौ लेखों के लिए योग्यता प्रमाणपत्र तथा पांच लेखों के लिए प्रतिकूल प्रमाणपत्र (जिसका अर्थ है कि लेखे स्पष्ट तथा सही स्थिति नहीं दर्शाते) दिए थे। कम्पनियों की लेखाकरण मानकों के प्रति अनुपालना असंतोषजनक रही, चूंकि वर्ष के दौरान बारह वार्षिक लेखों में अनुपालना न किए जाने के 45 मामले दृष्टांत थे।

1.32 अक्टूबर 2011 से सितम्बर 2012 की अवधि के दौरान कम्पनियों के वार्षिक लेखों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां नीचे व्यक्त की गई हैं:

हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित (2010-11)

प्लॉट के बिक्री मूल्य ₹ 35.00 लाख के गैर-लेखांकन के कारण ₹ 11.96 लाख की आय की न्यूनोक्ति हुई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 11.96 लाख की हानि तथा ₹ 23.04 लाख की वस्तु सूचियों की अत्योक्ति हुई।

हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित (2011-12)

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित के कर्मचारियों को कम्पनी में प्रतिनियुक्ति पर 31 मार्च 2012 को देय ₹ 3.24 करोड़ (अवकाश वेतन: ₹ 1.85 करोड़ तथा पेंशन अंशदान: ₹ 1.39 करोड़) का प्रावधान न करने से उस सीमा तक आकस्मिक व्यय -कर्मचारी लाभ व्यय तथा चालू दायित्वों की न्यूनोक्ति हुई।

हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित (2010-11)

वेतन एवं मजदूरी में जुलाई 2010 से मार्च 2011 तक की अवधि हेतु कर्मचारियों को, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित का कार्य समकालिक रूप से निष्पादित किया था, वेतन

एवं मजदूरी के सम्बन्ध में भुगतान किए गए ₹ 75.37 लाख सम्मिलित थे। यद्यपि व्यय को दोनों कम्पनियों द्वारा समान रूप से वहन किया जाना था, उसे हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित से वसूली योग्य दर्शाया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 37.68 लाख तक की पूर्व-प्रचालित व्यय की अत्योक्ति तथा चालू परिसम्पत्तियों की न्यूनोक्ति हुई।

हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित (2009-10)

वन विभाग को देय तिथियों के पश्चात् रॉयल्टी के भुगतान पर ब्याज का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप विविध देनदारों के साथ-साथ ₹ 6.02 करोड़ तक की संचित हानि की न्यूनोक्ति हुई।

1993-94 से पूर्व अवधि के लिए इमारती लकड़ी के ढेरों के सम्बन्ध में रॉयल्टी, बिक्री कर तथा ब्याज का अधिक प्रावधान करने के परिणामस्वरूप विविध देनदारों के साथ-साथ ₹ 3.47 करोड़ तक की संचित हानि की अत्योक्ति हुई।

कम्पनी के कर्मचारियों को जनवरी 2010 से मार्च 2010 तक देय अतिरिक्त महंगाई भत्ता (₹ 0.67 करोड़) तथा वेतन एवं भत्तों (₹ 0.06 करोड़) के बकायों और वेतन एवं भत्ते (₹ 0.36 करोड़) के सम्बन्ध में प्रावधान नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.73 करोड़ तक के लाभ की अत्योक्ति तथा ₹ 1.09 करोड़ तक की संचित हानि की न्यूनोक्ति हुई।

1.33 इसी तरह दो क्रियाशील सांविधिक निगमों ने अक्टूबर 2011 से सितम्बर 2012 तक की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा को अपने दो लेखे अग्रेषित किए। इनमें से एक सांविधिक निगम (हिमाचल पथ परिवहन निगम) का एक लेखा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा एकमात्र लेखापरीक्षा से संबंधित था जिसकी लेखापरीक्षा चल रही थी। सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की एकमात्र/अनुपूरक लेखापरीक्षा यह इंगित करती है कि लेखों के अनुरक्षण की गुणवत्ता में व्यापक रूप से सुधार किए जाने की आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के समग्र राशि मूल्य का विवरण नीचे तालिका 1.12 में दिया गया है:

तालिका -1.12

(राशि: ₹ करोड़)

क्रमांक	विवरण	2009-10		2010-11		2011-12	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	1	141.55	-	-	-	-
2.	हानि में वृद्धि	2	14.03	2	157.62	1	2.74

लेखापरीक्षा टिप्पणियों का अधिक प्रभाव मुख्यतः 2009-10 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, 2010-11 के दौरान हिमाचल पथ परिवहन निगम से संबंधित है तथा 2011-12 के दौरान यह हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम से सम्बन्धित है।

1.34 वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम के वर्ष 2011-12 के लेखों की लेखापरीक्षा पूर्ण की गई थी तथा योग्यता प्रमाणपत्र प्राप्त किए गए। सांविधिक निगम के लेखों के सम्बन्ध में

महत्वपूर्ण टिप्पणी में बताया गया है कि निगम के कर्मचारियों को देय अवकाश नकदीकरण के संदर्भ में ₹ 2.74 करोड़ की देयता हेतु प्रावधान नहीं किया गया था, परिणामस्वरूप ₹ 2.74 करोड़ की हानि तथा अन्य चालू देयताओं की न्यूनोक्ति हुई।

आंतरिक नियंत्रण/ आंतरिक लेखापरीक्षा

1.35 सांविधिक लेखापरीक्षकों (सनदी लेखापालों) को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(क) के अंतर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा उन्हें जारी किए गए निदेशों के अनुसार लेखापरीक्षित कम्पनियों में आंतरिक नियंत्रणों/आंतरिक लेखापरीक्षा पद्धतियों सहित विभिन्न पहलुओं पर एक विस्तृत प्रतिवेदन भेजना तथा उन क्षेत्रों की पहचान करना, जहां सुधार की आवश्यकता हो, अपेक्षित है। सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष 2009-10 की दो कम्पनियों¹¹ के, वर्ष 2010-11 की चार कम्पनियों¹² के तथा वर्ष 2011-12 की सात कम्पनियों¹³ के आंतरिक लेखापरीक्षा /आंतरिक नियंत्रण पद्धति में संभावित सुधार पर की गई मुख्य टिप्पणियों के दृष्टांत सारांश नीचे तालिका 1.13 में दी गई है:

तालिका -1.13

क्रमांक	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई टिप्पणियों की प्रकृति	कम्पनियों की संख्या जिनके बारे में संस्तुतियां दी गई	परिशिष्ट 1 के अनुसार कम्पनियों के क्रमांक का संदर्भ
1.	अल्प/दीर्घावधि कारोबार संबंधी योजना तैयार करने की पद्धति विद्यमान न होना	2	9 और 15
2.	बाह्य पार्टियों से बकाया देयताओं का अपर्याप्त अनुश्रवण	5	2,3,9,12 और 17
3.	लेखों की विवरणी प्रेषित करने तथा देनदारों से पुष्टि प्राप्त करने की पद्धति का विद्यमान न होना	10	2, 4,9,10,11,12,14,15, 16 और 17
4.	लेखापरीक्षण मानकों-15 के अनुसार सेवानिवृत्ति लाभों का प्रावधान न करना	8	2,3,7,9, 10,12,15 और 17
5.	परिमाणात्मक ब्योरे, अवस्थाएं, पहचान संख्या, अधिग्रहण तिथि, अचल परिसम्पत्तियों का मूल्यहास तथा उनकी स्थितियों सहित पूर्ण विवरणों को दर्शाने वाले उपयुक्त अभिलेखों का अनुरक्षण न करना	5	2, 10, 15, 16 और 17
6.	भण्डार एवं कलपुर्जों की न्यूनतम/अधिकतम सीमाओं का निर्धारण न करना	6	2, 9, 14, 15, 16 और 17
7.	कम्पनी के व्यवसाय की प्रकृति एवं आकार के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षा पद्धति का अभाव	4	1, 2, 3 और 17
8.	आंतरिक लेखापरीक्षा नियम पुस्तिका/मानक/ दिशानिर्देश न बनाना	4	2,9,15 और 17
9.	अनुमोदित सूचना प्रौद्योगिक रणनीति/योजना का न होना	12	1, 2, 3, 7,8,9,10,12,14 15, 16 और 17
10.	निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति का सूत्रीकरण न करना	7	7, 8, 9, 14, 15, 16 और 17

¹¹ परिशिष्ट 1 का क्रमांक 3 तथा 4

¹² परिशिष्ट 1 का क्रमांक 2, 8, 12 तथा 17

¹³ परिशिष्ट 1 का क्रमांक 7, 9, 10, 11, 14, 15 तथा 16

लेखापरीक्षा के आग्रह पर वसूलियां

1.36 वर्ष 2011-12 में लेखापरीक्षा के दौरान विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधनों के ध्यान में ₹ 44.64 करोड़ की वसूलियां लाई गई थी, जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने स्वीकार किया था। इसके प्रति वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 14.78 करोड़ की राशि की वसूली की गई थी।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण की स्थिति


1.37 वर्ष 2010-11 तक की अवधि से संबंधित दो सांविधिक निगमों के लेखों पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को राज्य सरकार द्वारा राज्य की विधायिका के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, निजीकरण तथा पुनर्संरचना

1.38 वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य सरकार ने एक सरकारी कम्पनी (हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित) के सम्बन्ध में ₹ 537.15 करोड़ का विनिवेश किया था तथा सरकारी कम्पनियों के निजीकरण का कोई भी मामला नहीं था। राज्य सरकार ने राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश हेतु कोई भी योजना नहीं बनाई थी।

अध्याय -II

निष्पादन लेखापरीक्षा



अध्याय-II
निष्पादन लेखापरीक्षा

विद्युत संचारण प्रयोज्याएं

कार्यकारी सारांश

हिमाचल प्रदेश में विद्युत संचारण एवं ग्रिड परिचालन का प्रबन्धन तथा नियन्त्रण हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित और हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित द्वारा किया जाता है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित एवं हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत क्रमशः 3 दिसम्बर 2009 और 27 अगस्त 2008 को समाविष्ट किए गए थे। हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित ने अभी तक विद्युत संचारण आरम्भ नहीं किया था।

योजना एवं विकास

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित का 31 मार्च 2007 को 2,362 मेगावोल्ट एम्पीयर तथा 2,186.450 सर्किट किलोमीटर के संचारण क्षमता सहित 32 अतिरिक्त उच्च वेग वाले उप-स्टेशनों का संचारण नेटवर्क था, जो 31 मार्च 2012 को 2,997 मेगावोल्ट एम्पीयर और 2,296.567 सर्किट किलोमीटर संचारण क्षमता सहित बढ़कर 35 अतिरिक्त उच्च वेग उप-स्टेशन हो गया। हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित ने अभी तक अपना संचारण नेटवर्क नहीं बनाया। तथापि ₹ 69.21 करोड़ मूल्य की 78 सर्किट किलोमीटर लाईन हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित (हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित-विद्युत सृजन कम्पनी) ने हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित को अन्तरित की (जून 2009)। बाद में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित (अक्टूबर 2009) ने भी ₹ 199.08 करोड़ मूल्य की 200.860 सर्किट किलोमीटर अतिरिक्त उच्च वेग लाईने हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित को अन्तरित कर दी। हालांकि इन लाइनों का अनुरक्षण हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित की लागत पर हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित द्वारा किया जा रहा था।

संचारण प्रणाली का परियोजना प्रबन्धन

परियोजनाओं की समय पर पूर्णता हेतु कार्य बल सीमित द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के बावजूद हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित 2007-12 के दौरान बहुत से उप-स्टेशनों तथा लाइनों को समय पर निष्पादित करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप ₹ 99.62 करोड़ की अधिक लागत आई और ₹ 1,031.27 करोड़ के प्रत्याशित राजस्व की गैर वसूली हुई। दोनों कम्पनियों 31 मार्च 2012 को समाप्त विगत पांच वर्षों के दौरान नए उप-स्टेशनों, क्षमता परिवर्धन और अतिरिक्त उच्च वेग लाइनों को बिछाने के निर्माणार्थ लक्ष्यों को प्राप्त करने में क्रमशः 57,59 एवं 51 प्रतिशत विफल रही।

संचारण प्रणाली का निष्पादन

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित की समग्र संचारण क्षमता आवश्यकता से अधिक थी। 31 मार्च 2012 को अत्यधिक संचारण क्षमता का 30 प्रतिशत निकाल कर ₹ 28.04 करोड़ मूल्य की 560.89 मेगावोल्ट एम्पीयर निकलती थी जो कि उपभोक्ता पर बोझ डाला

गया था। संचारण नेटवर्क में अतिरिक्त/निरर्थक क्षमता तथा अतिभार व्यापकता, कुछ स्थानों पर उच्च वोल्टेज संचारण नेटवर्क के सृजन में त्रुटिपूर्ण योजना को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त, मार्च 2012 को समाप्त सभी पांच वर्षों के दौरान संचारण हानियों की प्रतिशतता केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा राज्य विद्युत विनियामक आयोग के मानदण्डों से अधिक थी। मार्च 2012 को समाप्त पांच वर्ष की अवधि के दौरान कम्पनी द्वारा वहन 114.12 मिलियन यूनिटों की कुल संचारण हानि का मूल्य राज्य विद्युत विनियामक द्वारा निर्धारित मानकों से ऊपर एवं अधिक ₹ 46.81 करोड़ था।

ग्रिड प्रबन्धन

संचारण की दक्षता के अनुश्रवण के लिए रिमोट टर्मिनल यूनिटों/ उप-स्टेशन प्रबन्धन प्रणालियां आवश्यक है। नौ 220 किलोवोल्ट उप-स्टेशन तथा नौ जनरेटर थे जिनमें से केवल आठ 220 किलोवोल्ट उप-स्टेशन (89 प्रतिशत) और चार जनरेटर (44 प्रतिशत) ही रिमोट टर्मिनल यूनिटों को मुहैया करवाए गए थे। इसके अतिरिक्त, स्टेट लोड डिस्पेच सेंटर के पास कोई डाटा स्टोर करने अथवा बेकअप सुविधाएं नहीं थी अतः केवल अवलोकन केन्द्र बन गया।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित में स्थापित (अगस्त 2002) उत्तर क्षेत्र विद्युत बोर्ड स्कीम के अन्तर्गत स्टेट लोड डिस्पेच सेंटर प्रतिष्ठापित किया गया जो भारतीय विद्युत ग्रिड कोड के अनुसार गैर-अनुसूचित उत्पाद आदि के लिए उत्तरदायी है और गैर-अनुसूचित विनिमय तन्त्र के अन्तर्गत गैर-अनुसूचित निकास की व्यवस्था करता है। यह देखा गया था कि स्टेट लोड डिस्पेच सेंटर ने गैर-अनुसूचित विनिमय दरों के अन्तर्गत 2007-08 से 2011-12 के दौरान ₹ 432.49 करोड़ मूल्य के 1,021.42 मिलियन यूनिट निकासी को अनुमत किया।

ऊर्जा लेखांकन एवं लेखापरीक्षा

2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान गलत/त्रुटिपूर्ण मीटरों के कारण छः सम्भरकों में 4.03 तथा 6.88 प्रतिशत के मध्य की ऊर्जा हानियों की उच्च प्रतिशतता सामने आई।

वित्तीय प्रबन्धन

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित की हानि 2007-08 में ₹ 262.67 करोड़ से 2011-12 में ₹ 1,406.68 करोड़ होकर 435.53 प्रतिशत तक बढ़ गई (अनंतिम)। हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित को 2008-09 से 2011-12 के दौरान ₹ 0.27 करोड़ से ₹ 4.09 करोड़ की हानि हुई (अनंतिम)।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित की उधारी 2007-08 में ₹ 2,300.27 करोड़ से बढ़कर 2011-12 में ₹ 4,177.79 करोड़ हो गई।

इक्विटी में ₹ 334 करोड़ (2007-08) से ₹ 971.78 करोड़ (2011-12) वृद्धि के कारण ऋण इक्विटी अनुपात 6.89:1 (2007-08) से घटकर 4.30:1 (2011-12) हो गया। नियोजित पूंजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता चालू दायित्वों में ₹ 2,423.12 करोड़ (2007-08) से ₹ 2,733.98 करोड़ (2011-12) की वृद्धि के कारण 2007-08 में 5.47 से घटाकर 2011-12 में (-) 6.44 रह गई।

कार्यचालन परिणाम

2007-12 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत सीमित की प्रति यूनिट राजस्व वसूली प्रति यूनिट लागत की तुलना में, जो अनुकूल अविध के दौरान ₹ 3.82 से बढ़कर ₹ 4.96 (29.84 प्रतिशत) हो गई, ₹ 3.78 से बढ़कर ₹ 4.63 हो गई (22.49 प्रतिशत)। 2007-12 में लागत के मुख्य घटकों में कर्मचारी लागत तथा ब्याज एवं वित्त प्रभार थे जो कुल लागत का क्रमशः 22.67 व 5.70 प्रतिशत निरूपित करते थे। विद्युत की बिक्री राजस्व का मुख्य घटक है जो कि कुल राजस्व (2011-12) का 96.82 प्रतिशत निरूपित करता है।

शुल्क निर्धारण

यद्यपि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित द्वारा वार्षिक राजस्व आवश्यकता आवेदन दाखिल करने में विलम्ब नहीं हुआ था फिर भी वर्ष 2008-09, 2010-11 व 2011-12 हेतु शुल्क आदेशों को राज्य विद्युत विनियामक आयोग की टिप्पणियों के अनुपालन में विलम्ब के कारण प्रभावी तिथि (प्रत्येक वित्तीय वर्ष का अप्रैल) के पश्चात् अनुमोदित किया गया। राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा इन वर्षों हेतु शुल्क के विलम्बित अनुमोदन ने 2008-09, 2010-11 व 2011-12 वर्षों में अप्रैल से जून के दौरान तीन महीनों हेतु कम्पनी के ₹ 161.85 करोड़ तक के नकदी प्रवाह को प्रभावित किया।

निष्कर्ष एवं सिफारिशें

कम्पनियों की विभिन्न परियोजनाएं अनुसूचित समय के भीतर पूर्ण नहीं की गई परिणामतः समय तथा लागत बढ़ी, क्षमता परिवर्धन में गिरावट, हानियों में कमी और निधियों के अवरोधन हेतु लक्ष्यों की न्यून उपलब्धि हुई। त्रुटिपूर्ण योजना के कारण गैर-अनुसूचित विनिमय के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित ने विद्युत खरीद पर भारी व्यय किया। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित उपभोक्ताओं से अनुरक्षण प्रभारों और उन्नयन तथा क्षमता परिवर्धन हेतु किए गए व्यय की वसूली करने में विफल रहा। प्रत्येक सम्भरक हेतु जहां अत्यधिक हानियां थी, उपचारात्मक कदमों को बढ़ाने के राज्य विद्युत विनियामक आयोग के बारम्बार अनुदेशों के बावजूद अधिक संचारण हानियों के कारणों की छानबीन नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित पृथक सालाना राजस्व आवश्यकता दाखिल न करने कारण स्टेट लोड डिस्पेच सेंटर शुल्क/प्रभारों की वसूली के सम्बन्ध में विनियामक के आदेशों की अनुपालना भी नहीं कर सकता।

हमने राज्य में संचारण खण्ड के सुधार के लिए छः सिफारिशें की हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित की अपूर्ण स्कीमों की प्रत्यक्ष व वित्तीय प्रगति की समीक्षा, यथार्थ आधार पर विद्युत की आगामी आवश्यकता की योजना बनाने, क्षमता परिवर्धन के सम्बंध में लागातांश की वसूली हेतु पर्याप्त कदम उठाने, दोनों तरफ परिशुद्धता श्रेणी से मेल खाते मीटरों को लगाने, अधिक संचारण हानियों के कारणों की छानबीन तथा स्टेट लोड डिस्पेच सेंटर प्रभारों को वसूल करने के लिए पृथक वार्षिक राजस्व आवश्यकता दाखिल करने की कार्रवाई की जरूरत है।

परिचय

2.1 2012 तक सभी को विश्वसनीय एवं गुणवत्तायुक्त विद्युत आपूर्ति की दृष्टि से भारत सरकार ने फरवरी 2005 में राष्ट्रीय विद्युत नीति बनाई जिसमें कहा गया कि संचारण प्रणाली

हेतु देश के लिए मुखर तथा एकिकृत विद्युत प्रणाली के विकास के लिए दक्षता एवं समन्वयात्मक कार्रवाई के अतिरिक्त पर्याप्त तथा समयबद्ध निवेश करना अनिवार्य होता है। यह अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय/राज्य संचारण उपयोगिताओं के समन्वय सहित राष्ट्रीय व राज्य ग्रिड के विकासार्थ आवश्यकता की भी पहचान करता है। हिमाचल प्रदेश में विद्युत संचारण तथा ग्रिड प्रचालन का प्रबंधन एवं नियंत्रण हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित द्वारा किया जाता है जिसे कुशल, पर्याप्त और उचित रूप से समन्वित ग्रिड प्रबन्धन व ऊर्जा संचारण मुहैया करवाना अनिवार्य है। कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित तथा हिमाचल प्रदेश संचारण निगम सीमित क्रमशः 3 दिसम्बर 2009 व 27 अगस्त 2008 में सम्मिलित किए गए और बहुदेशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रतिवेदन करता है। सभी नये कार्यों का निष्पादन, सूत्रीकरण, अद्यतन, प्रधान संचारण योजना का कार्यान्वयन, भावी उत्पादन सयंत्रों से विद्युत निष्क्रमण के सरलीकरण के साथ-साथ केन्द्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ संचारण से सम्बन्धित मामलों का समन्वय हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित को सौंपे गए थे। तथापि, इसने अभी तक अपनी अवसंरचना सृजन न होने के कारण विद्युत संचारण का कार्य आरम्भ नहीं किया है।

2.2 हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित का प्रबन्धन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त छः सदस्यीय निदेशक मण्डल में निहित है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित के दैनिक प्रचालनों को प्रबन्ध निदेशक द्वारा संचालित किया जाता है जो कम्पनी का मुख्य कार्यपालक होता है, जिसकी सहायता निदेशक (तकनीकी), निदेशक (परियोजनाएं), निदेशक (प्रचालन), निदेशक (वित्त एवं प्रशासन) तथा निदेशक (कार्मिक) करते हैं। हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित का प्रबन्धन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सात सदस्यों को मिलाकर बनाए गए निदेशक मण्डल में निहित होता है। दैनिक परिचालनों को दो पूर्णकालिक निदेशकों (तकनीकी) तथा चार अंशकालिक निदेशकों की सहायता से प्रबन्ध निदेशक द्वारा चलाया जाता है, जो कम्पनी का मुख्य कार्यपालक है।

वर्ष 2007-08 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित¹ ने 7,189.20 मिलियन यूनिट ऊर्जा संचारित की जो 2011-12 में 9,694.92 मिलियन यूनिट हो गई अर्थात् 2007-12 के दौरान 34.85 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 31 मार्च 2012 को कम्पनी का कुल संचारण नेटवर्क 66 किलोवोल्ट और अधिक पर 23,628.35 मिलियन यूनिट की वार्षिक संचारण क्षमता से 2,997 मेगावोल्ट एम्पीयर प्रतिष्ठापित क्षमता सहित 2,296.567 सर्किट किलोमीटर² तथा 35 उप-स्टेशन था। वर्ष 2011-12³ में कम्पनी की कुल बिक्री ₹ 3,818.03 करोड़ थी जो राज्य सकल घरेलू उत्पाद के 6.05 प्रतिशत के बराबर थी। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित ने 31 मार्च 2012 तक संचारण कार्यकलापों पर क्रमशः 1,495 और 105 कर्मचारियों को नियुक्त किया।

31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष हेतु नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल व वाणिज्यिक) खण्ड II, हिमाचल प्रदेश सरकार में संचारण तथा वितरण स्कीमों (66

1 हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित ने अभी तक विद्युत संचारण का कार्य शुरू नहीं किया था।

2 इसमें हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित को हस्तांतरित की गई 278.860 सर्किट किलोमीटर लाईन सम्मिलित हैं।

3 वर्ष 2011-12 के लिए कम्पनी की बैलेंसशीट का अन्तिम आंकड़ा अन्तिम रूपाधीन था।

किलोवोल्ट व अधिक) के कार्यान्वयन पर निष्पादन समीक्षा सम्मिलित की गई थी। प्रतिवेदन पर जुलाई 2010 में सार्वजनिक उपक्रमों की समिति द्वारा चर्चा की गई थी। सार्वजनिक उपक्रमों की समिति ने अपनी सिफारिशें 51 वें प्रतिवेदन में दी (सितम्बर 2011)।

लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र एवं पद्धति

2.3 जनवरी 2012 से जून 2012 के दौरान की गई वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान कम्पनी के निष्पादन को आवृत्त करती है। लेखापरीक्षा जांच में मुख्यालय, स्टेट लोड डिस्पेच सेन्टर, अधीक्षण अभियन्ताओं के प्रभार के सभी वृत्तों (दो⁴) जिनकी अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड सीमित के अधीक्षण अभियन्ताओं तथा 16 मण्डलों में से छः⁵ जिनकी अध्यक्षता वरिष्ठ अधिशासी अभियन्ता/अतिरिक्त अधिशासी अभियन्ता द्वारा की जाती है, के विभिन्न स्कन्धों के अभिलेखों की संवीक्षा समाविष्ट की।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित ने संवीक्षा अवधि के दौरान वर्धित विद्यमान 635 मेगावोल्ट एम्पीयर की संचारण क्षमता के साथ-साथ तीन नए उप-स्टेशनों (222.3 मेगावोल्ट एम्पीयर) तथा 10 लाइनों (110.117) का निर्माण किया। इनमें से दो नए उप-स्टेशन (216 मेगावोल्ट एम्पीयर), आठ पुराने उप-स्टेशन (303 मेगावोल्ट एम्पीयर), नौ लाईने (पुराने व नई सहित 124.418 सर्किट किलोमीटर) और 132.2 मेगावोल्ट एम्पीयर तक की विद्यमान संचारण क्षमता के वर्धन की जांच की गई।

इकाइयों का चयन बिना प्रतिस्थापन के सरल यादृच्छिक प्रतिदर्श प्रणाली के आधार पर किया गया। लेखापरीक्षा मानदण्ड के संदर्भ में लेखापरीक्षा उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु अपनाई गई पद्धति में शीर्ष प्रबन्धन को लेखापरीक्षा उद्देश्यों को बताना, मुख्यालय तथा चयनित इकाइयों पर अभिलेखों की संवीक्षा, लेखापरीक्षित कार्मिकों के साथ पारस्परिक क्रिया, लेखापरीक्षा मानदण्ड के संदर्भ में आंकड़ों का विश्लेषण, लेखापरीक्षा आपत्तियों को उठाना, प्रबन्धन के साथ लेखापरीक्षा परिणामों की चर्चा और प्रबन्धन/सरकार को टिप्पणियों हेतु समीक्षा प्रारूप जारी करना सम्मिलित हैं।

लेखापरीक्षा उद्देश्य

2.4 निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्यों द्वारा यह निर्धारण करना था कि:

- सापेक्ष योजना राष्ट्रीय विद्युत नीति/ योजना तथा राज्य विद्युत विनियामक आयोग के दिशा निर्देशों तथा योजना की विफलता के प्रभाव का निर्धारण, यदि कोई है, के अनुसार तैयार किया गया था;
- संचारण प्रणाली मित्तव्ययी, कुशल एवं प्रभावपूर्ण ढंग से विकसित और परिचालित की गई थी;
- संचारण प्रणाली का प्रचालन एवं अनुरक्षण मित्तव्ययी, कुशल तथा प्रभावपूर्ण ढंग से किया गया था;

4 विद्युतीकरण प्रणाली स्कंध: शिमला एवं हमीरपुर।

5 विद्युतीय प्रणाली खण्ड: नाहन, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, नालागढ़ एवं शिमला।

- आपदा प्रबन्धन प्रणाली को अप्रत्याशित भावी विघटनों के प्रति प्रचालनों की सुरक्षा हेतु स्थापित किया गया था;
- प्रभावी विफलता विश्लेषण प्रणाली स्थापित की गई थी;
- समय पर शुल्क दर संशोधनार्थ समग्र राजस्व आवश्यकता दायर करना तथा बिलों की समयबद्ध उगाही एवं संग्रहण पर जोर देते हुए प्रभावी, तथा कुशल वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली थी;
- सामग्री प्रापण के लिए कुशल एवं प्रभावी तंत्र एवं वस्तु सूची नियंत्रण तंत्र मौजूद था;
- राष्ट्रीय विद्युत योजना तथा ऊर्जा लेखापरीक्षा प्रणाली की स्थापना के अनुरूप कुशल और प्रभावी ऊर्जा संरक्षण उपायों को किया गया; और
- विद्यमान/चल रही परियोजनाओं की समीक्षा, पहचानी गई कमियों को दूर करने के सही उपाय किए गये, लेखापरीक्षा/आंतरिक लेखापरीक्षा टिप्पणियों की शीघ्र एवं उपयुक्त प्रतिक्रिया हेतु अनुश्रवण प्रणाली विद्यमान है ।

लेखापरीक्षा मानदण्ड

2.5 लेखापरीक्षा उद्देश्यों की उपलब्धि के निर्धारणार्थ अपनाए गए लेखापरीक्षा मापदण्ड में से अवतरित किये गए थे:

- राष्ट्रीय विद्युत नीति/योजना तथा राष्ट्रीय शुल्क दर नीति के प्रावधान;
- कम्पनी की सापेक्ष योजना तथा परियोजना प्रतिवेदन;
- मित्तव्यय, कुशल, प्रभावपूर्ण, इक्विटी व नीतिपूरक सिद्धांतों के संदर्भ में ठेकों के अधिनिर्णय हेतु मानक प्रक्रियाएं;
- शुल्क दर निर्धारण, परिपत्रों नियमावियों तथा प्रबन्धन सूचना प्रणाली प्रतिवेदनों को राज्य विद्युत विनियामक आयोग के पास दाखिल की गई समग्र राजस्व आवश्यकता;
- संचारण योजना मानदण्ड नियमावली;
- योजना प्रचालन, संयोजन संहिताओं युक्त तकनीकी अंतरापृष्ठ संहिता/ग्रिड संहिता;
- राज्य सरकार/विद्युत मंत्रालय से दिशा निर्देश;
- राज्य विद्युत विनियामक आयोग/केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी मानक/दिशा-निर्देश;
- “ संचारण में श्रेष्ठ कार्यान्वयन ” की सिफारिश करने वाली विद्युत मंत्रालय द्वारा गठित समिति का प्रतिवेदन;
- संचारण परियोजना कार्यन्वयन में पेचिदा तत्व के विश्लेषण को विद्युत मंत्रालय द्वारा गठित कार्यबल का प्रतिवेदन ; और
- क्षेत्रीय विद्युत समिति के प्रतिवेदन ।

लेखापरीक्षा पद्धति

2.6 लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित मिश्रित पद्धतियों का पालन किया:

- कम्पनी/बोर्ड/क्षेत्रीय विद्युत समिति/स्टेट लोड डिस्पेच सेंटर की कार्यसूची तथा कार्यवृत्त, वार्षिक प्रतिवेदन, लेखों एवं क्षेत्रीय ऊर्जा लेखों की समीक्षा;
- ऋण फाईलों, भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदनों की संवीक्षा;
- पूर्णता प्रतिवेदनों सहित वित्तीय प्रगति के साथ-साथ भौतिक तथा वार्षिक बजटों से डाटा का विश्लेषण;
- परियोजना निष्पादन, प्रापण, निधियों की प्राप्ति एवं व्यय से सम्बन्धित अभिलेखों की संवीक्षा; और
- प्रबन्धन के साथ प्रवेश एवं समापन सम्मेलन के साथ पारस्परिक प्रभाव ।


संचारण प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण

2.7 विद्युत संचारण को उच्च वोल्टेज पर, सामान्य: 132 किलोवोल्ट तथा अधिक, लम्बे फासलों से विद्युत के भारी मात्रा में अंतरण के रूप में परिभाषित किया गया है। संचारण हानि कम करने तथा ग्रिड की कुशलता बढ़ाने के लिए ऊर्जा सयंत्रों में अपेक्षाकृत कम वोल्टेज पर उत्पादित विद्युत ऊर्जा को संचारण करने से पूर्व उच्च वोल्टेज को उच्चायीमान किया जाता है। उच्च वोल्टेज विद्युत प्रणाली में उप-स्टेशन सुविधाएं हैं जिनका उपयोग एक से दूसरे स्तर तक वोल्टेज को उच्चायीयमान/उपचायी करने, विद्युत प्रणालियों को जोड़ने और प्रणाली के भीतर व बाहर स्विच उपकरण के संयोजन में किया जाता है। उत्पादन स्टेशनों के उच्चायीमान संचारण उप-स्टेशन लम्बे फासलों के संचारणार्थ वोल्टेज वृद्धि के लिए ट्रांसफार्मरों का उपयोग करते हैं।

संचारण लाईने उच्च वोल्टेज विद्युत ऊर्जा ले जाती है। उपचायी संचारण उप-स्टेशन उपभोक्ताओं के वितरणार्थ वोल्टेज को उप संचारण वोल्टेज स्तरों तक कम करते हैं। वितरण प्रणाली में लाईने, खम्बे, ट्रांसफार्मर तथा निर्दिष्ट वोल्टेज पर विद्युत वितरणार्थ आवश्यक अन्य उपकरण सम्मिलित होते हैं।

विद्युत ऊर्जा का भण्डारण नहीं किया जा सकता; अतः उत्पादन आवश्यकतानुसार होना चाहिए। इसलिए प्रत्येक संचारण प्रणाली में मांग के अनुरूप विद्युत उत्पादन का संतुलन सुनिश्चित करने के लिए ग्रिड प्रबन्ध के रूप में जानी जाने वाली नियंत्रण की सुविज्ञ प्रणाली अपेक्षित है।

संचारण प्रक्रिया का सचित्र चित्रण नीचे दिया गया है:



लेखापरीक्षा परिणाम

2.8 लेखापरीक्षा उद्देश्य हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित को क्रमशः 22 दिसम्बर तथा 23 दिसम्बर 2011 को आयोजित "प्रवेश सम्मेलन" के दौरान बताये गये थे। बाद में, लेखापरीक्षा परिणाम कम्पनियों और राज्य सरकार को 7 सितम्बर 2012 को सूचित किये गये और 12 नवम्बर 2012 को आयोजित 'अंतिम सम्मेलन' में चर्चा की गई। अंतिम सम्मेलन में अतिरिक्त मुख्य सचिव, बहुदेशीय परियोजना एवं विद्युत विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार उपस्थित थे। अंतिम सम्मेलन के दौरान उनके द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को इस निष्पादन लेखापरीक्षा को अन्तिम रूप देते समय ध्यान में रखा गया। राज्य सरकार/प्रबन्धन के उत्तर नवम्बर 2012 तक प्रतीक्षित थे। लेखापरीक्षा परिणामों पर आगामी परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

योजना एवं विकास

राष्ट्रीय विद्युत नीति/योजना

2.9 केन्द्रीय संचारण प्रयोज्यताओं और राज्य संचारण प्रयोज्यताओं की नेटवर्क योजना एवं सभी सम्बन्धित एजेन्सियों के साथ समन्वय पर राष्ट्रीय विद्युत योजना पर आधारित विकास की प्रमुख जिम्मेदारी है। 10 वीं योजना (मार्च 2007) की समाप्ति पर देश में संचारण प्रणाली 765 एच वी डी सी/400/230/220 किलोवोल्ट की 1.98 लाख सर्किट किलोमीटर थी जिसे 11वीं योजना के अन्त अर्थात् मार्च 2012 तक बढ़ाकर 2.93 लाख सर्किट किलोमीटर करने की योजना थी। राष्ट्रीय विद्युत योजना ने 2006-07 के अन्त तक कुल अन्तः क्षेत्रीय संचारण क्षमता निर्धारण 14,100 मेगावाट किया और पुनः कुल अन्तः क्षेत्रीय क्षमता को 37,700 मेगावाट करने के लिए 11वीं योजना के दौरान 23,600 मेगावाट जोड़ने की योजना बनाई।

2007-08 के प्रारम्भ में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित का संचारण नेटवर्क 2,362 मेगावोल्ट एम्पीयर तथा 2,186.450 सर्किट किलोमीटर की अतिरिक्त उच्च वेग संचारण लाइनों की संचारण क्षमता सहित 32 अतिरिक्त उच्च वेग उप-स्टेशन युक्त था। 31 मार्च 2012 को संचारण नेटवर्क उस तारीख तक 3,902.800 मेगावोल्ट एम्पीयर संचारण क्षमता तथा

2,410.874 सर्किट किलोमीटर की अतिरिक्त उच्च वेग सहित 40 अतिरिक्त उच्च वेग उप-स्टेशनों की लक्षित वृद्धि के प्रति 2,997 मेगावोल्ट एम्पीयर और 2,296.567 सर्किट किलोमीटर अतिरिक्त उच्च वेग लाइनों की संचारण क्षमता सहित 35 अतिरिक्त उच्च वेग उप-स्टेशन था। अतः 5 अतिरिक्त उच्च वेग उप-स्टेशन, 905.800 मेगावोल्ट एम्पीयर क्षमता परिवर्धन और 114.307 सर्किट किलोमीटर अतिरिक्त उच्च वेग लाइनों की कमी पाई गई। हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित ने अभी तक अपने संचारण नेटवर्क का सृजन नहीं किया। तथापि, ₹ 69.21 करोड़ मूल्य की 220 किलोवोल्ट काशंग-भावा लाईने (78 सर्किट किलोमीटर) हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित द्वारा हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित को अन्तरित (जून 2009) की गई। बाद में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित ने भी हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित को ₹ 199.08 करोड़ मूल्य की 200.860 सर्किट किलोमीटर अतिरिक्त उच्च वेग लाईने अन्तरित (अक्टूबर 2009) की। इन लाइनों का अनुरक्षण हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित की लागत पर हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित द्वारा किया जा रहा था।

राज्य संचारण प्रयोज्यता अन्तर राज्य संचारण प्रणाली की योजना एवं विकास के लिए उत्तरदायी है। क्षमता परिवर्धन योजना हेतु मांग का निर्धारण एक महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षा है। राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने बोर्ड की (अब हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित) संचारण नेटवर्क विद्युत की बढ़ती आवश्यकता की पूर्ति हेतु सुदृढ़ करने, मुक्त अभिवृद्धि सुसाध्य करने, संचारण योजना प्रतिवेदन के अनुसार संचारण नेटवर्क के साथ मेल रखने वाली उपयुक्त व्यापारिक योजनाओं को विकसित करके देश के उत्तरी भाग में अपर्याप्त विद्युत की दृष्टि से गर्मियों के दौरान अधिशेष विद्युत इकाई होते हुए इसकी एकमात्र स्थिति से अधिकतम निष्कर्षण सहित बहुपक्षीय निधियन व्यवस्था की छानबीन करने के लिए प्राधिकृत किया था (जुलाई 2006)। राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने पुनः बोर्ड को अन्तर राज्य तथा अंतर्राज्य संचारण प्रणाली को सुदृढ़ करने का परामर्श दिया (मई 2008)।

लेखापरीक्षा में देखा गया (जनवरी 2012) कि बोर्ड ने उक्त निर्देशों की अनुपालना में बताया (अप्रैल 2007) कि ₹ 95.67 करोड़ की स्कीम बनाई गई थी तथा औद्योगिक क्षेत्र में संचारण अवसंरचना की प्रोन्नति हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा निधियनार्थ प्रस्तावित थी। स्कीम का निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान जांचा गया और पाई गई त्रुटियों की आगामी परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

संचारण नेटवर्क तथा इसकी वृद्धि

2.10 2007-08 से 2011-12 के दौरान दोनों कम्पनियों की अतिरिक्त उच्च वेग स्तर पर संचारण क्षमता (मेगा वोल्ट एम्पीयर में विद्युत) निम्न तालिका 2.1 में दी गई है:

तालिका -2.1

क्रमांक	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	योग
क. उप-स्टेशनों की संख्या							
1	वर्षारम्भ में	32	33	33	34	35	
2	वर्ष हेतु परिवर्धन योजना	2	-	-	-	5 ⁶	7
3	वर्ष के दौरान संयोजित	1 ⁷	-	1	1	-	3
4	वर्षान्त पर उप-स्टेशनों का योग (1+3)	33	33	34	35	35	
5	संयोजन में गिरावट (2-3)	(-)1	-	(+)1	(+)1	(-) 5	4
ख. ट्रांसफार्मरों की क्षमता (मेगावोल्ट एम्पीयर)							
1	वर्षारम्भ में क्षमता	2,362.0	2,481.3	2,641.5	2,750.5	2,966.0	
2	वर्ष हेतु परिवर्धन/सम्बर्धन योजना	132.1	180.2	172.0	231.0	825.5	1,540.80
3	वर्ष के दौरान संयोजित क्षमता	119.3	160.2	109.0	215.5	31.0	635.00
4	वर्षान्त पर क्षमता (1+3)	2,481.3	2,641.5	2,750.5	2,966.0	2,997.0	
5	परिवर्धन/सम्बर्धन में गिरावट	12.8	20.0	63.0	15.5	794.5	905.80
ग. संचारण लाईने (सर्किट किलोमीटर)							
1	वर्षारम्भ में	2,186.450	2,195.408	2,198.977	2,206.97	2,234.539	
2	वर्ष हेतु परिवर्धन योजना	18.439	3.569	9.900	57.059	135.457	224.424
3	वर्ष के दौरान संयोजित	8.958	3.569	7.993	27.569	62.028	110.117
4	वर्षान्त पर कुल लाईने (1+3)	2,195.408	2,198.977	2,206.97	2,234.539	2,296.567	
5	परिवर्धनों में गिरावट (2-3)	9.481	-	1.907	29.490	73.429	114.307

6 इसमें 11 वीं योजना के अंत में हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित द्वारा राष्ट्रीय विद्युत नीति में प्रस्तावित दो उप- स्टेशनों का किया जाने वाला निष्पादन सम्मिलित हैं ।


7 इसमें विछिन्न हस्तांतरण एवं संचारण क्षमता सम्मिलित है ।

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि विगत पांच वर्षों के दौरान कम्पनियां नए उप-स्टेशनों के निर्माण, क्षमता परिवर्धन तथा क्रमशः 57, 59 व 51 प्रतिशत तक अतिरिक्त उच्च वेग लाइनों को बिछाने के लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रही ।


उप-स्टेशनों के निर्माण में विलम्ब

2.10.1 राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित को मार्च 2012 के अंत तक 132 किलोवोल्ट लाईन का 10.380 सर्किट किलोमीटर तथा 294.5 मेगावोल्ट एम्पीयर क्षमता वाले दो उप-स्टेशनों का निर्माण करना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 31.5 मेगावोल्ट एम्पीयर उप-स्टेशन पलचन सहित प्रिणी-पलचन लाईन का 10.380 सर्किट किलोमीटर 132 किलोवोल्ट का निर्माण सौंपा गया (जनवरी 2010) कार्य ₹ 1.91 करोड़ के व्यय पश्चात् छोड़ दिया गया (नवम्बर 2011) क्योंकि उपयुक्त रास्ते की समस्या के कारण कार्यस्थल को बदला जाना था। वांगटु स्थित अन्य उप-स्टेशन के निर्माण कार्य का अधिनिर्णय वन विभाग से मंजूरी प्राप्त न होने के कारण अभी किया जाना था।

2007-08 से 2011-12 के दौरान कम्पनियां उप-स्टेशनों के निर्माणार्थ लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकी जैसा कि लाईन ग्राफ में दर्शाया गया है:



2007-08, 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान कम्पनियां अतिरिक्त उच्च वेग लाइनों को बिछाने के लक्ष्यों को भी प्राप्त नहीं कर सकी जैसा कि लाईन ग्राफ में दर्शाया गया है:



हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित ने सात अतिरिक्त उच्च वेग उप-स्टेशनों के निर्माण तथा 224.424 सर्किट किलोमीटर लाइनों को बिछाने के लक्ष्य के प्रति पांच वर्षों की अवधि के दौरान तीन अतिरिक्त उच्च वेग उप-स्टेशनों और 110.117 सर्किट किलोमीटर लाइनों का निर्माण किया (क्रमशः 43 प्रतिशत व 49 प्रतिशत की उपलब्धि)। 2011-12 को समाप्त पांच वर्ष की अवधि में 635 मेगावोल्ट एम्पीयर की संचारण क्षमता जोड़ी गई ।

निष्पादन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान वोल्टेज बार क्षमता परिवर्धन योजना, वास्तविक परिवर्धन, क्षमता में गिरावट, आदि का ब्योरा परिशिष्ट 2.1 में दिया गया है ।

तालिका से देखा जा सकता है कि 2007-12 के दौरान कम्पनियां प्रस्तावित 905.8 मेगावोल्ट एम्पीयर क्षमता के रूपांतरण तथा 114.307 सर्किट किलोमीटर अतिरिक्त उच्च वेग लाइनों की वृद्धि करने में विफल रही । लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी के मुख्य कारण निधियों को जुटाने व कार्यों के अधिनिर्णय में विलम्ब, ठेकेदार द्वारा कार्य की धीमी गति और वन विभाग से मंजूरी प्राप्त न होना थे ।

संचारण प्रणाली का परियोजना प्रबन्धन

2.11 संचारण परियोजना में संकल्पना से चालू करने तक के विभिन्न क्रियाकलाप सम्मिलित होते हैं। संचारण परियोजना में मुख्य कार्यकलाप हैं (i) परियोजना सूत्रीकरण, मूल्यांकन एवं अनुमोदन चरण तथा (ii) परियोजना निष्पादन चरण। परियोजना कार्यान्वयन अवधि में कमी हेतु विद्युत मन्त्रालय, भारत सरकार ने संचारण परियोजनाओं (फरवरी 2005) पर एक कार्य बल का गठन किए ताकि:

- संचारण परियोजना कार्यान्वयन में पेचिदा तत्व का विश्लेषण किया जा सके,
- केन्द्रीय संचारण प्रयोज्यता तथा राज्य संचारण प्रयोज्यताओं के श्रेष्ठ कार्यों से कार्यान्वयन, तथा
- 24 महीनों की अवधि हेतु आदर्श संचारण परियोजना का सुझाव देना ।

कार्य बल ने संचारण प्रणालियों की त्वरित पूर्णता के लिए निम्नलिखित उपायात्मक कार्रवाई की सिफारिश (जुलाई 2005)की :

- परियोजना मूल्यांकन एवं अनुमोदन चरण के अग्रिम/समानांतर रूप में सर्वेक्षण, परिरूप एवं जांच, वन तथा अन्य सांविधिक अनापत्तियों हेतु प्रक्रिया, संविदा कार्यकलाप आदि जैसे विभिन्न प्रारम्भिक कार्यकलापों को प्रारम्भ करना और संचारण परियोजना संस्वीकृति/अनुमोदन मिलते ही निर्माण कार्यकलापों को शुरू करना;
- संचारण परियोजनाओं की स्पष्टतः परिभाषित पैकेजिंग में विश्लेषण जिससे पैकेजित का प्रापण और कार्यान्वयन किया जा सके ताकि न्यूनतम समन्वय व अन्तरापृष्ठ की आवश्यकता में अपेक्षित हो और यह सुसाध्य लागत प्रभावी प्रापण प्रतिस्पर्द्धा बने; और
- टावर संरचना का मानकीकृत परिरूप जिससे परियोजना निष्पादन में 6-12 महीनों की बचत हो सके ।

कार्यबल की सिफारिशों के सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित की कमियाँ

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित ने परियोजना अनुमानित खर्च तथा अनुमोदन चरण के अग्रिम/समानांतर रूप में वन एवं अन्य सांविधिक अनापत्तियों आदि हेतु प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यबल की सिफारिशों की पालना नहीं की और अनुमोदन के पूर्वानुमान में निर्माण कार्यकलापों के अधिनियमों को आरम्भ कर दिया । तदन्तर, कम्पनी विभिन्न उप-स्टेशनों तथा लाइनों का समय पर निष्पादन करने में विफल रही । 2007-12 के दौरान निष्पादन कार्यों तथा समय/लागत अभिवृद्धि का ब्योरा निम्न **तालिका 2.2** में दिया गया है:

तालिका

किलोवोल्ट में क्षमता	निर्मित कुल संख्या		लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांचित संख्या		निर्माण में विलम्ब (संख्या)		अधिक लिया गया समय (महीनों का अंतराल)		अधिक आई लागत (₹ करोड़)	
	उप-स्टेशन	लाइने	उप-स्टेशन	लाइने	उप-स्टेशन	लाइने	उप-स्टेशन	लाइने	उप-स्टेशन	लाइने
220	8	5	5	3	4	3	27 से 138	12 से 256	35.79	57.32
132/66	19	8	8	4	3	4	24 से 67	28 से 147	4.47	95.02
योग	27	13	13	7	7	7			40.26	152.34

लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए विलम्बों के कारण थे अधिनिर्णय और कार्य निष्पादन में असमानता, निष्पादन में विलम्ब, विनियामक आदि द्वारा मंजूर स्थगन के परित्याग में विलम्ब इत्यादि जैसा कि आगामी परिच्छेदों में चर्चा की गई है:

निधियों का अवरोधन

2.11.2 भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय द्वारा जारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के दिशा-निर्देशों के परिच्छेद 4.4 के अनुसार उन मामलों में जहां वन एवं गैर वन भूमि सम्मिलित है, जब तक केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त नहीं हो जाता कोई कार्य शुरू नहीं किया जाना चाहिए । हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित ने मई 2010 तथा जून 2010 के मध्य चार व आठ महीनों की निर्धारित पूर्णता अवधि में ₹ 53.08 करोड़ की लागत से 65.761 सर्किट किलोमीटर लाइनों और एक उप-स्टेशन (31.5 मेगावोल्ट एम्पीयर) तीन मामलों में निर्माण कार्य अपेक्षित वन व अन्य सांविधिक मंजूरी के बिना अधिनिर्णत किया । परिणामस्वरूप, 65.761 सर्किट किलोमीटर लाइनों तथा 31.5 मेगावोल्ट एम्पीयर क्षमता परिवर्धन के अधिनिर्णत कार्यों में से वास्तविक उपलब्धि (अप्रैल 2012) केवल 50 प्रतिशत थी। शेष कार्य वन विभाग की अनापत्ति न मिलने से पूर्ण नहीं किए जा सके। इसके परिणामस्वरूप ₹ 30.18 करोड़ की निधियों के अवरोधन के अतिरिक्त 13 तथा 18 महीनों के मध्य का अधिक समय लिया गया ।

कार्य पूर्णता में विलम्ब

2.11.3 पुनः, यह भी देखा गया कि आठ कार्यों में 163.579 सर्किट किलोमीटर लाइनों का निर्माण और 1,078 मेगावोल्ट एम्पीयर क्षमता का परिवर्धन/सम्बर्धन मुख्यतः ठेकदारों द्वारा कार्य की धीमी गति के कारण निर्धारित अवधि (**परिशिष्ट 2.2**) में पूर्ण नहीं किया जा सका,

परिणामतः ₹ 1,031.27 करोड़ के परिकल्पित वित्तीय लाभ के अनुद्ग्रहण के अतिरिक्त ₹ 99.62 करोड़ की परिणामी अधिक लागत सहित 10 तथा 256 महीनों के बीच का अधिक समय लिया गया। समय विस्तार और विलम्ब हेतु दण्ड प्रभारित करने सम्बन्धित मामलों पर अभी निर्णय (जून 2012) लिया जाना था।

लोड आवश्यकताओं के निर्धारण के बिना उप-स्टेशनों का निर्माण

2.11.4 उप-स्टेशन के निर्माणार्थ वोल्टेज विनियमनों की अनुमत सीमाओं सहित लोड वृद्धि और भविष्य की मांग में प्रत्याशित वृद्धि, परियोजनाओं को शुरू करने से पूर्व ध्यान में रखना अपेक्षित/अनिवार्य है जिससे अनावश्यक व्यय से बचा जा सके। नई स्कीमों के प्रस्तावित लोड पूर्वानुमानों को भी प्राप्त होने वाले प्रत्याशित भौतिक एवं वित्तीय लाभ को ध्यान में रखना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित ने रूपान्तरण क्षमता परिवर्धन करते समय क्षमता दबाव का निर्धारण नहीं किया परिणामतः ₹ 13.27 करोड़ की निधियों का अवरोधन हुआ जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

5 बोर्ड (अब हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित) ने 132/33 किलोवोल्ट उप-स्टेशन काला अम्ब 48 मेगावोल्ट एम्पीयर से 114.5 मेगावोल्ट एम्पीयर की विद्यमान रूपांतरण क्षमता के सम्बर्धनार्थ अल्पावधि योजना अनुमोदित की (अगस्त 2005) जो ₹ 6.15 करोड़ की लागत से पूर्ण (मार्च 2011) की गई। उप-स्टेशन की बढ़ी हुई क्षमता नई लाईन के निर्माण द्वारा प्रयुक्त की जानी थी क्योंकि विद्यमान लाईन केवल 83.3 मेगावोल्ट एम्पीयर तक का लोड वहन कर सकती थी। अपेक्षित सम्बर्धित लोड को संचारित करने हेतु देवनी से काला अम्ब 132 किलोवोल्ट सिंगल सर्किट लाईन के निर्माण को अधिनियमित किया (मई 2010)। कार्य अभी तक (जून 2012) पूर्ण नहीं किया गया था। इसलिए ₹ 2.89 करोड़ का व्यय करने के पश्चात् 31.2 मेगावोल्ट एम्पीयर के क्षमता परिवर्धन को मार्च 2011 से प्रयुक्त नहीं किया जा सका।

पुनः उपरोक्त मध्यावधि योजना में विद्यमान 66 किलोवोल्ट नालागढ़ उप-स्टेशन की 40 मेगावोल्ट एम्पीयर से 80 मेगावोल्ट एम्पीयर विद्युत रूपांतरण क्षमता के सम्बर्धनार्थ चार ट्रांसफार्मरों को (प्रत्येक 66/11 और 66/33 किलोवोल्ट प्रणाली पर 2 ट्रांसफार्मर) प्रतिष्ठापित करने का प्रावधान था। क्योंकि विद्यमान 66 किलोवोल्ट सिंगल सर्किट बद्दी-नालागढ़ लाईन पूर्णतः लोडिड था इसमें प्रस्तावित 40 मेगावोल्ट एम्पीयर का अतिरिक्त लोड वहन करने की क्षमता नहीं थी, अतः 132 किलोवोल्ट टावरों पर 66 किलोवोल्ट डबल सर्किट बद्दी-नालागढ़ लाईन का निर्माण प्रस्तावित किया गया।

2.11.6 लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 10.38 करोड़ का व्यय करने के पश्चात् दो ट्रांसफार्मरों को (66/11 किलोवोल्ट) दिसम्बर 2005 तथा दिसम्बर 2006 के दौरान और अन्य दो (66/33 किलोवोल्ट) को फरवरी 2006 व सितम्बर 2007 के दौरान लगाया गया। सम्बर्धित क्षमता की प्रयुक्ति नहीं की जा सकी क्योंकि संचारण लाईन कार्य के अधिनिर्णय में विलम्ब के कारण अपेक्षित संचारण लाईन को साथ-साथ पूर्ण नहीं किया गया था, जो जनवरी 2007 में पूर्णता की अनुसूचित तारीख के प्रति जुलाई 2009 में पूर्ण की गई थी। अतः संचारण लाईन की पूर्णता में विलम्ब के कारण 40 मेगावोल्ट एम्पीयर की प्रोन्नत क्षमता को 31 महीनों तक प्रयुक्त नहीं किया जा सका। इसके परिणामस्वरूप क्षमता सम्बर्धन तथा लाईन कार्य एक साथ न करवाने के कारण ₹ 10.38 करोड़ का अवरोधन तथा ₹ 2.95 करोड़ की ब्याज हानि हुई।

संचारण प्रणाली का निष्पादन

2.12 हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित का निष्पादन मुख्यतः न्यूनतम बाधाओं सहित गुणवत्तायुक्त विद्युत आपूर्ति हेतु इसके अतिरिक्त उच्च वेग संचारण नेटवर्क के कुशल अनुरक्षण पर निर्भर है। उप-स्टेशनों तथा लाइनों के परिचालन के समय उप प्रणालियों के संघटक में आपूर्ति मांग की रूपरेखा पहचानी जाती है और लाईन हानियों को कम करने तथा वोल्टेज रूपरेखा को सुधारकर विद्युत की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली सुधार स्कीमों को प्रारम्भ किया जाता है। ये स्कीमें विद्यमान ट्रांसफार्मर क्षमता के सम्बन्धन, अतिरिक्त ट्रांसफार्मरों के प्रतिष्ठापन, अतिरिक्त लाइनों को बिछाने और श्रमता संधारणों के प्रतिष्ठापन हेतु होती है। कम्पनी की प्रणाली के परिचालन एवं अनुरक्षण के सम्बन्ध में निष्पादन की चर्चा निम्नलिखित है:

संचारण प्रणाली/संचारण लाइसेंसधारी की लाइनों/मुक्त विद्युत उत्पादकों/उपभोक्ताओं के परिचालन एवं अनुरक्षणार्थ वार्षिक प्रभारों को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित द्वारा निर्धारित मानकों (अनुसूचित स्टाफ संख्या एवं सामग्री शीर्ष) पर वसूल किया जाना अपेक्षित है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित द्वारा पांच पार्टियों⁸ से ₹ 10.56 करोड़ की राशि वसूल नहीं की गई, जिसके कारणों को अभिलेख में नहीं दिया गया था।

संचारण क्षमता

2.12.1 कम्पनी उत्पादन स्टेशनों से विद्युत ले जाने और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में लोड वृद्धि की पूर्ति हेतु विभिन्न अतिरिक्त उच्च वेग वोल्टेजिज पर लाइनों और उप-स्टेशनों का निर्माण करती है। ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती करन्ट वोल्टेज तथा विभिन्न वोल्टेज के लिए करन्ट और अत्यधिक उच्च क्षमता पर करन्ट को परिवर्तित करता है। प्रक्रिया में न्यूनतम हानि सहित प्रत्यावर्ती करन्ट वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए वोल्टेज स्तरों को अधिक अथवा कम किया जा सकता है। निष्क्रमण सामान्यतः 220 किलोवोल्ट उप-स्टेशनों पर किया जाता है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत सीमित द्वारा मार्च 2012 को समाप्त पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के अंत पर संचारित क्षमता (अधिकतम मांग पूर्ति)की तुलना में सृजित संचारण क्षमता (220 किलोवोल्ट) निम्नलिखित तालिका 2.3 में दी गई है:

तालिका 2.3

संचारण क्षमता (मेगावोल्ट एम्पीयर में)				
वर्ष	प्रतिस्थापित क्षमता	30 प्रतिशत का मार्जिन छोड़ने के पश्चात	असमानता मांग सहित अधिकतम मांग	आधिक्य/ कमी (3-4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2007-08	2,472.86	1,731	1,108.72	622.28
2008-09	2,492.86	1,745	1,114.37	630.63
2009-10	2,492.86	1,745	1,217.87	527.13
2010-11	2,492.86	1,745	1,283.61	461.39
2011-12	2,492.86	1,745	1,184.11	560.89

8 हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित, मैसर्ज जे०पी० एसोसिएट्स, मैसर्ज अम्बुजा सीमेंट लिमिटेड, जल विद्युत परियोजना मलाना तथा पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड।

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि प्रत्येक वर्ष समग्र संचारण क्षमता आवश्यकता से अधिक थी। विद्यमान संचारण क्षमता, 30 प्रतिशत अतिरिक्त को निकालकर, मार्च 2012 के अंत तक ₹ 28.04 करोड़ मूल्य (₹ पांच करोड़ प्रति 100 मेगावोल्ट एम्पीयर/विद्युत ट्रांसफार्मर) की 560.89 मेगावोल्ट एम्पीयर से अधिक निकाली जो उपभोक्ता पर डाले गए बोझ का संचारण नेटवर्क में अतिरिक्त/व्यर्थ क्षमता तथा चालू ओवरलोड, कुछ स्थानों पर उच्च वोल्टेज संचारण के सृजन में अकुशल योजना को प्रदर्शित करता है।

हस्तांतरण क्षमता

2.12.2 लेखापरीक्षा ने देखा कि ₹ 4.86 करोड़ मूल्य के नौ विद्युत ट्रांसफार्मरों (जून 1997 तथा अगस्त 2009 के मध्य क्षतिग्रस्त) में से आठ मरम्मत सुविधाओं के न होने कारण मित्तव्ययी मरम्मत के अयोग्य बताए गए (मार्च 2012) और एक ट्रांसफार्मर अक्टूबर 2009 से मरम्मतार्थ पड़ा था (लारजी विद्युत गृह)। इसके अतिरिक्त, उप-स्टेशनों के सम्बर्धन के कारण ₹ 1.43 करोड़ कीमत के छः क्रियाशील ट्रांसफार्मरों को विखण्डित कर दिया गया (नवम्बर 1998 तथा जनवरी 2008 के बीच) जो उस समय से अप्रयुक्त पड़े हुए थे। अभिलेख में इनके कारणों का उल्लेख नहीं था। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित की मानवशक्ति आवश्यकता को यौक्तिक बनाने के लिए गठित समिति (अप्रैल 1996) ने भी खराब ट्रांसफार्मरों की मरम्मत के लिए रुना तथा सुन्दरनगर में कार्यशालाओं की स्थापना की सिफारिश की थी किन्तु उन्हें आज तक स्थापित नहीं किया गया था (मार्च 2012)। अभिलेख में इनके कारणों को नहीं पाया गया।

उप-स्टेशन

उप-स्टेशनों की पर्याप्तता

2.12.3 संचारण योजना मानदण्ड की नियमावली में विभिन्न उप-स्टेशनों हेतु अनुमत्य अधिकतम क्षमता अनुबद्ध है अर्थात् 220 किलोवोल्ट हेतु 320 मेगावोल्ट एम्पीयर और 132 किलोवोल्ट उप-स्टेशनों हेतु 150 मेगावोल्ट एम्पीयर तथा प्रत्येक 132 किलोवोल्ट क्षमता व अधिक के उप-स्टेशन हेतु कम से कम दो ट्रांसफार्मर होने चाहिए। इसके अतिरिक्त, राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा (जून 2004) जारी संचारण योजना एवं सुरक्षा मानदण्डों में इंगित है कि उप-स्टेशन में ट्रांसफार्मरों का आकार व संख्या की योजना इस ढंग से बनाई जानी चाहिए कि किसी एक ट्रांसफार्मर के आपूर्ति अवरोधन पर शेष ट्रांसफार्मर 80 प्रतिशत तक के लोड की आपूर्ति कर सके। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 66/33/11 किलोवोल्ट विद्युत उपलब्ध करवाने के लिए निर्मित सात उप-स्टेशनों⁹ के मामले में केवल एक ट्रांसफार्मर था जो संचारण योजना एवं सुरक्षा मानदण्डों के अनुसार नहीं था।

वोल्टेज प्रबन्धन

2.12.4 अंतर राज्य संचारण प्रणाली की प्रयुक्ति करने वाले लाइसेंसधारियों को ग्रिड वोल्टेज को सदैव सीमाओं में रहने हेतु सुनिश्चितता के लिए सभी सम्भव प्रयत्न करने चाहिए। भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता के अनुसार राज्य संचारण प्रयोज्यता को 220 किलोवोल्ट तथा 132 किलोवोल्ट लाइनों में क्रमशः 198-245 किलोवोल्ट और 119-145 किलोवोल्ट के

9 220/132 कांगू, 132/66 किलोवोल्ट सोलन, 132/33 किलोवोल्ट मलाना व कुनिहार, 132/11 किलोवोल्ट पांवटा, अम्ब तथा दाइलाघाट।

मूल्य की वोल्टेजिज का अनुरक्षण करना चाहिए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 220 किलोवोल्ट के आठ उप-स्टेशनों में से तीन¹⁰ उप-स्टेशनों की वोल्टेज 192-247 किलोवोल्ट के मध्य जबकि 25 उप-स्टेशनों में से 132 किलोवोल्ट के तीन¹¹ उप-स्टेशनों में 114 व 145 किलोवोल्ट के बीच वोल्टेज दर्ज की गई। अतः गुणवत्तायुक्त विद्युत उपलब्ध करवाने तथा संचारण हानियों को कम करने हेतु कम्पनी को मानकों के अनुसार अधिकतम व न्यूनतम वोल्टेजिज सीमाओं के अनुरक्षण को सुनिश्चित करना चाहिए था।

लाईनें

अतिरिक्त उच्च वेग लाईनें

2.12.5 संचारण योजना मानदण्डों की नियमावली के अनुसार अनुमत्य लाईन लोड थर्मल लोडिंग सीमा से अधिक नहीं हो सकता। थर्मल लोडिंग सीमा ऊर्जीकृत कण्डक्टरों द्वारा प्राप्त तापमान को सीमित करती है और लाइनों के झोल और कसाव शक्ति की हानि को रोकती है। इसके अतिरिक्त, थर्मल लोडिंग सीमा लाइनों के अधिकतम विद्युत प्रवाह को सीमित करती है। संचारण योजना मानदण्ड नियमावली के अनुसार ऐलुमिनियम कण्डक्टर स्टील रीइनफोर्सड पेंथर (210 वर्ग मिलिमीटर) कण्डक्टर सहित 132 किलोवोल्ट लाईन की थर्मल लोडिंग सीमा 366 एम्पीयर थी। 132 किलोवोल्ट फीडर पर लाईन लोडिंग की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि तीन मण्डलों¹² में 15 फीडरों 366 एम्पीयर से अधिक लोडिड थे (380 तथा 470 एम्पीयर के मध्य)। क्षमता से अधिक लाइनों की लोडिंग के परिणामस्वरूप वोल्टेज घटाव-बढ़ाव, उच्चतर संचारण हानियां तथा निर्बाध अवरोध/खराबियां आईं।

बस बार सुरक्षा पैनल

2.12.6 बस बार आवक तथा जावक संचारण लाइनों के अन्तः सम्बन्ध और विद्युत उप-स्टेशन के ट्रांसफार्मरों हेतु प्रयुक्त किया जाता है। बस बार संरक्षण पैनल समूचे विद्युत नेटवर्क पर बस बार दोषों के प्रभाव को सीमित करता है जो अनावश्यक चूकों को रोकता है और केवल उन्हीं चूक की वर्ण क्षमता को रोकता है जिससे बस बार दोष को ठीक करना आवश्यक होता है। ग्रिड मानकों तथा संचारण प्रणाली में श्रेष्ठ कार्यान्वयन के अनुसार बस बार संरक्षण पैनल ग्रिड व्यवधानों के दौरान प्रणाली स्थिरता रखने और 220 किलोवोल्ट बसिज पर दोषों को शीघ्र दूर करने के लिए सभी 220 किलोवोल्ट उप-स्टेशनों पर उपयोग हेतु रखा जाता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया (मार्च 2012) कि 220 किलोवोल्ट के आठ उप-स्टेशनों में से छः उप-स्टेशनों पर बस बार संरक्षण पैनल प्रतिस्थापित किए गए थे (1998 तथा 2010 के मध्य) और इनमें से एक उप-स्टेशन (जसूर) पर बस बार संरक्षण पैनलों को प्रचालनीय नहीं किया गया था जिसके अभिलिखित कारण लेखापरीक्षा में नहीं पाए गए। शेष दो उप-स्टेशनों (कांगू व कोटला) पर बस बार संरक्षण पैनलों को अभी प्रतिस्थापित (मार्च 2012) किया जाना था और शेष तीन बस बार संरक्षण पैनल संतोषप्रद कार्य कर रहे थे।

10 उपरला नंगल, काठा (बद्दी) तथा कांगू।

11 बजौरा, बिजनी तथा कांगू।

12 विद्युत उप-मण्डल: हमीरपुर, मंडी तथा बिलासपुर।

अनुरक्षण

करन्ट ट्रांसफार्मरों का निष्पादन

2.13 करन्ट ट्रांसफार्मर विद्युत ऊर्जा आपूर्ति नेटवर्कों के अति महत्वपूर्ण तथा गहन लागत के संघटकों में से एक है, अतः उनके अनुरक्षण व्यय घटाते हुए उनकी दीर्घ कार्यावधि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। करन्ट ट्रांसफार्मरों की प्रचालन अवस्थाओं के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना एकत्रित करने की दृष्टि से स्टैण्डर्ड ऑयल विलीन गैस विश्लेषण परीक्षण जैसे विभिन्न प्रकार के ऑयल विश्लेषण सामान्यतः किए जाते हैं। करन्ट ट्रांसफार्मर रोधन हेतु पृथक द्रव और, उसके साथ संसेचित ठोस रोधन का सम्मिश्रण प्रयोग किया जाता है। इस रोधन प्रणाली की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन, सामान्यतः विलीन गैस विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि करन्ट ट्रांसफार्मर के अंदर के दोष ऐसे ढंग से द्रव रोधन में अवक्रमण करते हैं कि गैसों का मिश्रण विफलता कारण की पहचान करने में सक्षम होता है। 2007-08 से 2011-12 के दौरान ट्रांसफार्मरों की खराबी की स्थिति निम्न तालिका 2.4 में दी गई है:

तालिका 2.4

(₹ लाख)

वर्ष	वर्षारम्भ में ट्रांसफार्मरों की संख्या	खराब ट्रांसफार्मरों की संख्या	गारण्टी अवधि में खराब हुए ट्रांसफार्मरों की संख्या	सामान्य कार्यकाल में खराब हुए ट्रांसफार्मरों की संख्या	मरम्मत तथा अनुरक्षण पर व्यय
1	2	3	4	5	6
2007-08	1,515	1	-	1	0.19
2008-09	1,527	1	-	1	1.72
2009-10	1,590	1	-	1	-
2010-11	1,620	8	-	8	11.79
2011-12	1,617	5	-	5	-
योग		16	0	16	13.70

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि कोई ट्रांसफार्मर गारंटी अवधि में खराब नहीं हुआ। सामान्य कार्यकाल में खराब हुए ट्रांसफार्मरों की वर्षवार प्रतिशतता 0.07 और 0.49 प्रतिशत के मध्य रही। कम्पनी ने 2007-12 के दौरान 16 ट्रांसफार्मरों की मरम्मत पर ₹ 13.70 लाख का व्यय किया।

संचारण हानियां

2.13.1 संचारण एवं वितरण नेटवर्क के माध्यम से उत्पादन स्टेशन से उपभोक्ताओं तक ऊर्जा ले जाने के समय कुछ ऊर्जा की हानि हो जाती है जिसे संचारण एवं वितरण हानि के रूप में परिभाषित किया गया है। संचारण हानि उत्पादन स्टेशन/ग्रिड से प्राप्त ऊर्जा और आगे वितरणार्थ दी गई ऊर्जा के मध्य का अंतर होता है। 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान 132 किलोवोल्ट फीडर लारजी I व II बिजनी, बजौरा तथा हमीरपुर I व II की

संचारण हानियों का ब्योरा निम्न तालिका 2.5 में दिया गया है:

तालिका 2.5

विवरण	यूनिट	वर्ष				
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
संचारण हेतु प्राप्त विद्युत	मिलियन यूनिट	764.77	1,182.32	1,464.46	1,566.49	1,174.08
कुल संचारित विद्युत	मिलियन यूनिट	718.49	1,114.40	1,386.72	1,483.73	1,106.40
वास्तविक संचारित हानि	मिलियन यूनिट	46.28	67.92	77.74	82.76	67.68
	प्रतिशतता	6.05	5.74	5.31	5.28	5.76
केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के मानक के अनुसार संचारण हानि	प्रतिशतता	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
राज्य विद्युत विनियामक आयोग के मानक के अनुसार संचारण हानि	प्रतिशतता	3.71	3.71	3.71	3.71	3.71
राज्य विद्युत विनियामक आयोग के मानक से अधिक संचारण हानि	मिलियन यूनिट	17.90	24.05	23.41	24.64	24.12
	₹ प्रति यूनिट	3.78	4.26	4.29	4.05	4.05
	₹ करोड़ में	6.77	10.25	10.04	9.98	9.77

स्रोत : कम्पनी द्वारा दी गई सूचना

तालिका से देखा जा सकता है कि मार्च 2012 को समाप्त सभी पांच वर्षों के दौरान संचारण हानियों की प्रतिशतता जावक व आवक किनारों पर विभिन्न परिशुद्धता के मीटरों को लगाने के कारण केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और राज्य विद्युत विनियामक आयोग के मानकों से अधिक रही। कम्पनी द्वारा राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा 2007-08 से 2011-12 के लिए निर्धारित मानकों की अधिकता में ₹ 46.81 करोड़ मूल्य के 114.12 मिलियन यूनिटों की संचारण हानियां उठानी पड़ी थी। उच्चतर हानियों वाले प्रत्येक फीडर हेतु उपचारात्मक कदम को बढ़ाने के लिए राज्य विद्युत विनियामक आयोग के निर्देशों को दोहराने के बावजूद अधिक हानियों के कारणों की छानबीन नहीं की गई।

संचारण एवं वितरण हानियों में प्रत्याशित बचत की अनुपलब्धि

2.13.2 हानियां कम करने हेतु अतिरिक्त उच्च वोल्टेज समिति ने अपनी 48वीं बैठक (जुलाई 2008) में अन्य बातों के साथ-साथ रौंड़ी से कुनिहार 220 किलोवोल्ट सिंगल सर्किट लाइन के निर्माण के साथ विद्यमान (तीन) 132 किलोवोल्ट फीडरों के 50 प्रतिशत लोड को 200 किलोवोल्ट प्रणाली से अपवर्तन का निर्णय लिया। लाइन को अगस्त 2008 से 14 महीनों के भीतर पूर्ण किया जाना था और इस लाइन के निर्माण के साथ कम्पनी की संचारण एवं वितरण हानियों में कमी 60 प्रतिशत प्रत्याशित थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 220 किलोवोल्ट सिंगल सर्किट लाइन का अभी तक (मार्च 2012) निर्माण नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप अक्टूबर 2009 से मार्च 2012 की अवधि के लिए संचारण एवं वितरण हानि में ₹ 18.07 करोड़ की प्रत्याशित बचत का लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ।

ग्रिड प्रबन्धन

ग्रिड प्रबन्धन एवं स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर का निष्पादन

2.14 उत्पादन स्टेशनों से उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत निष्क्रमण हेतु संचारण एवं ग्रिड प्रबन्धन आवश्यक कार्य हैं। ग्रिड प्रबन्धन विश्वसनीयता, सुरक्षा, मितव्ययता तथा विद्युत

प्रणाली की दक्षता की देख-रेख के लिए अन्तः सम्बन्ध विद्युत प्रणाली में प्रत्येक क्षण विद्युत संतुलन को सुनिश्चित करता है। भारत में ग्रिड प्रबन्धन का परिचालन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी ग्रिड संहिता में दिए गए मानदण्डों/निर्देशों के अनुसार किया जाता है। राष्ट्रीय ग्रिड में पांच क्षेत्र सम्मिलित हैं अर्थात् उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर पूर्वी तथा दक्षिण ग्रिड, सम्बन्धित क्षेत्र में विद्युत प्रणाली के सम्पूर्ण परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए है। इनमें प्रत्येक का क्षेत्रीय लोड डिस्पेच सेंटर एक शीर्ष निकाय है। उत्तरीय क्षेत्र लोड डिस्पेच सेंटर, दिल्ली का घटक स्टेट लोड डिस्पेच सेंटर राज्य में विद्युत प्रणाली के सम्पूर्ण परिचालन को सुनिश्चित करता है। राज्य सरकार ने अधिसूचित किया (अगस्त 2002) कि स्टेट लोड डिस्पेच सेंटर हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित द्वारा प्रचालित किया जाएगा। स्टेट लोड डिस्पेच सेंटर की सहायता के लिए दो क्षेत्रीय लोड डिस्पेच सेंटर होते हैं जो डाटा प्राप्ति और 132 किलोवोल्ट तथा 33 किलोवोल्ट उपकरणों का पर्यवेक्षी नियन्त्रण करता है। स्टेट लोड डिस्पेच सेंटर उत्पादन कम्पनियां तथा विद्युत के अन्तर राज्य संचारण में लगे लाईसेंसधारियों से ऐसे शुल्कों तथा प्रभारों को एकत्रित तथा प्रभारित करता है जो राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्दिष्ट किए गए हैं। ग्रिड और स्टेट लोड डिस्पेच सेंटर के अनुरक्षण के सम्बन्ध में कम्पनी के निष्पादन की चर्चा आगामी परिच्छेदों में की गई है।

लोड अनुश्रवण के लिए अवसंरचना

2.14.1 सभी उप-स्टेशनों हेतु ग्रिड मानकों के अनुसार आपातकाल के दौरान लोड डिस्पेच सेंटरों में संचारण प्रणाली तथा लोड्स की दक्षता के अनुश्रवणार्थ रिमोट टर्मिनल यूनिट/उप-स्टेशन प्रबन्धन प्रणाली आवश्यक है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वहां नौ 220 किलोवोल्ट उप स्टेशन तथा नौ जनरेटर थे जिसमें आठ 220 किलोवोल्ट उप-स्टेशनों (89 प्रतिशत) और केवल चार जनरेटरों (44 प्रतिशत) को कुशल ऊर्जा प्रबन्धन प्रणाली हेतु वास्तविक समय डाटा दर्ज करने को रिमोट टर्मिनल यूनिटों को उपलब्ध करवाया गया था। इसके अतिरिक्त स्टेट लोड डिस्पेच सेंटर के पास विभिन्न स्थानों पर स्थापित रिमोट टर्मिनल यूनिटों में कोई डाटा संग्रहण अथवा बैकअप सुविधाएं नहीं हैं तथा प्रणाली विकास हेतु कोई कदम नहीं उठाए गए थे।

आवृत्ति प्रबन्धन द्वारा ग्रिड नियंत्रण

2.14.2 ग्रिड संहिता के अनुसार संचारण प्रयोज्यताओं द्वारा ग्रिड के कुशल संचालनार्थ ग्रिड नियंत्रण का अनुरक्षण करना अपेक्षित है। ग्रिड के सभी नियुक्त सदस्यों द्वारा उत्पादन क्षमताओं में कमियां, उच्च मांग, लोड उत्पादन संतुलन अनुरक्षण में ग्रिड अनियंत्रण, अपर्याप्त लोड अनुश्रवण एवं प्रबन्धन तथा अनुमत आवृत्ति स्तरों से कम अथवा अधिक की ग्रिड जैसे विभिन्न कारणों हेतु प्रणाली आवृत्ति का 49 व 50.5 हर्टज के मध्य (मार्च 2009 से प्रभावी 49.2 व 50.3 हर्टज) अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है। ग्रिड नियंत्रण लागू करने हेतु स्टेट लोड डिस्पेच सेंटर तीन प्रकार के उल्लंघन संदेश (क,ख,ग) जारी करता है। संदेश क उस समय जारी किया जाता है जब आवृत्ति 49.2 हर्टज से कम तथा अधिक निकासी 50 मेगावाट से अधिक या अनुसूची का 10 प्रतिशत, जो भी कम हो, होती है। उल्लंघन ख संदेश उस समय जारी किया जाता है जब आवृत्ति दस मिनटों से अधिक के लिए 49.2 हर्टज से कम तथा अधिक निकासी 50 व 200 मेगावाट के मध्य हो अथवा 200 मेगावाट पांच मिनटों से अधिक रहे। संदेश ग (गंभीर प्रकृति) संदेश ख के जारी होने के 15 मिनट पश्चात् जारी किया जाता

हैं जब आवृत्ति निरन्तर 49.2 हर्टज से कम रहे तथा अधिक निकासी 100 मेगावाट से अधिक अथवा अनुसूची का दस प्रतिशत, जो भी कम हो, रहे ।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित ने 2009-10 में 2 ग संदेश प्राप्त किए जो 2011-12 के दौरान बढ़कर 4 हो गए। अतः 15 मिनटों से अधिक विद्युत निकासी 49.2 हर्टज से कम रहने के कारण ग संदेशों की वृद्धि ग्रिड नियंत्रण पर प्रश्न उठाती है यद्यपि केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा कोई शास्ति नहीं लगाई गई थी (मार्च 2012 तक)

बेकिंग डाउन निर्देश

2.14.3 जब आवृत्ति आदर्श सीमाओं से बढ़ जाए अर्थात् जहां उत्पादन अधिक तथा निकासी कम हो (50 हर्टज से अधिक की आवृत्ति पर), तो स्टेट लोड डिस्पेच सेंटर सम्पूर्ण ग्रिड परिचालनों और राज्य में विद्युत प्रणाली के परिचालन में अधिकतम मितव्ययता व दक्षता प्राप्ति की सुनिश्चितता हेतु जनरेटरों को उत्पादन कम करने के लिए बेकिंग डाउन निर्देश जारी करने की कार्रवाई करता है। जनरेटरों द्वारा स्टेट लोड डिस्पेच सेंटर निर्देशों का पालन न करना ग्रिड संहिता की अवमानना मानी जाती है तथा शास्तियां लगाई जाती हैं जो ₹ पांच लाख से अधिक नहीं होती। कम्पनी ने उन्हें दूरभाष के द्वारा जारी बेकिंग डाउन अनुदेश का कोई भी अभिलेख अनुरक्षित नहीं किया था जिसके अभाव में लेखापरीक्षा में बेकिंग डाउन निर्देश की अनुपालना की जांच नहीं की जा सकी।

विद्युत प्रापणार्थ योजना

2.14.4 कम्पनी ने अनुबंधित उत्पादन क्षमता, केन्द्रीय क्षेत्र से आबंटन तथा भविष्य की प्रतिबद्ध परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए दीर्घावधि आपूर्ति योजना बनाई और राज्य में विद्युत की निवल अतिरिक्त आवश्यकता तैयार की। इसने अपनी दैनिक विद्युत आवश्यकता के निर्धारणार्थ एक दिन पहले योजना बनाई। 2007-08 से 2011-12 के पांच वर्षों हेतु राज्य की कुल आवश्यकता, आपूर्ति की गई कुल विद्युत और विद्युत की कमियां निम्न तालिका 2.6 में दी गई है:

तालिका-2.6

(आंकड़े मिलियन युनिटों में)

क्रमांक	ब्योरा	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	कुल विद्युत आवश्यकता	7,340.94	8,041.51	8,500.87	9,691.26	9,761.48
2	कुल विद्युत आपूर्ति ¹³	7,189.20	8,014.50	8,322.24	9,582.91	9,694.92
3	विद्युत की कम आपूर्ति	151.74	27.01	178.63	108.35	66.56
4	कमी की प्रतिशतता	2.07	0.34	2.10	1.12	0.68

उपरोक्त से देखा जा सकता है कि 2007-08 से 2011-12 के दौरान विद्युत आपूर्ति की कमी 0.34 प्रतिशत तथा 2.10 प्रतिशत के मध्य थी।

13 उत्पादन, अल्प व दीर्घावधि खरीदें तथा केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों से निकासी सहित।

मांग आपूर्ति में अन्तराल की स्थिति भी वास्तविक उत्पादन अथवा वास्तविक निकासी और सूची अनुसार उत्पादन या सूची अनुसार निकासी के मध्य भिन्नता बताती है जो स्टेट लोड डिस्पेच सेंटर द्वारा प्रत्येक 15 मिनटों के समय अवरोध हेतु निकाले गए गैर-अनुसूचित विनिमय प्रभारों के माध्यम से संगणित है। गैर-अनुसूचित प्रभार पूर्व प्रतिबद्ध दैनिक अनुसूची से भिन्नता पर ऊर्जा की आपूर्ति एवं ऊर्जा की खपत हेतु लगाए जाते हैं। ये प्रभार आपूर्ति/खपत के समय प्रचलित प्रणाली आवृत्ति सहित परिवर्ती व्युत्क्रमानुपाती है। अतः यह आपूर्ति के समय ऊर्जा का बहुत कम मूल्य प्रदर्शित करता है। अनुसूचित विनिमय प्रभार न्यून आवृत्ति अवस्थाओं के दौरान के केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों से निकासियों पर नियन्त्रण के लिए वाणिज्यिक निवारक के रूप में कार्य करते हैं।

उत्तरी क्षेत्र विद्युत बोर्ड स्कीम के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित में संस्थापित (अगस्त 2002) स्टेट लोड डिस्पेच सेंटर उत्पादन सूची बनाने, दैनिक आधार पर एक दिन पहले लोड आवश्यकता, विभिन्न फीडरों पर लोड विनियमित करने, भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता के अनुसार क्षेत्रीय ग्रिड से निकासी और गैर-अनुसूचित विनिमय तन्त्र के अन्तर्गत उच्चतर दरों पर न्यून आवृत्ति व्यवस्था के दौरान गैर-सूची/अधिक निकासी का प्रबंध करने/रोकने के लिए उत्तरदायी है। लेखापरीक्षा में देखा गया कि स्टेट लोड डिस्पेच सेंटर ने 2007-08 से 2011-12 के दौरान गैर-अनुसूचित विनिमय दरों के अन्तर्गत ₹ 432.49 करोड़ मूल्य के 1,021.42 मिलियन यूनिटों की निकासी अनुमत की जिसका ब्योरा निम्नलिखित तालिका 2.7 में दिया गया है:

तालिका-2.7

विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
अनुसूचित ऊर्जा (मिलियन यूनिट)	1,416.24	783.69	1,393.06	1,222.84	1,300.35
वास्तविक निकासी (मिलियन यूनिट)	1,587.65	867.94	1,673.50	1,480.67	1,527.84
अधिक निकासी (मिलियन यूनिट)	171.41	84.25	280.44	257.83	227.49
अनुसूचित विनिमय प्रभार (₹ करोड़ में)	82.45	48.91	124.95	90.35	85.83
अनुसूचित विनिमय प्रभार दर की प्रति यूनिट औसत ₹ में	4.81	5.81	4.46	3.50	3.77

2009-10 तथा 2011-12 के दौरान ग श्रेणी के संदेशों की प्राप्ति के बावजूद कम्पनी ने न्यून आवृत्ति के दौरान गैर-योजना विद्युत निकासी को दूर करने हेतु न तो बड़े औद्योगिक आपूर्ति उपभोक्ताओं की लोड योजना/लोड अनुसूची का सहारा लिया न ही एक दिन पहले अवास्तविक अनुसूची के कारणों की छानबीन की। अन्तिम सम्मेलन के दौरान गैर-अनुसूचित विद्युत निकासी के कारण शीतकाल और बाढ़ों के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित के विद्युत गृहों में विद्युत का कम उत्पादन बताया गया। समापन सम्मेलन के दौरान बताए गए कारण स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि यह अनुपयुक्त योजना और न्यून आवृत्ति अवस्था में विद्युत निकासी के कारण था।

आपदा प्रबन्धन

2.14.5 आपदा प्रबन्धन का लक्ष्य प्रणाली पर मुख्य खराबी के प्रभाव को कम करना तथा कम से कम सम्भव समय में इसे बहाल करना है। कुशल संचालन के अनुसार मुख्य विफलता की स्थिति में संचारण प्रणाली की शीघ्र बहाली हेतु सभी विद्युत प्रयोज्यताओं द्वारा आपदा प्रबन्धन

स्थापित किया जाना चाहिए। इसे आपातकालीन बहाली प्रणाली, डी जी सेटों, वाहनों, अग्निशमन उपकरणों, कुशल एवं विशिष्ट जनशक्ति द्वारा किया जाना चाहिए।

आपदाओं की स्थिति में आपदा प्रबन्धन केन्द्र, राष्ट्रीय लोड डिस्पेच सेंटर, नई दिल्ली केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष के रूप में कार्य करते हैं। आपदा प्रबन्धन कार्यक्रम के भाग के रूप में ब्लैक स्टार्ट¹⁴ के दौरान उत्पादन स्टेशनों को चालू करने का अभ्यास कम्पनी द्वारा केवल जनवरी तथा फरवरी 2012 के दौरान किया गया था।

आपदा प्रबन्धनार्थ अपर्याप्त सुविधाएं

2.14.6 स्टेट लोड डिस्पेच सेंटर ने राज्य में कम्पनी के 13 मुख्य उत्पादन स्टेशनों की (प्रतिष्ठापित क्षमता के 5 मेगावाट तथा अधिक के) पहचान की है। इनमें से ब्लैक स्टार्ट सुविधा केवल शिमला जिला में आंध्र विद्युत गृह (16.96 मेगावाट) में उपलब्ध थी तथा किन्नौर जिला में भावा विद्युत गृह (1989 के दौरान लगाया गया 120 मेगावाट) में डी जी सेट लगाने का कार्य प्रगति पर था (मार्च 2012)।

ऊर्जा लेखांकन एवं लेखापरीक्षा

2.15 संचारण हानियों के निर्धारण तथा कम करने हेतु ऊर्जा लेखांकन एवं लेखापरीक्षा अनिवार्य है। संचारण हानियों की गणना उत्पादन से संचारण और संचारण से वितरण बाऊंडरी मीटरिंग बिन्दुओं तक प्राप्त रीडिंग उपकरण रीडिंग से की जाती है।

31 मार्च 2012 को तीन मण्डलों¹⁵ के अंतर्गत नमूना-जांच किए गए छः उत्पादन से संचारण बिन्दुओं में से दो मामलों में उत्पादन उप-स्टेशनों तथा संचारण उप-स्टेशनों पर एक की परिशुद्धता श्रेणी के (एक मामले में 0.2 तथा एक मामले में 0.5) मीटरों को उपलब्ध किया गया जबकि अन्य चार मामलों में विभिन्न परिशुद्धता श्रेणियों के (0.2 व 0.5 दो मामलों में तथा 0.5 व 0.2 दो मामलों में) मीटरों को उपलब्ध करवाया गया।

इसके अतिरिक्त, नमूना जांच किए गए 12 संचारण वितरण बिंदुओं में से छः मामलों में एक ही परिशुद्धता श्रेणियों (4 मामलों में 0.2 व दो मामलों में 0.5) के मीटरों में स्थापित किया गया था। जबकि शेष छः मामलों में अग्रेषण तथा प्राप्ति के बिंदुओं में विभिन्न परिशुद्धता श्रेणियों के (0.2 व 0.5 के मध्य) को प्रतिष्ठापित किया गया था। इसके अतिरिक्त, दस फीडरों सहित पांच¹⁶ मण्डलों का 2007-08 से 2011-12 की अवधि हेतु डाटा का विश्लेषण छः फीडरों में हानियों की 4.03 व 6.88 प्रतिशत के मध्य की उच्च प्रतिशतता की विद्यमानता इंगित करता था। पांच फीडरों के अशुद्ध/दोषपूर्ण मीटर भी थे और ऋणात्मक हानियां 0.76 व 7.07 प्रतिशत के मध्य देखी गईं। यह भी देखा गया कि आगत व निर्गत बिंदुओं पर विभिन्न श्रेणियों के मीटरों की प्रयुक्ति के कारण ऋणात्मक हानियां थीं तथा करन्ट ट्रांसफार्मरों और विद्युत ट्रांसफार्मरों की बिना संगतता के मीटरों को बदलने के परिणामस्वरूप ऊर्जा लेखांकन तथा संचारण हानियों की कार्यप्रणाली यथार्थहीन हो गई।

14 आंशिक अथवा पूर्ण ब्लैक आऊट से बहाली की आवश्यक प्रक्रिया।

15 विद्युत प्रणाली मण्डल: बिलासपुर, मंडी तथा डुडू।

16 विद्युत प्रणाली मण्डल: हमीरपुर, नाहन, डुडू, बिलासपुर तथा मंडी।

वित्तीय प्रबन्धन

2.16 राष्ट्रीय विद्युत नीति, 2005 के मुख्य उद्देश्यों में से एक विद्युत क्षेत्र के वित्तीय प्रबन्धन और वाणिज्यिक व्यवहार्यता को सुनिश्चित बनाना था। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित की 2007-08 से 2011-12 की अवधि और हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण आयोग सीमित की 2008-09 से 2011-12 की अवधि हेतु दोनों की वित्तीय स्थिति निम्न **तालिका 2.8** में इंगित है:

तालिका 2.8

(₹ करोड़)

विवरण	हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड सीमित ¹⁷					हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित			
	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 ¹⁸	2011-12 ¹⁸	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
क. दायित्व									
प्रदत्त पूंजी	334.00	372.23	971.78	971.78	971.78	11.00	56.70	116.70	166.70
आरक्षित एवं अधिशेष (पूँजीगत अनुदानों सहित)	1,333.86	1,530.08	1,775.68	2,471.58	2706.60	-	-	-	-
उधारी (ऋण निधियाँ)	2,300.27	1,940.39	2,234.26	3,680.14	4,177.79	1.50	0.44	-	-
उपभोक्ताओं की जमा प्रतिभूति				228.50	243.57			-	-
चालू दायित्व एवं प्रावधान	2,423.12	3,049.60	3,391.70	2,245.29	2,733.98	2.81	1.57	2.27	8.77
योग	6,391.25	6,892.30	8,373.42	9,597.29	1,0833.72	15.31	58.71	118.97	175.47
ख. परिसम्पत्तियाँ									
सकल खण्ड	3,564.76	4,271.34	4,644.54	4,713.68	5,293.85	0.28	0.63	1.01	6.49
घटाएँ: मूल्यह्रास	552.91	649.56	754.91	889.14	1082.42	0.04	0.20	0.45	0.57
निवल अचल परिसम्पत्तियाँ	3,011.85	3,621.78	3,889.63	3,824.54	4,211.43	0.24	0.43	0.56	5.92
प्रगतित पूँजीगत कार्य	1,098.53	997.78	1,040.28	1,266.78	1,266.08	3.94	8.27	11.97	15.47
स्थगित लागत	104.81	135.72	129.22	128.20	125.34	-	-	-	-
निवेश	815.66	1,121.04	1,907.56	2,126.71	2,233.03	-	-	-	-
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम	1,091.80	779.56	1,017.80	1,350.01	1,584.19	10.86	48.05	101.46	149.99
विविध व्यय	5.93	6.06	5.75	6.90	6.97	-	-	-	-
संचित हानियाँ	262.67	230.36	383.18	894.15	1406.68	0.27	1.96	4.98	4.09
योग	6,391.25	6,892.30	8,373.42	9,597.29	1,0833.72	15.31	58.71	118.97	175.47
ऋण इक्विटी अनुपात	6.89:1	5.21:1	2.30:1	3.79:1	4.30:1	0.14:1	0.01:1	-	-
व्याज (पूँजीकृत निर्माण दौरान ब्याज ¹⁹ का निवल)	72.99	75.39	76.81	85.57	391.96	-	-	-	-
कुल प्रतिफल	152.09	204.58	23.39	(-) 249.11	(-) 278.86	--	-	-	-
नियोजित पूँजी	2,779.06	2,349.52	2,556.01	4,196.04	4,327.72	12.23	55.18	111.72	162.61
नियोजित पूँजी पर प्रतिफल प्रतिशतता	5.47	8.70	0.94	(-)5.94	(-)6.44	-	-	-	-

उपरोक्त से देखा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित की संचित हानि 2007-08 में ₹ 262.67 करोड़ से 435.53 प्रतिशत बढ़कर 2011-12 में ₹ 1406.68 करोड़

17 हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित सभी तीन कार्यकलापों (उत्पादन, संचारण एवं वितरण) को कर रहा है तथा समेकित आंकड़े लेखाओं में दिये गए हैं, अतः संचारण कार्यकलाप हेतु पृथक आंकड़े प्राप्त नहीं किये जा सकते।

18 अनंतिम आंकड़े (अलेखापरीक्षित लेखे)

19 निर्माण दौरान ब्याज।

(अनंतिम) हो गई। कम्पनी की उधारी मार्च 2012 को ₹ 4,177.79 करोड़ थी। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित का ऋण इक्विटी अनुपात इक्विटी में ₹ 334 करोड़ (2007-08) से ₹ 971.78 करोड़ (2011-12) की वृद्धि के कारण 6.89:1 (2007-08) से घटकर 4.30:1 (2011-12) हो गया। नियोजित पूंजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता चालू दायित्वों में ₹ 2,423.12 करोड़ (2007-08) से बढ़कर ₹ 2,733.98 करोड़ (2011-12) होने के कारण 2007-08 में 5.47 से घटकर 2011-12 में (-) 6.44 हो गई। लेखापरीक्षा में देखे गए हानियों/अवसूली/अल्प वसूली /अनियमित व्यय के मामलों पर चर्चा निम्नांकित है:

2.16.1 व्यय विनियमों का उप विनियम 8 (अप्रैल 2005) अनुबन्धित करता है कि आवेदक को कार्य आरम्भ करने से पूर्व मांग नोटिस पर 100 प्रतिशत भुगतान जमा करना होगा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 12 उपभोक्ताओं से ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लागत डाटा पर आधारित 100 प्रतिशत लागत अंश तथा विभागीय प्रभागों को प्राप्त किये बिना यूटिलिटी लोड जारी/बढ़ाने (2008 से 2011) के परिणामस्वरूप ₹ 17.12 करोड़ (वास्तविक व्यय प्रति किलोवोल्ट एम्पीयर/मेगावोल्ट एम्पीयर पर संगणित की गई)की वसूली नहीं हुई जिसका विवरण परिशिष्ट 2.3 में दिया गया है।

2.16.2 हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित ने ₹ 10.57 करोड़ की आकलित लागत के प्रति ₹ 5.40 करोड़ के आंशिक जमा की प्राप्ति पर हिमाचल शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से जमा शीर्ष के अंतर्गत बटोलीकलां में (नालागढ़) 66/11 किलोवोल्ट, 1 X 20 मेगावोल्ट एम्पीयर उप-स्टेशन के निर्माण (सामग्री आपूर्ति तथा निर्माण आदि) का ठेका दिया (अप्रैल 2011)। शेष ₹ 5.17 करोड़ की राशि अभी तक बकाया थी।

2.16.3 राज्य सरकार की राज्य स्तरीय विंडो क्लियरेंस एवं प्रबन्धक अभिकरण ने उपभोक्ता के खर्च पर कुनिहार के 220 किलोवोल्ट उप-स्टेशन से 15 मेगावोल्ट एम्पीयर का अतिरिक्त लोड उपभोक्ता (मैसर्ज जे0पी0ए0एल0 सीमेंट संयंत्र, बाघा) को जारी किया (मई 2008)। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित की अतिरिक्त उच्च वोल्टेज समिति ने निर्णय लिया (अगस्त 2009) कि उपभोक्ता तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित के मध्य समान भागीदारी आधार पर कुनिहार से रौडी 220 किलोवोल्ट लाईन आदि का निर्माण करेगा जो राज्य सरकार के निर्णय का उल्लंघन था। परिणामतः हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित ने ₹ 15.93 करोड़ के 50 प्रतिशत परिहार्य दायित्व की साझेदारी की और उपभोक्ता को अनुचित लाभ पहुंचाया।

2.16.4 हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित ने ठेकेदार को 220 किलोवोल्ट डी0/सी0 पलचन -ए0डी0 हाईड्रो स्विचयार्ड संचारण लाईन के निर्माण के लिए मई 2010 में ₹ 1.10 करोड़ की राशि ब्याज अग्रिम के रूप में जारी किया। अग्रिम को ठेकेदार से प्रत्येक बिल से 20 प्रतिशत की दर पर वसूल किया जाना था। किन्तु कम्पनी केवल ₹ 33.17 लाख ही वसूल कर सकी और शेष ₹ 76.83 लाख की राशि काम रोकने तथा ठेकेदार द्वारा कोई बिल प्रस्तुत न करने के कारण जून 2010 से वसूल नहीं की गई। अतः कुल वसूल योग्य राशि ₹ 16.90 लाख (जून 2010 से मार्च 2012) के ब्याज सहित ₹ 93.73 लाख बनती थी।

2.16.5 भावी हाईडल परियोजनाओं से अतिरिक्त उच्च वेग लाइनों तथा उप-स्टेशनों का निर्माण कार्य हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड समिति द्वारा हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित के सुपुर्द किया गया। कुछ श्रेणियों के 33 पदाधिकारियों की स्वीकृत संख्या के प्रति 57 अधिकारी /कर्मचारी अन्यत्र अस्थायी विशेष नियुक्ति आधार पर हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित से नियुक्त किए गए (अप्रैल 2010) जिसका औचित्य अभिलेख में नहीं पाया गया।

परिणामतः, हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित ने मार्च 2012 तक स्वीकृत पदों से अधिक तैनात 24 पदाधिकारियों के वेतन पर ₹ 2.11 करोड़ का अनियमित व्यय किया।

2.16.6 राजस्व उद्ग्रहण, निवल आधिक्य/हानि तथा उपार्जन/लागत प्रति यूनिट जैसे कार्यचालन परिणामों का ब्योरा निम्न तालिका 2.9 में दिया गया है:

तालिका 2.9

(₹ करोड़)


क्रमांक	विवरण	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित					हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित			
		2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 ²⁰	2011-12 ²⁰	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12 ²⁰
1	आय									
	राजस्व	2,139.50	2,813.37	2,838.35	2,914.60	3,818.03	---	---	---	---
	व्याज/उपदान सहित अन्य आय	212.98	152.69	210.39	76.60	125.60	2.16	1.32	3.84	10.28
	कुल आय	2,352.48	2,966.06	3,048.74	2,991.20	3,943.63	2.16	1.32	3.84	10.28
2	संचारण									
(क)	प्रतिस्थापित क्षमता (मेगावॉल्ट एम्पीयर)	2,481.30	2,641.50	2,750.50	2,966.00	2,997.00				
(ख)	उत्पादन यूनिटों (मिलियन यूनिट ²¹) से प्राप्त विद्युत	1,763.43	1,967.01	1,705.89	1,933.72	1,905.63				
(ग)	खरीदी गई विद्युत (मिलियन यूनिट)	5,425.76	6,047.50	6,616.35	7,649.19	7,789.29				
	योग	7,189.19	8,014.51	8,322.24	9,582.91	9,694.92				
(घ)	संचारण एवं वितरण में हानि (मिलियन यूनिट)	972.14	1,055.79	1,223.89	968.94	1,179.32				
(ङ)	निवल विद्युत (बेची गई) संचारित (ख)+(ग)-(घ) मिलियन यूनिटों में	6,217.05	6,958.72	7,098.35	8,613.97	8,515.60				
3	व्यय									
(क)	निर्धारित लागत									
(i)	कर्मचारी लागत	547.96	612.77	729.64	724.48	1027.65	0.24	2.28	4.56	6.18
(ii)	प्रशासनिक एवं सामान्य खर्च	31.38	49.34	48.31	39.84	44.46	0.10	0.62	1.83	2.40
(iii)	मूल्यह्रास	87.99	96.96	105.53	110.44	193.42	0.04	0.17	0.25	0.25
(iv)	व्याज तथा वित्त प्रभार (पूजीकरण परचात् निवल)	177.47	172.25	176.21	141.59	248.14	---	--	--	---
(v)	अन्य खर्च	(-) 21.95 ²²	20.86	(-) 60.17 ²²	1.36	0.15	---	--	--	---
	कुल निर्धारित लागत	822.85	952.18	999.52	1017.71	1513.82	0.38	3.07	6.64	8.83
(ख)	परिवर्ती लागत-मरम्मत एवं अनुरक्षण	1,555.01	1,981.57	2,202.04	2,309.85	2,711.58	--	--	--	---
(ग)	कुल लाकत 3(क)+ 3(ख)	2,377.86	2,933.75	3,201.56	3,327.56	4,225.40	0.38	3.07	6.64	8.83
4	निवल लाभ/हानि (1-3)	(25.38)	32.31	(152.82)	(336.36)	(281.77)	1.78	(-) 1.75	(-) 2.80	1.45
5	वसूली (₹ प्रति यूनिट)	3.78	4.26	4.29	3.47	4.63				
6	निर्धारित लागत (₹ प्रति यूनिट)	1.32	1.37	1.41	1.18	1.78				
7	परिवर्ती लागत (₹ प्रति यूनिट)	2.50	2.85	3.10	2.68	3.18				
8	कुल लागत (₹ प्रति यूनिट) (6+7)	3.82	4.22	4.51	3.86	4.96				
9	अंशदान (₹ प्रति यूनिट) (5-7)	1.28	1.41	1.19	0.79	1.45				
10	लाभ (+)/हानि(-) (5-8) (₹ प्रति यूनिट)	(-) 0.04	0.04	(-) 0.22	(-) 0.39	(-) 0.33				
11	आधिक्य (+)/घाट(-) लाभ/हानि प्रति x यूनिट निवल विद्युत विक्रय x 10	(-)24.87	27.83	(-)156.16	(-)335.94	(-)281.01				

- 20 अनंतिम आंकड़े (अलेखापरीक्षित लेखे)
 21 निजी उत्सर्जित इकाइयों का उत्पादन सम्मिलित है।
 22 पूर्व अवधि समायोजन के कारण आंकड़े नकारात्मक हैं।

उपरोक्त से देखा जा सकता है कि प्रति यूनिट वसूली में यद्यपि 2007-12 के दौरान ₹ 3.78 से ₹ 4.63 की वृद्धि हुई (22.49 प्रतिशत), तथापि उसी अवधि के दौरान प्रति यूनिट लागत आवृत्त करने हेतु पर्याप्त नहीं थी जिसकी वृद्धि उसी अवधि में ₹ 3.82 से ₹ 4.96 (29.84 प्रतिशत) प्रति यूनिट रही। पुनः, 2007-12 में ₹ 3642.50 करोड़ की कर्मचारी लागत मुख्य घटक बनी जो कुल लागत के 22.67 प्रतिशत को निरूपित करती है।

परिचालन लागत की वसूली

2.16.7 31 मार्च 2012 को समाप्त विगत पांच वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित की प्रति यूनिट हानि को निम्न ग्राफ में दिशाया गया है:




उपरोक्त ग्राफ से विदित होगा कि 2007-12 के दौरान प्रति यूनिट वसूली एवं लागत के संदर्भ में, 2008-09 के दौरान 0.04 पैसे प्रति यूनिट का आधिक्य छोड़कर, घाटा प्रति यूनिट 0.04 पैसे व 0.39 पैसे के मध्य रहा, परिणामतः ₹ 770.15 करोड़ का कुल घाटा हुआ। यह घाटा कर्मचारी लागत, ब्याज व वित्त प्रभारों को कम करके, उपरोक्त अवधि के दौरान न्यून आवृत्ति रीजिम में विद्युत की उच्चतर दरों की आदर्श अनुसूची द्वारा पूरा किया जा सकता था।

लागत घटक


2.16.8 2011-12 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तथा हिमाचल प्रदेश संचारण आयोग सीमित के सम्बन्ध में लागतों के मुख्य घटकों का प्रतिशतता ब्योरा नीचे दिया गया है:

हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड सीमित



पाई चार्ट लागत घटकों की प्रतिशतता प्रदर्शित करता है जिसमें विद्युत खरीद (64.17 प्रतिशत) तथा कर्मचारी लागत (24.32 प्रतिशत) सहित मरम्मत एवं अनुरक्षण लागत निधियों हेतु अनुप्रयोग मुख्य शीर्ष थे।


हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित



पाई चार्ट में कर्मचारी लागत (69.99 प्रतिशत) तथा प्रशासकीय एवं सामान्य खर्च (27.18 प्रतिशत) खर्चों के मुख्य घटक के रूप में प्रतिबिम्बित है।

राजस्व घटक

16.9 विद्युत की बिक्री राजस्व का मुख्य घटक है। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत संचारण निगम सीमित (27 अगस्त 2008 को गठित) ने जनशक्ति की अनुचित तैनाती तथा अपेक्षित अवसंरचना के सृजन न करने के कारण अभी तक अपना वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ नहीं किया था। अतः कम्पनी ने विद्युत संचारण से कोई आय अर्जित नहीं की। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित द्वारा 2011-12 हेतु अर्जित राजस्व के विखण्डन की प्रतिशतता निम्न पाई चार्ट में दी गई है।



पाई चार्ट हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित की राजस्व स्थिति को प्रतिबिम्बित करता है, जिसमें विद्युत की बिक्री से प्राप्त राजस्व आय का (96.82 प्रतिशत) मुख्य स्रोत है।

स्टेट लोड डिस्पेच सेंटर प्रभारों की संग्रहण

2.16.10 स्टेट लोड डिस्पेच सेंटर शुल्क तथा परिचालन प्रभार हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत आरम्भ किए गए (अक्टूबर 2007)। इन विनियमों के अनुसार स्टेट लोड डिस्पेच सेंटर की लागत पर गणित मेगावाटों में संचारित विद्युत प्रमात्रा और उपभोक्ता की कुल अनुबंधित क्षमता (पूंजी लागत/ कुल अनुबंधित क्षमता), जहां स्टेट लोड डिस्पेच सेंटर परिचालन प्रभारों (विनियम 34) को प्रति मेगावाट मासिक अथवा उसके भाग हेतु वसूल किया जाना/ लगाया जाना था, पर आधारित शुल्क की वार्षिक वसूली की जानी थी। अगस्त 2002 से हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित भारतीय विद्युत ग्रिड निगम सीमित के समन्वय से राज्य लोड डिस्पेच सेंटर का परिचालन कर रहा था। अब, राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना (नवम्बर 2010) के अनुसार स्टेट लोड डिस्पेच सेंटर का परिचालन हिमाचल प्रदेश सोसाइटी विनियम अधिनियम, 2006 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य लोड डिस्पेच सेंटर द्वारा पंजीकृत किया जाएगा (फरवरी 2011)। किन्तु सोसाइटी ने मार्च 2012 तक स्टाफ और अन्य व्यवधानों के कारण कार्य आरम्भ नहीं किया। इसके अतिरिक्त, राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने अपनी शुल्क सूची विनियम के (अक्टूबर 2007 का 1,476) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित को स्टेट लोड डिस्पेच सेंटर के कार्याकलापों हेतु पृथक वार्षिक राजस्व आवश्यकता बनाने, जिसे अभी तक (मार्च 2012) नहीं बनाया गया था, के निर्देश सहित शुल्क तथा स्टेट लोड डिस्पेच सेंटर प्रभारों को भी निर्धारित किया गया था।

शुल्क सूची निर्धारण

2.16.11 कम्पनी की वित्तीय व्यवहार्यता विवेकपूर्ण वित्तीय कार्यों को अपनाकर अपनी परिचालन आवश्यकताओं की वित्त व्यवस्था और भावी पूंजीगत प्रसार कार्यक्रम परिचालनों से उत्सृजन के आधिक्य (उचित प्रतिफलों सहित) पर निर्भर करती है। कम्पनी की निधियों के सृजन का मुख्य स्रोत राजस्व वसूली है। शुल्क सूची से सम्बन्धित मामलों पर चर्चा अनुवर्ती परिच्छेदों में की गई है।

कम्पनी की विद्युत संचारण शुल्क सूची की अवसंरचना का संशोधनाधीन अनुमोदन राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा आपत्तियों के पश्चात्, यदि कोई है, किया जाता है जो निर्धारित तिथियों के भीतर उनके द्वारा दायर वार्षिक राजस्व आवश्यकता याचिका के प्रति प्राप्त होती हैं। कम्पनी को प्रत्येक वर्ष सम्बद्ध वर्ष के आरम्भ होने से 120 दिन पहले वार्षिक राजस्व आवश्यकता याचिकाओं को दायर करना अपेक्षित था। राज्य विद्युत विनियामक आयोग ऐसे संशोधनों/शर्तों को जो उस समय आवश्यक व उपयुक्त हों तथा जनता एवं अन्य पणधारियों से सभी सुझावों व आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात् कम्पनी द्वारा दायर आवेदन स्वीकार करता है। वार्षिक राजस्व आवश्यकता याचिकाओं को दायर करने की देय तिथि, दायर करने की वास्तविक तिथि, शुल्क सूची याचिका के अनुमोदन की तिथि तथा संशोधित शुल्क सूची की प्रभावी तिथि का ब्योरा निम्न तालिका 2.10 में दिया गया है।

तालिका 2.10

वर्ष	दाखिल करने की देय तिथि	दाखिल करने की वास्तविक तिथि	विलम्बित दिन	अनुमोदन तिथि	प्रभावी तिथि
2007-08	30.11.2006	30.11.2006	शून्य	16.04.2007	01.04.2007
2008-09	30.11.2007	30.11.2007	शून्य	30.05.2008	01.04.2008
2009-10	30.11.2008	30.11.2008	शून्य	24.08.2009	01.09.2009
2010-11	30.11.2009	30.11.2009	शून्य	10.06.2010	01.04.2010
2011-12	30.11.2010	30.11.2010	शून्य	19.07.2011	01.04.2011

यद्यपि वार्षिक राजस्व आवश्यकता याचिका दायर करने में विलम्ब नहीं हुआ था फिर भी वर्ष 2008-09, 2010-11 व 2011-12 हेतु शुल्क सूची आदेश हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित द्वारा राज्य विद्युत विनियामक आयोग की टिप्पणियों पर अनुपालना प्रतिवेदन को विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण प्रभावी तिथि के पश्चात् (प्रत्येक वित्तीय वर्ष का अप्रैल) अनुमोदित किये गए। राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा इन वर्षों की शुल्क सूची के विलम्ब से अनुमोदन करने पर कम्पनी की ₹ 161.85 करोड़ तक की राशि का नकद प्रवाह तीन महीनों (अप्रैल से जून) प्रभावित रहा।

ऊर्जा व्हीलिंग हेतु त्रुटिपूर्ण करारनामा

2.16.12 हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित तथा भारतीय विद्युत ग्रिड निगम ने मैसर्ज मलाना विद्युत कम्पनी सीमित के साथ उनके तंत्र के माध्यम से नालागढ़ से आगे विद्युत खरीद/व्हीलिंग हेतु करारनामों किए (मार्च 1999 तथा अप्रैल 1999)। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित ने 12 वर्षों के लिए ₹ 0.06 पैसे/यूनिट (राज्य परिधि के भीतर) के व्हीलिंग प्रभारों को निर्धारित किया जबकि भारतीय विद्युत ग्रिड निगम सीमित ने केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर के अनुसार उनका नियमन करने के लिए प्रतिबद्धता की।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित ने मलाना जलीय विद्युत परियोजना, की 0.06 पैसे/यूनिट की दर से। 14,062.77 मिलियन यूनिटों को (अप्रैल 2007 से अक्टूबर 2011) व्हीलड किया जबकि इस अवधि के दौरान राज्य के भीतर व्हीलिंग ऊर्जा हेतु राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरें ₹ 0.16 पैसे तथा ₹ 0.43 पैसे/यूनिट के मध्य थी। विद्युत संचारण की प्रति यूनिट लागत के आधार पर उक्त अवधि के दौरान समय-समय पर बढ़ी हुई व्हीलिंग दरों के कारण भारतीय विद्युत ग्रिड निगम सीमित मलाना विद्युत कम्पनी सीमित से अस्थायी व्हीलिंग दरें प्रभारित करने के लिए प्रतिबद्ध होता, यह अन्तरीय व्हीलिंग दरों को ध्यान में रखते हुए ₹ 26.66 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व उत्पादित समय-समय पर कर सकता था।

सामग्री प्रबन्धन

2.17 सामग्री प्रबन्धन में मद सूची नियंत्रण नीति निर्धारण, सामग्रियों का प्रापण तथा अप्रयुक्त मद सूची का निपटारा करना मुख्य कार्य हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित ने अनुदेश जारी किए थे (जुलाई 2005) कि प्राप्त की गई सामग्री छः महीनों के भीतर प्रयुक्त की जानी चाहिए। छः महीनों से अधिक सामग्री अप्रयुक्त रहने के मामले में उसका मूल्य प्रापण अधिकारी के निजी बही खाते में डालने के अतिरिक्त उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए।

सामग्री की अप्रयुक्ति

2.17.1 लेखा परीक्षा में देखा गया कि प्रयोज्यता की सात इकाइयों²³ में ₹ 3.30 करोड़ मूल्य की प्राप्त सामग्री छः महीनों के भीतर प्रयुक्त नहीं की गई और छः महीनों से अधिक की अवधि हेतु अप्रयुक्त पड़ी हुई थी। इसमें से, ₹ 2.03 करोड़ मूल्य की सामग्री पांच वर्षों से अधिक के लिए अप्रयुक्त पड़ी हुई थी। तथापि, बिना आवश्यकता के सामग्री प्रापणार्थ उत्तरदायी प्राधिकारियों के प्रति कार्रवाई नहीं की गई थी।

इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित द्वारा निर्माण की जा रही 220 किलोवोल्ट पलछन-प्रिणी लाईन के निर्माणार्थ मई 2010 तथा मई 2011 के मध्य प्राप्त ₹ 1.88 करोड़ मूल्य की लाईन सामग्री अप्रयुक्त पड़ी हुई थी। लोगों द्वारा आपत्तियां उठाने के कारण लाईन को ठेकेदार नहीं बना सका। परिणामस्वरूप, लाईन जिसका पुनर्सर्वेक्षण पूर्ण किया जा चुका था (अप्रैल 2011) की दिशा बदली जानी थी और लाईन निर्माण कार्य का अधिनिर्णय अभी किया जाना था (जुलाई 2012)।

भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना

2.17.2 हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित के नियंत्रण में 11 क्षेत्रीय भण्डार हैं। 2009-10 के दौरान भण्डारों का प्रत्यक्ष सत्यापन संचालित नहीं किया गया था। प्रत्येक आठ भण्डारों का प्रत्यक्ष सत्यापन 2008-09 तथा 2010-11 के दौरान और पांच भण्डारों²⁴ का प्रत्यक्ष सत्यापन 2011-12 के दौरान किया गया था। दो भण्डारों (भावा व कोटला) का प्रत्यक्ष

23 विद्युत प्रणाली मण्डल: टुडू, बिलासपुर, मंडी, हमीरपुर, नाहन, नालागढ़ तथा ऊना।

24 विद्युत प्रणाली मण्डल: ऊना, हमीरपुर, टुडू, सोलन तथा नालागढ़।

सत्यापन विगत तीन वर्षों से संचालित नहीं किया गया था। प्रत्यक्ष सत्यापन प्रतिवेदनों के अनुसार ₹ 2.10 करोड़ मूल्य की सामग्री पांच भण्डारों में तीन वर्षों से अधिक के लिए अप्रयुक्त पड़ी हुई थी। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि अभी तक सामग्री आधिक्य घोषित करने अथवा उसे जरूरतमंद इकाइयों के काम में लगाने की कार्रवाई नहीं की गई।

अनुश्रवण एवं नियंत्रण

2.18 अधिकतम एवं न्यूनतम वोल्टेज स्तर, व्यवधान, वोल्टेज रूप-रेखा जैसे विभिन्न पैरामीटरों पर उप-स्टेशनों तथा 400/220/132 किलोवोल्ट की लाइनों का निष्पादन ग्रिड संहिता मानकों के अनुसार अभिलिखित/अनुरक्षित किया जाना चाहिए।

- लेखापरीक्षा में देखा गया कि उप-स्टेशनों तथा लाइनों का वर्षवार न तो संचित निष्पादन किया जा रहा था न ही उनके वार्षिक निष्पादन को मूल्यांकनार्थ संचित किया जा रहा था। तथापि, क्षेत्रीय मण्डल प्रतिस्थापित उपकरणों को इंगित करने के साथ-साथ मासिक प्रबन्धन सूचना प्रणाली प्रतिवेदनों को संकलित कर तथा उन्हें हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित के निगमित कार्यालय को संचारित करते हैं, जहां इन प्रतिवेदनों को सूचना/संदर्भ हेतु महीनेवार तथा वर्षवार नहीं रखा जा रहा था।
- हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड सीमित ने उप-स्टेशन/फीडर की लोडिंग स्थिति के अनुश्रवण हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली विकसित नहीं की थी।
- समय-समय पर विभिन्न स्कीमों की मण्डलवार प्रत्यक्ष प्रगति की समीक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड में तंत्र विद्यमान नहीं था जिससे समय व बढ़ती लागत रोकने की प्रगति को बढ़ाने की कार्रवाई समय पर की जा सकती।
- हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित ने अपने मदसूची के अवरोधन को कम करने के लिए ऑनलाईन अभिगमन हेतु कार्यक्रम विकसित नहीं किया था।
- आंतरिक लेखापरीक्षा (निर्माण कार्य लेखापरीक्षा) द्वारा यूनियों की आवृत्ति में कमी नहीं थी। तथापि, बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों/परिच्छेदों की संख्या 2007-08 में 476/3960 से बढ़कर 2011-12 में 824/4864 हो गई।

लेखा परीक्षा समिति

2.18.1 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 292 क के अंतर्गत एवं लेखापरीक्षा समिति का अप्रैल 2010 में गठन हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित द्वारा किया गया। यथापेक्षित संदर्भ शर्तानुसार लेखापरीक्षा समिति की वर्ष में चार बार बैठक होनी चाहिए। अतः दो वर्षों की अवधि में लेखापरीक्षा समिति की न्यूनतम 7 बार बैठक होनी चाहिए थी। तथापि, लेखापरीक्षा समिति की बैठक केवल दो अवसरों पर मिली। पुनः हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण समिति ने भी जून 2009 में लेखापरीक्षा समिति का गठन किया। तीन वर्षों की अवधि (10 तिमाही), लेखापरीक्षा समिति की न्यूनतम 10 बार बैठकें होनी चाहिए थी। तथापि, लेखापरीक्षा समिति की बैठक केवल तीन अवसरों पर हुई। इसके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 292 क (5) के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षकों को भी सभी बैठकों में उपस्थित होना चाहिए था, किन्तु किसी भी बैठक में दोनों कम्पनियों ने इसकी अनुपालना नहीं की।

निष्कर्ष


कम्पनियों की विभिन्न परियोजनाएं निर्धारित अवधि के भीतर पूर्ण नहीं हुईं जिसके परिणामस्वरूप समय व लागत बढ़ी, क्षमता परिवर्धन में कमी आई, हानियों की कमी के लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हुई तथा निधियों का अवरोधन हुआ। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित ने त्रुटिपूर्ण योजना के कारण और अनुसूचित विनियम के अंतर्गत विद्युत खरीद पर भारी व्यय किया। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित उपभोक्ताओं से अनुरक्षण प्रभारों और प्रौन्नति तथा क्षमता परिवर्धन हेतु किए गए व्यय की वसूली करने में विफल रहा। उच्चतर हानियों वाले प्रत्येक फीडर हेतु उपायात्मक पगों को बढ़ाने के राज्य विद्युत विनियामक आयोग के बारम्बार अनुदेशों के बावजूद संचारण हानियों के आधिक्य के कारणों की छानबीन नहीं करवाई गई। पुनः, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित की पृथक वार्षिक राजस्व आवश्यकता को दायर न करने के कारण राज्य लोड डिस्पैच सेंटर के शुल्क/प्रभारों की वसूली सम्बन्धी आदेशों की अनुपालना भी नहीं कर सका। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित के भण्डारों का प्रत्यक्ष सत्यापन नियमित रूप से संचालित नहीं किया गया था। स्कीम के कार्यान्वयन तथा परियोजनाओं के निष्पादन के मूल्यांकन के लिए उचित प्रबन्धन सूचना प्रणाली विद्यमान नहीं थी। लेखापरीक्षा समितियों की नियमित बैठकें नहीं हुईं थी।

सिफारिशें

कम्पनी को आवश्यकता है:


- अधिक समय व लागत टालने के लिए उपचारात्मक कार्रवाई हेतु अपूर्ण स्कीमों की प्रत्यक्ष तथा वित्तीय प्रगति की आवधिक समीक्षा करना;
- एक दिन पहले विद्युत आवश्यकता की योजना वास्तविकता के आधार पर बनाना जिससे विद्युत की अधिक निकासी पर गैर-अनुसूचित विनियम प्रभारों का भुगतान से बचा जा सके;
- उपभोक्ताओं से क्षमता परिवर्धन तथा परिचालन एवं अनुरक्षण प्रभारों के सम्बंध में लागतांश की वसूली हेतु उपयुक्त और प्रभावी पग उठाने की पहल करना;
- ऊर्जा हानियों की प्रभावी लेखापरीक्षा को सुगम बनाने हेतु भेजने तथा प्राप्त करने वाले उप-स्टेशनों पर परिशुद्धता श्रेणियों के अनुरूप मीटरों का अधिष्ठापन करना,
- उच्चतर हानियों वाले प्रत्येक फीडर हेतु राज्य विद्युत विनियामक आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार संचारण हानियों के आधिक्य के कारणों की छानबीन, तथा;
- विनियामक द्वारा यथा निर्धारित स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर के शुल्क और प्रभारों की वसूली हेतु पृथक वार्षिक राजस्व आवश्यकता दायर करने के लिए कार्रवाई शुरू करना।

सरकार/कम्पनी को मामला सितम्बर 2012 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2012)।



अध्याय -III

विषयक लेखापरीक्षा



अध्याय- III
विषयक लेखापरीक्षा

राज्य सरकार की कम्पनियों में निगमित शासन

कार्यकारी सारांश

राज्य में हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित एक मात्र सूचीबद्ध कम्पनी है। यद्यपि कम्पनी के असूचीकरण की स्वीकृति सितम्बर 2002 में प्रदान की गई किन्तु सूची से निकालने की कार्रवाई अभी तक आरम्भ नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा समिति द्वारा 2007-12 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षकों के साथ चर्चाएं नहीं की गईं जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग 292 ए तथा सूचीकरण करारनामे के खण्ड 49 II (डी) के अन्तर्गत अपेक्षित है।

तीन कम्पनियों में निदेशक मण्डल की बैठकें 27 से 146 दिनों के विलम्ब के पश्चात् की गई थी। निदेशक मण्डल की अपेक्षित कुल चार वार्षिक बैठकों के प्रति हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने 2007-08, 2008-09 व 2010-11 के दौरान प्रत्येक में दो बैठकें और 2009-10 व 2011-12 के दौरान प्रत्येक में केवल तीन बैठकें की।

आठ कम्पनियों में वार्षिक सामान्य बैठकें करने में 3 (तीन) से 30 महीनों का विलम्ब था। चार कम्पनियों में 2007-08 से कम्पनी के कारोबार की प्रकृति एवं आकार के अनुरूप आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की गैर-मौजूदगी पर सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा भी टिप्पणी की गई थी। इसके अतिरिक्त तीन कम्पनियों में कम्पनी सचिवों की नियुक्ति कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधान के विपरीत थी।

परिचय

3.1 निगमित शासन प्रणालियों, सिद्धान्तों एवं प्रक्रियाओं के समूह को संदर्भित करता है जिसके द्वारा कम्पनी शासित होती है। इनमें दिशा-निर्देश उपलब्ध हैं कि कम्पनी किस तरीके से कम्पनी के महत्व को बढ़ाते हुए अपने लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को पूरा कर सकती है और जो दीर्घावधि में सभी पणधारियों हेतु लाभप्रद भी हो। कम्पनी प्रबन्धन की भूमिका अन्य पणधारियों हेतु न्यासी के रूप में मानी जाती है। अच्छे प्रशासनिक ढांचे की गैर-मौजूदगी और शासन सिद्धान्तों का पालन न करने से भ्रष्टाचार का जोखिम तथा सार्वजनिक क्षेत्र में प्रबन्धन द्वारा सौंपी गई शक्ति के दुरुपयोग की वृद्धि होती है।

निगमित शासन विधान

3.2 कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग 217 तथा 292 के संशोधन (दिसम्बर 13, 2000 से प्रयोज्य) देश में निगमित शासन के लिए प्रवृत्ति निर्धारित करते हैं। संशोधन निम्नलिखित से सम्बन्धित हैं:

निदेशक उत्तरदायित्व विवरणी [भाग 217 (2ए ए)]:

3.2.1 निदेशकों के उत्तरदायित्व को बढ़ाने की दृष्टि से कम्पनी से निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन में निदेशक उत्तरदायित्व विवरणी सम्मिलित करना अपेक्षित है जो निम्नांकित की पुष्टि करेगा:

- वार्षिक लेखे सामग्री अग्रोषण से सम्बद्ध उचित स्पष्टीकरणों सहित प्रयोज्य लेखांकन मानदण्डों के अनुसार तैयार किए गए हैं;
- निदेशकों द्वारा कम्पनी के मामलों के यथार्थ एवं उचित दृष्टिकोण को प्रदर्शित करने के लिए लेखांकन नीतियों का चयन तथा प्रयोज्यता नियमित एवं विवेकपूर्ण है;
- कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा और गबनों एवं अनियमितताओं को रोकने तथा पता लगाने हेतु लेखांकन अभिलेखों के पर्याप्त अनुरक्षण हेतु निदेशकों द्वारा उचित व पर्याप्त ध्यान दिया गया है; और
- कम्पनी के वार्षिक लेखे 'प्रचलित व्यापार आधार' पर तैयार किए जाते हैं।

लेखापरीक्षा समिति का गठन:

3.2.2 कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग 292 ए में प्रावधान है कि प्रत्येक सार्वजनिक सीमित कम्पनी, जिसकी प्रदत्त पूंजी पांच करोड़ रूपये से कम नहीं है, बोर्ड स्तर पर लेखापरीक्षा समिति का गठन करेगी। लेखापरीक्षा समिति की शर्तों में वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया, कम्पनी का आन्तरिक नियन्त्रण एवं जोखिम प्रबन्धन प्रणाली, लेखापरीक्षा प्रक्रिया का निरीक्षण और बोर्ड द्वारा दिए गए अन्य कर्तव्यों व उत्तरदायित्वों के निष्पादन से सम्बन्धित सभी मामले सम्मिलित हैं।

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

3.3 17 क्रियाशील कम्पनियों में से लेखापरीक्षा में 2007-08 से 2011-12 की अवधि को आवृत्त करते हुए 12 कम्पनियों (एक¹ सूचीबद्ध तथा 11² गैर-सूचीबद्ध) के निगमित शासन से सम्बन्धित मामलों की समीक्षा की गई। लेखापरीक्षा परिणामों पर आगामी परिच्छेदों में चर्चा की गई है:

3.4 सूचीबद्ध कम्पनी

कम्पनी के असूचीकरण में लापरवाह दृष्टिकोण

3.4.1 हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित राज्य में एकमात्र सूचीबद्ध कम्पनी है और 1976 से इसके शेयरों का क्रय-विक्रय नहीं हुआ है। कम्पनी ने दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज से सूची

¹ हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम।

² (i) हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम (ii) हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित (iii) हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम (iv) हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित (v) हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित (vi) हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (vii) हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम (viii) हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (ix) हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, (x) हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम तथा (xi) हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम।

से निकालने का अनुरोध (दिसम्बर 1994) किया था। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ने दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज के अनुरोध पर अर्जनकर्ता द्वारा अर्जित किए जाने वाले शेयरों की न्यूनतम संख्या से सम्बन्धित सूचीकरण करारनामे के खण्ड 40 ए (ii) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम विनियमन 1997 के विनियम 21 (3) की अनुपालना की शर्त पर कम्पनी को सूची से निकालने की स्वीकृति प्रदान (सितम्बर 2002) की। कम्पनी द्वारा राज्य सरकार से असूचीकरण प्रक्रिया हेतु ₹ 11 लाख (दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीकरण वर्ष, अर्थात् 1976, से वार्षिक सूचीकरण शुल्क सहित) की स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया जिस पर फरवरी 2012 तक सूची से निकालने की कार्रवाई नहीं की गई है। राज्य सरकार ने कम्पनी को उसकी अपनी निधियों से आवश्यक कार्रवाई करने को कहा (मार्च 2012)। कम्पनी द्वारा सूचीकरण करारनामे के खण्ड 40 ए (ii) तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड विनियमन 1997 के विनियम 21 (3) के अन्तर्गत प्रावधानों की अनुपालना न करने के कारण मामले में कार्रवाई लम्बित (जून 2012) थी।

3.4.2 सूचीकरण करारनामे के विभिन्न खण्डों की गैर-अनुपालना

- (क) कम्पनी ने (हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम) 2008-12 के दौरान सूचीकरण करारनामे के खण्ड {49 I (ए)} की अनुपालना नहीं की जिसमें परिकल्पित है कि निदेशक मण्डल में कार्यकारी तथा गैर-कार्यकारी निदेशकों का अनुकूलतम संयोजन होगा जो गैर-कार्यकारी निदेशकों को मिलाकर निदेशक मण्डल के पचास प्रतिशत से कम न हो। 2008-12 के दौरान सभी पांच नियुक्त निदेशक कार्यकारी निदेशक थे तथा कोई गैर-कार्यकारी निदेशक नियुक्त नहीं किया गया था।
- (ख) इसके अतिरिक्त, कम्पनी द्वारा विनियम को अनुमोदित³ फॉर्मेट में अपने कार्यचालन/उपार्जनों की आवधिक अन्तरिम विवरणी के प्रकाशन से सम्बन्धित सूचीकरण करारनामे के प्रावधान का पालन नहीं किया गया था।

बैठकों का आयोजन

3.4.3 वित्तीय संस्था द्वारा नामित निदेशक ने 2007-08 के दौरान अपेक्षित चार बैठकों में से तीन बोर्ड बैठकों में भाग लिया। उसके बाद, 2011-12 तक वित्तीय संस्था द्वारा कोई निदेशक नामित एवं नियुक्त नहीं किया गया था।

राज्य सरकार द्वारा 2007-12 के दौरान कम्पनी के दैनिक कार्यों की व्यवस्था के लिए आठ प्रबन्ध निदेशकों को नियुक्त किया गया। केवल एक प्रबन्ध निदेशक का कार्यकाल एक वर्ष से अधिक था और शेष सात प्रबन्ध निदेशकों का सेवाकाल एक से लेकर पांच महीनों के मध्य रहा।

कम्पनी सचिव की नियुक्ति

3.4.4 कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग 383 ए के अनुसार ₹ 5 करोड़ तथा अधिक की प्रदत्त पूंजी वाली सभी कम्पनियों में पूर्णकालिक कम्पनी सचिव होगा। लेखापरीक्षा में पाया गया

³ विनियम द्वारा अनुमोदित फॉर्मेट (खण्ड 18), बोर्ड के निदेशकों की बैठकों से सम्बन्धित अधिसूचना (खण्ड 19), कम्पनी निदेशालय, प्रबन्ध निदेशको और लेखापरीक्षकों की स्थिति में परिवर्तन (खण्ड 30) और वार्षिक वित्तीय परिणामों की प्रतिलिपियां उपलब्ध करवाने से सम्बन्धित अधिसूचना (खण्ड 31)।

कि अप्रैल 2007 से जून 2009 के दौरान कम्पनी (हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम) द्वारा एक अंशकालिक कम्पनी सचिव की सेवाएं ली गईं जो हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित का आन्तरिक लेखापरीक्षक/कम्पनी सचिव भी था तथा अगस्त 2009 से जनवरी 2012 के दौरान अन्य अंशकालिक कम्पनी सचिव की सेवाएं ली गईं जो हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित में भी अंशकालिक कम्पनी सचिव के तौर पर कार्यरत था।

ट्विंसॉल बलोअर पॉलिसी

3.4.5 सूचीकरण करारनामे के खण्ड 49 II (डी) 12 में लेखापरीक्षा समिति द्वारा 'ट्विंसॉल बलोअर तंत्र' की कार्यप्रणाली की समीक्षा भी अपेक्षित है यदि वह कम्पनी (हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम) में विद्यमान है। सूचीकरण करारनामे में अपेक्षित है कि कम्पनी कर्मचारियों हेतु एक तंत्र की स्थापना करेगी जो प्रबन्धकारिणी को अनीतिपरक व्यवहार, वास्तविक अथवा आशंकित धोखाधड़ी अथवा कम्पनी आचार-संहिता के उल्लंघन अथवा नीति विषयक पॉलिसी के बारे में सूचित करेंगे। यह तंत्र कर्मचारियों, जो तंत्र का लाभ उठाते हैं, के उत्पीड़न के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा भी उपलब्ध करवा सकता था और अपवादिक मामलों में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष को सीधा प्रवेश भी उपलब्ध करवा सकता था।

कम्पनी ने कर्मचारियों हेतु कोई तंत्र स्थापित नहीं किया जिससे अनीतिपरक आचार, वास्तविक या संदिग्ध धोखेबाजी अथवा कम्पनी संहिता आचरण की अवमानना अथवा नीतिशास्त्र पॉलिसी सम्बन्धी सूचना प्रबन्धकारिणी को दे सके।

लेखा समिति

3.4.6 देश में कुशल निगमित शासन की स्थापना हेतु लेखापरीक्षा समिति के गठन को अनिवार्य बनाने के लिए दिसम्बर 2000 की अधिसूचना के संशोधन को जारी करने के पश्चात् जुलाई 2001 में लेखापरीक्षा समिति का गठन किया गया था। पुनः, कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग 292 ए के उप-भाग 6 तथा सूचीकरण करारनामे के खण्ड 49 II (डी) के अनुसार लेखापरीक्षा समिति को आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों, लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों सहित लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र के विषय में आवधिक रूप से लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा करनी चाहिए तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की अनुपालना सुनिश्चित करनी चाहिए। लेखापरीक्षा में देखा गया कि लेखापरीक्षा समिति ने 2007 से 2012 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षकों के साथ ऐसी कोई चर्चा नहीं की। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा समिति ने न तो कोई सिफारिशें की और न ही उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत अपेक्षित इसकी कार्यप्रणाली पर वार्षिक प्रतिवेदनों को तैयार करने की प्रणाली आरम्भ की।

3.5 गैर-सूचीबद्ध कंपनियां

निदेशक मण्डल की बैठकें

3.5.1 कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग 285 में प्रावधान है कि कम्पनी का निदेशक मण्डल प्रत्येक तीन महीनों में कम से कम एक बार बैठक करेगा और वर्ष में कम से कम ऐसी चार

बैठकें करेगा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि तीन कम्पनियों⁴ में बैठकें 27 से 146 दिनों के विलम्ब के पश्चात् आयोजित की गई थी। इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित ने 2007-08, 2008-09 तथा 2010-11 के दौरान प्रत्येक वर्ष में केवल 2 बैठकें और प्रत्येक वर्ष अपेक्षित चार बैठकों के स्थान पर 2009-10 व 2011-12 के दौरान तीन बैठकें की।

पुनः, उक्त अधिनियम के भाग 25 के अंतर्गत पंजीकृत हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम सीमित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम सीमित कम्पनियों से भी कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग 285 के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार प्रत्येक छः महीनों में कम से कम एक बैठक तथा वर्ष में दो बैठकें आयोजित करना अपेक्षित है। इसके प्रति हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम ने 2009-10 और 2010-11 के दौरान प्रत्येक वर्ष केवल एक बैठक की और हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम ने वर्ष में दो बैठकों की आवश्यकता के प्रति 2010-11 के दौरान एक बैठक का आयोजन किया।

बोर्ड की बैठकों/वार्षिक सामान्य बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति

3.5.2 केन्द्रीय सरकार तथा वित्तीय संस्थान द्वारा नामित निदेशकों की बोर्ड बैठकों/कम्पनियों की वार्षिक सामान्य बैठकों में उपस्थिति निम्नांकित तीन मामलों में नियमित नहीं थी:

- हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम में केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित निदेशकों ने 2007-12 के दौरान केवल एक बोर्ड बैठक में भाग लिया;
- हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित तथा हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम में वित्तीय संस्थान के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित निदेशकों ने किसी बैठक/वार्षिक सामान्य बैठकों में कभी भी भाग नहीं लिया।

चूंकि बोर्ड में निदेशक सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं, उनकी अनुपस्थिति से उनके नामांकन का उद्देश्य ही विफल हो जाता है।

वार्षिक सामान्य बैठकें

3.5.3 कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग 210 के साथ पठित भाग 166 में अन्य बातों के साथ-साथ प्रावधान है कि वार्षिक सामान्य बैठकें निम्नांकित तिथियों के प्रारम्भ में आयोजित की जानी चाहिए:

- अंतिम वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि से 15 महीने;
- वर्ष का अंतिम दिवस; तथा
- वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छः महीने।

⁴ हिमाचल प्रदेश बागवानी विपणन एवं विधायन निगम, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम तथा हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम।

प्रारंभिक से अभिप्राय वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छः महीनों तक है। लेखापरीक्षा में देखा गया कि आठ कम्पनियों ने वार्षिक सामान्य बैठकें विलम्ब अर्थात् 2007-11 के दौरान वित्तीय वर्षों की समाप्ति तिथि से छः महीनों से अधिक से आयोजित की। छः महीनों से अधिक का विलम्ब 3 से 30 महीनों के मध्य रहा जिसका ब्योरा निम्नवत है:-

क्रमांक	कम्पनी का नाम	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
		(महीनों में)			
1	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित	30	23	18	7 (अप्रैल 2012 तक)
2	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम सीमित	3	4	3	-
3	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम सीमित	3	3	9	-
4	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित	3	3	3	3
5	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित	-	-	-	3
6	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम सीमित	13	6	9	3
7	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित	3	-	-	-
8	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित	4	3	4	3

वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने के कारण वार्षिक सामान्य बैठकों के आयोजन में विलम्ब हुआ।

प्रबन्ध निदेशकों की रिक्त स्थिति तथा बारम्बार बदलाव

3.5.4 अप्रैल 2007 से मार्च 2012 के दौरान तीन⁵ कम्पनियों में पूर्णकालिक प्रबन्ध निदेशक नहीं थे। इस अवधि के दौरान प्रभार अन्य राज्य सरकार की कम्पनियों/विभागों के प्रबन्ध निदेशकों अथवा विभागाध्यक्षों द्वारा अतिरिक्त प्रभार के रूप में सम्भाला गया था। इसी प्रकार, अप्रैल 2004 से मार्च 2012 के दौरान तीन⁶ कम्पनियों के पूर्णकालिक प्रबन्ध निदेशकों द्वारा अन्य संगठनों का कार्यभार भी सम्भाला गया।

⁵ हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम (4/2007 से 11/2008 तथा 3/2009 से 5/2011), हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (4/2007 से 9/2010) एवं हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम (12/2008 से 9/2009 तथा 11/2010 से 3/2012)।

⁶ हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (4/2007 से 1/2008 तथा 9/2008 से 3/2012), हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (2/2011 से 3/2012) एवं हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम (4/2008 से 3/2012)।

3.5.5 कम्पनी सचिव की नियुक्ति

- (क) तीन कम्पनियों⁷ ने निर्धारित/मासिक पारिश्रमिक के आधार पर कम्पनी सचिव की सेवाएं प्राप्त की थी, जो अन्य राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक कम्पनी सचिव भी थे।
- (ख) सनद् लेखापाल अधिनियम, 1949 का खण्ड II (प्रथम अनुसूची भाग I) निर्धारित करता है कि सनद् लेखापाल कार्य में व्यवसायिक कदाचार का दोषी माना जाएगा यदि वह सनद् लेखापाल के कार्य से अलग कोई व्यापार अथवा व्यवसाय करता है बशर्ते परिषद् द्वारा अनुमत न किया गया हो।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित ने अप्रैल 2007 से फरवरी 2011 के दौरान एक कम्पनी सचिव की सेवाएं प्राप्त की जो उक्त प्रावधान के उल्लंघन में इसका आन्तरिक लेखापरीक्षक (योग्य सनद् लेखापाल) भी था।

आन्तरिक लेखापरीक्षा

3.6 आन्तरिक लेखापरीक्षा को विभिन्न कार्यक्रमों, स्कीमों तथा गतिविधियों के वित्तीय निष्पादन एवं प्रभावशीलता के अनुश्रवणार्थ उच्चतर प्रबन्धन की सहायता के रूप में मान्यता प्राप्त है। आन्तरिक लेखापरीक्षा उपयुक्त आश्वासन भी मुहैया करवाता है कि परिचालन प्रभावपूर्वक एवं दक्षता से किए जा रहे हैं, विश्वसनीय वित्तीय प्रतिवेदन व परिचालनीय डाटा और प्रयोज्य विधियां व विनियमों को संकलित किया गया है जिससे संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

सांविधिक लेखापरीक्षकों (सनद् लेखापाल) को भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग 619 (3) (ए) के अन्तर्गत जारी निर्देशों के अनुसार लेखापरीक्षा की गई कम्पनियों के आन्तरिक नियन्त्रण/आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली सहित विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत प्रतिवेदन भेजना और सुधार योग्य क्षेत्रों की पहचान करना अपेक्षित है। इसकी अनुपालना में सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 2007-08 से चार⁸ कम्पनियों के कारोबार की प्रकृति व आकार के अनुरूप आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की अनुपस्थिति पर नियमित रूप से टिप्पणी की थी।

सांविधिक लेखापरीक्षकों की बारम्बार टिप्पणियों के बावजूद इस सम्बन्ध में कोई सुधार नहीं किया गया है।

⁷ हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम, हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम तथा हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम।

⁸ हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम, हिमाचल प्रदेश बागबानी उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम, हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम तथा हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम।


निष्कर्ष

- निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति सरकार के पास है, बोर्ड में स्वतन्त्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या का अधिष्ठापन राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- लेखापरीक्षा समिति ने लेखापरीक्षा के आरम्भ होने से पूर्व तथा समाप्त होने के पश्चात् आन्तरिक नियन्त्रण/आन्तरिक लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण मामलों पर सांविधिक/आन्तरिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा नहीं की।
- आठ कम्पनियों में निदेशक मण्डल की बैठकों के साथ-साथ वार्षिक सामान्य बैठकें नियमित रूप से नहीं हुई थी तथा निदेशकों की उपस्थिति भी सन्तोषप्रद नहीं थी।
- तीन कम्पनियों के मामले में कम्पनी सचिव की नियुक्ति कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के विपरीत थी।
- सूचीबद्ध कम्पनी में हिवसेल बलोअर पॉलिसी की विद्यमानता न होने से कर्मचारियों को किसी सम्भावित उत्पीड़न के प्रति स्वसुरक्षा के लाभ से वंचित रहना पड़ा।
- चार कम्पनियों में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा बारम्बार की गई टिप्पणियों के बावजूद आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली कारोबार की प्रकृति एवं आकार के अनुरूप नहीं थी।

मामला जुलाई 2012 में कम्पनियों/सरकार को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2012)।

अध्याय-IV

लेन-देनों की लेखापरीक्षा



अध्याय-IV लेन-देनों की लेखापरीक्षा

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित लेन-देनों की लेखापरीक्षा की टिप्पणियां राज्य सरकार की कम्पनियों/निगमों के प्रबन्धन में कमियों को उजागर करती हैं, जो गम्भीर वित्तीय अधिपत्तियों वाली थी। इंगित अनियमितताएं मुख्यतः निम्नलिखित प्रकृति की थी:

- ठेकों के नियमों, निदेशों, प्रक्रिया तथा शर्तों की अनुपालना के कारण सात मामलों में ₹8.09 करोड़ की हानि।

(परिच्छेद 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 व 4.8)

- तीन मामलों में अविवेकी निर्णय के कारण ₹1.67 करोड़ की हानि।

(परिच्छेद 4.1, 4.9 व 4.10)

- अपर्याप्त/त्रुटिपूर्ण अनुश्रवण के कारण एक मामले में ₹0.51 करोड़ की हानि।

(परिच्छेद 4.11)

सरकारी कम्पनियां

हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित

4.1 मूल्य वर्धित कर के कम दावे के कारण अल्प वसूली

कम्पनी द्वारा राज्य सरकार से मूल्य वर्धित कर की पूर्ण राशि का दावा करने में विफल रहने से ₹0.43 करोड़ की अल्प वसूली होना।

राज्य सरकार ने राज्य में हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित के माध्यम से 1 अगस्त 2007 से गरीबी रेखा से ऊपर के राशन कार्ड धारकों को उपदान प्राप्त गेहूँ आटे के वितरण को कार्यान्वित किया। स्कीम के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित द्वारा गेहूँ आटा अगस्त 2007 से ₹8.00 प्रति किलोग्राम तथा अप्रैल 2010 से ₹8.50 की समान दर पर, राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित, बेचा जाना था। स्कीम में यह भी प्रावधान था कि परचूनियों के मार्जिन तथा प्राप्त बिक्री¹ सहित हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित की परचून दुकानों तक पहुंच लागत के मध्य की अन्तरीय राशि उपदान के रूप में राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित को प्रतिपूरित की जानी थी। यदि पहुंच लागत प्राप्त बिक्री से कम हो तो अधिक प्राप्त बिक्री (प्राप्त बिक्री से पहुंच लागत कम करके) का राज्य सरकार को प्रत्यर्पण किया जाना था।

¹ पहुंच लागत परचून दुकान तक आटे की कुल लागत है।

पांच जिलों² के सम्बन्ध में आटा के उपदान दावों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (मार्च/अप्रैल 2011) से उद्घाटित हुआ कि कम्पनी ने केवल कम्पनी के थोक बिक्री गोदाम तक की पहुंच लागत पर मूल्य वर्धित कर प्राप्त किया। आटे की थोक गोदाम तक पहुंच लागत वास्तविक लागत से कम थी जिसमें थोक बिक्री गोदामों से परचून दुकानों तक तथा परचूनियों के मार्जिन, राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित, भी सम्मिलित थी। अगस्त 2007 से दिसम्बर 2010 की अवधि के दौरान थोक बिक्री गोदाम तक ₹230.06 करोड़ की पहुंच लागत पर कम्पनी ने राज्य सरकार से उपदान दावे में गलती से ₹8.85 करोड़ का मूल्य वर्धित कर प्राप्त किया जबकि कम्पनी ने परचूनियों की दुकान तक ₹241.18 करोड़ की खर्च की गई वास्तविक लागत पर ₹9.28 करोड़ का वास्तविक मूल्य वर्धित कर अदा किया। लागत में ₹11.12 करोड़ के अंतर का कारण थोक बिक्री गोदामों से परचून दुकानों तक मालभाड़ा तथा परचूनियों का मार्जिन था जिस पर ₹0.43 करोड़ की राशि का मूल्य वर्धित कर यद्यपि कम्पनी द्वारा कर अधिकारियों को अदा किया गया किन्तु उक्त स्कीम के अनुसार उपदान दावों में राज्य सरकार से प्राप्त नहीं किया गया। परिणामतः अगस्त 2007 से दिसम्बर 2010 तक की अवधि के दौरान राज्य सरकार से मूल्य वर्धित कर के सम्बन्ध में ₹0.43 करोड़ के उपदान की अल्प प्राप्ति हुई।

सरकार ने प्रबन्धन के उत्तर का समर्थन करते हुए (अगस्त 2012) बताया कि राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा के उल्लेख करने पर वर्ष 2007-08 हेतु ₹8.18 लाख की राशि के संशोधित गेहूं आटे के दावों को समायोजित कर लिया (मई 2012) था तथा मार्च 2008 से दिसम्बर 2012 की अवधि हेतु शेष दावा अतिशीघ्र समायोजित कर लिया जाएगा। प्रबन्धन ने पुनः बताया कि भविष्य में दरों के निर्धारण में मूल्य वर्धित कर घटक की दावे में सुनिश्चितता हेतु सभी इकाइयों को निदेश दे दिए गए थे।

उत्तर इस तथ्य की पुष्टि करता है कि कम्पनी द्वारा अपनी निधियों से भुगतान किया गया मूल्य वर्धित कर अभी तक राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूरित किया जाना है।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित

4.2 उपभोक्ता को अनुचित लाभ पहुंचाना

कम्पनी द्वारा उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति संहिता, 2009 के प्रावधानों के अनुसार ₹2.48 करोड़ के मांग प्रभारों की वसूली न करके अनुचित लाभ पहुंचाना।

विद्युत आपूर्ति संहिता, 2009 के अध्याय 3 (परिच्छेद 3.9) में प्रावधान है कि उच्च वेग/अतिरिक्त उच्च वेग आपूर्ति के मामले में, जहां लाइसेंस धारक ने कार्य पूर्ण कर लिया हो व आवेदक को विद्युत आपूर्ति अपेक्षित हो किन्तु आवेदक विद्युत आपूर्ति लेने को तैयार न हो अथवा विलम्ब करे या पूर्ण अनुबंधित मांग का उपयोग नहीं करता, लाइसेंस धारक से साठ दिनों के नोटिस के पश्चात् सम्बन्धित शुल्क सूची आदेशानुसार स्वीकृत अनुबंधित मांग पर यथानुपात आधार पर निर्धारित/मांग प्रभारों को प्रभारित किया जाएगा।

² हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित (कम्पनी) ने 132/33 किलोवोल्ट उप-स्टेशन, कंदरौड़ी से एक उपभोक्ता³ के पक्ष में 11.112 मेगावोल्ट एम्पियर की अनुबंधित मांग सहित 10 मेगावाट का लोड इस शर्त के साथ स्वीकृत किया (दिसम्बर 2009) कि लोड को अतिरिक्त 132/33 किलोवोल्ट, 1 x16 मेगावोल्ट एम्पियर ट्रांसफार्मर को प्रतिष्ठापित करने के पश्चात् जारी किया जाएगा तथा उपभोक्ता को अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की आनुपातिक लागत वहन करनी होगी। कम्पनी द्वारा 10 मेगावाट की स्वीकृति प्रदान करने हेतु उपभोक्ता की टेस्ट रिपोर्ट (अगस्त 2010) विधिवत् सत्यापित (अक्टूबर 2010) की गई थी। तथापि, अतिरिक्त 1x16 मेगावोल्ट एम्पियर 132/33 किलोवाट ट्रांसफार्मर के प्रतिष्ठापन से सम्बन्धित कार्य की अपूर्णता के कारण उपभोक्ता को विद्यमान प्रणाली से 4 मेगावाट के आंशिक लोड हेतु कनेक्शन जारी (अक्टूबर 2010) किया गया और शेष 6 मेगावाट का लोड अतिरिक्त ट्रांसफार्मर को लगाने पर जारी किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया (मार्च 2011) कि अतिरिक्त ट्रांसफार्मर फरवरी 2011 के दौरान लगाया/ऊर्जित किया गया तथा उपभोक्ता को इस ट्रांसफार्मर से मई 2012 के दौरान 2(दो) का अतिरिक्त लोड भी जारी किया गया था किन्तु कम्पनी द्वारा उक्त विद्युत आपूर्ति संहिता, 2009 के प्रावधानों के अनुसार 10 मेगावाट के कुल स्वीकृत लोड पर निर्धारित मांग प्रभारों की वसूली हेतु अभी तक (नवम्बर 2012) कार्रवाई नहीं की गई थी।

इसके कारण मई 2011 से अक्टूबर 2012 तक (नोटिस हेतु 60 दिनों की अवधि अनुमत करने के पश्चात्) ₹ 2.48 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

प्रबन्धन ने बताया (जुलाई 2012) कि 220/132 किलोवोल्ट फीडिंग उप-स्टेशन, जसूर पर लोड की अनुपलब्धता के कारण आपूर्ति संहिता 2009 के अंतर्गत यथा अपेक्षित सूचना जारी नहीं की गई और शेष लोड इसके विद्युत ट्रांसफार्मर क्षमता के सम्बन्धन के पश्चात् जारी किया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि 220/132 किलोवोल्ट 150 मेगावोल्ट एम्पियर जसूर फीडिंग उप-स्टेशन पर लोड की अनुपलब्धता संयोजित लोड/मांग में वृद्धि के कारण नहीं थी अपितु वोल्टेज व्यवधान के कारण फीडिंग उप-स्टेशनों पर करंट का आधिक्य था जिससे अधिक करंट का प्रवाह हुआ।

प्रबन्धन को अनुबंधित मांग के अनुसार उपभोक्ता को बिल देना शुरू करना चाहिए और विद्युत आपूर्ति संहिता 2009 के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ताओं से मांग प्रभारों को वसूलना चाहिए तथा अनुबंधित मांग के अनुसार बिल न देने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करना चाहिए।

मामला सरकार को जुलाई 2012 में संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित (नवम्बर 2012) था।

³ मैसर्स मेट ट्रेड इण्डिया लिमिटेड।

4.3 अवसंरचना लागत की अल्प वसूली

कम्पनी की हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग विनियम, 2005 के अनुसार कार्य आरम्भ करने से पूर्व पूर्ण अवसंरचना लागत को अग्रिम रूप से वसूल करने में विफलता रहने के परिणामस्वरूप उपभोक्ता से ₹1.70 करोड़ की अल्प वसूली हुई।

हिमाचल प्रदेश विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति हेतु व्यय की वसूली) विनियमनों के विनियम 4(1)(ग) तथा (घ) में परिकल्पित है कि जहां विद्युत आपूर्ति विस्तार हेतु नए 33/11 किलोवोल्ट उप-स्टेशन और उच्च वेग लाइन का निर्माण आवश्यक हो वहां वितरण लाइसेंस धारक आवेदक से ऐसे उप-स्टेशन व लाइन की समूची प्राकलित लागत आकलित एवं वसूल करेगा। विनियम 8 में पुनः परिकल्पित है कि आवेदक कार्य आरम्भ करने से पूर्व विनियम 4 के अंतर्गत भुगतान योग्य राशि हेतु मांग नोटिस पर 100 प्रतिशत जमा करवाएगा।

हिमाचल प्रदेश सरकार, उद्योग विभाग (आवेदक) ने मई 2004 में तत्कालीन हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (अब कम्पनी) से भारत सरकार से उद्योगों को प्रोत्साहनों के विशेष पैकेज के अंतर्गत कांगड़ा जिला में राजा-का-बाग औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न उद्योगों को स्थापित करने हेतु 10 मेगावोल्ट एम्पियर के लोड की मांग की थी। अतः कम्पनी ने ₹3.19 करोड़ की प्राकलित लागत की स्कीम स्वीकृत की (अगस्त 2005) तथा विभाग से समूची राशि को अग्रिम रूप में जमा करवाने का अनुरोध किया (दिसम्बर 2005)।

33 किलोवोल्ट उच्च वेग लाइन तथा उप-स्टेशन का निर्माण कार्य एक निजी कम्पनी⁴ को ₹ 2.54 करोड़ की लागत पर (विद्युत ट्रांसफार्मर के बिना) टर्नकी आधार पर दिया गया (मार्च 2007)। कार्य को जुलाई 2008 के दौरान ₹3.16 करोड़ की कुल लागत पर पूर्ण किया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया (फरवरी 2009) कि ₹3.16 करोड़ के कुल व्यय के प्रति कम्पनी ने विभाग से कार्य आरम्भ करने से पूर्व लागत की 100 प्रतिशत वसूली के प्रति केवल ₹1.40 करोड़ की आंशिक राशि (₹90.00 लाख मार्च 2006 में तथा ₹25.00 लाख प्रत्येक जुलाई व दिसम्बर 2007 में) वसूल की। इसके अतिरिक्त ₹0.06 करोड़ की राशि भी चार औद्योगिक उपभोक्ताओं से वसूल की गई जिन्हें अभी तक सर्विस कनेक्शन जारी नहीं किए गए हैं। तथापि, ₹1.70 करोड़ की शेष राशि न तो उद्योग विभाग से वसूल की गई न ही उपभोक्ताओं से लागतांश प्रभारित करने हेतु कोई कार्रवाई शुरू की जा सकी क्योंकि क्षेत्र में बड़ी औद्योगिक इकाईयां नहीं लगाई गई थी। परिणामतः, ₹3.16 करोड़ (33 किलोवोल्ट उच्च वेग लाइन की लागत सहित) की कुल लागत पर निर्मित उप-स्टेशन की क्षमता प्रयुक्त भी 2.30 प्रतिशत तथा 22.85 प्रतिशत के मध्य बहुत कम रही।

अतः कार्य आरम्भ करने से पूर्व पूर्ण लागत प्राप्त किए बिना कार्य निष्पादन के परिणामस्वरूप उपभोक्ता से उप-स्टेशन की क्षमता की अवप्रयुक्त के अतिरिक्त ₹1.70 करोड़ की अल्प वसूली हुई।

⁴ मैसर्स धौलाधार बिल्डर प्राईवेट लिमिटेड।

प्रबन्धन ने बताया (जनवरी 2012) कि भारत सरकार द्वारा विशेष प्रोत्साहनों पर प्रतिबंध लगाने (अप्रैल 2010) के कारण प्रस्तावित/नए आवेदक विद्युत कनेक्शनों को लेने के लिए आगे नहीं आ रहे थे। यह भी बताया गया कि शेष राशि जमा करने हेतु मामले को उद्योग विभाग के साथ पहले ही उठाया जा चुका था किन्तु उसकी प्राप्ति अभी तक प्रतीक्षित थी।

मामला सरकार को अप्रैल 2012 में संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2012)।

4.4 सांविधिक प्रावधानों की गैर-अनुपालना के कारण हानि

सांविधिक प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता के प्रतिष्ठापन की आवधिक जांच करने में कम्पनी की विफलता के परिणामस्वरूप ₹65.16 लाख की जांच फीस का अनुद्ग्रहण हुआ।

भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 के नियम 46 में अन्य बातों के अतिरिक्त प्रावधान है कि जहां प्रतिष्ठापन पहले ही आपूर्तिकर्ता की आपूर्ति प्रणाली से संयोजित हो, ऐसे प्रत्येक प्रतिष्ठापन निरीक्षक द्वारा अथवा आपूर्तिकर्ता द्वारा, जैसा कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा निदेशित हो, का अन्तरालों पर आवधिक निरीक्षण तथा जांच की जानी चाहिए जो पांच वर्षों से अधिक न हो। प्रत्येक श्रेणी के उपभोक्ता के मामले में ऐसे निरीक्षण तथा जांच की फीस केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा, जैसा भी मामला हो, निश्चित की जानी चाहिए और भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 के नियम 65(5) व (7) के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता द्वारा अग्रिम रूप में भुगतान किया जाएगा।

उपरोक्त नियमों की अनुपालना में राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने नवम्बर 2001 में जारी अपने शुल्क-सूची आदेशों में विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं/प्रतिष्ठापनों से नए प्रतिष्ठापनों के निरीक्षण और नियमित आवधिक निरीक्षण हेतु वसूली योग्य प्रभारों को निर्धारित किया। नियमित आवधिक निरीक्षणों अथवा प्रथम जांच और 50 किलोवाट व 11 किलोवाट की आपूर्ति वोल्टेज या उच्चतर से अधिक लोड के संयोजन वाले नए प्रतिष्ठापन के निरीक्षण हेतु जांच प्रभार ₹5000 प्रति उप-स्टेशन और देखने के प्रभार सम्मिलित ₹1500 प्रतिदिन निर्धारित किए गए थे। इन प्रभारों को 5 जुलाई 2004 को जारी शुल्क-सूची आदेशों में संशोधित करके ₹10000 प्रति उप-स्टेशन व देखने के प्रभार ₹3500 प्रतिदिन कर दिया तथा प्रभारों को इसके पश्चात् (मार्च 2012) संशोधित नहीं किया गया।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (अब कम्पनी) के दो औद्योगिक मण्डलों⁵ में 11 किलोवाट अथवा उच्चतर की आपूर्ति वोल्टेज वाले 307 उपभोक्ता (नवम्बर 2001 तक 32 उपभोक्ता और उसके पश्चात् जुड़े 275) थे जिनका उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार उनके प्रतिष्ठापनों का आरम्भिक/आवधिक निरीक्षण अपेक्षित था। लेखापरीक्षा में देखा गया (अगस्त 2011) कि नवम्बर 2001 से मार्च 2012 के दौरान कम्पनी द्वारा इन उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में प्रारम्भिक

⁵ विद्युत मण्डल नालागढ़ एवं पांवटा।

अवस्था तथा तत्पश्चात् आवधिक अन्तरालों पर प्रतिष्ठापन की अनिवार्य जांच नहीं करवाई गई। परिणामतः उपरोक्त सांविधिक प्रावधानों के उल्लंघन के अतिरिक्त जांच प्रभारों की अप्राप्ति के कारण ₹ 65.16 लाख की राजस्व हानि हुई।

अधीक्षण अभियन्ता (एम एण्ड टी) वृत्त, बिलासपुर ने बताया (नवम्बर 2011) कि औजार एवं संयंत्र/जांच उपकरण की अनुपलब्धता के कारण जांच करने के लिए केवल एक पार्टी ही तैनात की जा सकी और पार्टी को क्षेत्रीय युनिटों से शिकायतों की प्राप्ति पर आपात मामलों में कमियों को दूर करने/देखने का कार्य भी सौंपा गया था। उत्तर में यह भी बताया कि इस सम्बन्ध में आवश्यक पग उठाने के अनुदेशों सहित सम्बन्धित युनिटों हेतु उच्च वेग उपभोक्ताओं से अधिकांश अपेक्षित औजार एवं संयंत्र/उपकरण की जांच/आवधिक निरीक्षण तथा वाहन सुविधाओं को अब मुहैया करवा दिया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि राज्य विनियामक आयोग ने ऐसे निरीक्षण करवाने हेतु कम्पनी द्वारा स्थापित पृथक विंग पर क्रिया गया व्यय स्वीकृत कर लिया और आवधिक अन्तराल पर उपभोक्ताओं के प्रतिष्ठापन की जांच की सांविधिक आवश्यकता के उल्लंघन के अतिरिक्त शुल्क-सूची के उद्देश्य हेतु कम्पनी की वार्षिक राजस्व आवश्यकता का निर्धारण करते समय निरीक्षण प्रभारों को गैर-शुल्क-सूची आय (विविध प्रभार) माना।

मामला सरकार को सितम्बर 2012 में संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2012)।

4.5 आंशिक रूप से पूर्ण संचारण लाईन पर निधियों का अवरोधन

कार्य सौंपने के पूर्व सम्बन्धित प्राधिकारियों से अपेक्षित अनुमतियां प्राप्त करने में कम्पनी की विफलता के परिणामस्वरूप आंशिक निर्मित लाईन पर ₹ 70.77 लाख के अवरोधन सहित ₹ 14.24 लाख की परिणामी ब्याज हानि हुई जो इसकी वास्तविक स्थापना तक और बढ़ेगी।

भारत सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 67 की उप धारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचित लाइसेंस धारकों के कार्यों का नियमावली, 2006 के नियम 3 (1) (क) के अनुसार लाइसेंस धारक को किसी विद्युत आपूर्ति लाईन को बिछाने अथवा स्थापित करने से सम्बन्धित कार्यों को करने से पूर्व भू-स्वामी अथवा किसी भवन या भूमि पर कब्जा रखने वालों की सहमति प्राप्त करना अपेक्षित था। नियम में आगे यह भी प्रावधान है कि यदि भू-स्वामी नियम के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में आपत्तियां उठाता है तो लाइसेंस धारक इस सम्बन्ध में जिला दण्डाधिकारी अथवा पुलिस आयुक्त या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी से लिखित रूप में अनुमति प्राप्त करेगा।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित (कम्पनी) ने ₹ 45.21 लाख प्रतिवर्ष की सीमा तक विद्युत बिक्री से अतिरिक्त राजस्व के उत्पादन सहित ₹ 56.57 लाख मूल्य की ऊर्जा हानियों की बचत के उद्देश्य से 10 किलोमीटर लम्बी 33 किलोवाट बनेर-गोपालपुर प्रेषण लाईन के निर्माण को अनुमोदित (जुलाई 2008) किया। इस कार्य के निष्पादनार्थ 11.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की दर से वित्तीय सहायता का समझौता भी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, नई दिल्ली के साथ किया

गया। वन भूमि के प्रयोगार्थ आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करने का मामला जनवरी 2009 में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय के साथ उठाया गया था।

लेखापरीक्षा में देखा गया (मार्च 2011) कि कम्पनी ने पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय से सांविधिक मंजूरी की प्रतीक्षा किए बिना ₹ 0.83 करोड़ की कुल लागत पर नौ महीनों की अवधि में पूर्ण किए जाने हेतु कार्य को एक निजी फर्म⁶ को दिया (अगस्त 2009) कम्पनी द्वारा सांविधिक अनापत्ति प्राप्त करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप ठेकेदार द्वारा प्रेषण लाइन का कार्य पूर्ण करने में अवरोध हुआ क्योंकि निजी भू-स्वामियों में से एक ने न्यायालय स्थगन प्राप्त कर लिया (मई 2011)। संचरण लाइन की 10 किलोमीटर की कुल लम्बाई के निर्माण पर ₹ 88.35 लाख (दिसम्बर 2011 तक) का व्यय करने के पश्चात् केवल 1.99 किलोमीटर को अस्थाई तौर पर ऊर्जित किया जा सका।

अतः ठेकेदार को लाइन का निर्माण सौंपने से पूर्व कम्पनी की लाइसेंस धारकों के कार्यों की नियमावली, 2006 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन तथा कार्यवाही शुरू करने में विफलता से आंशिक पूर्ण की गई लाइन पर ₹ 70.77 लाख की उधार निधियों का अवरोधन तथा परिणामी ₹ 14.24⁷ लाख की ब्याज हानि हुई, जो इसकी वास्तविक स्थापना तक और बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त, प्रेषण एवं वितरण हानियों के लक्ष्यों में कमी तथा अतिरिक्त विद्युत बिक्री के उद्देश्य भी प्राप्त नहीं किए जा सके।

प्रबन्धन ने बताया (फरवरी 2012) कि बनेर विद्युत गृह से उप-स्टेशन, नागरी तक 33 किलोवाट लाइन की कुल लम्बाई विवादित भूमि के दोनों किनारों तक निमित्त की जा चुकी थी तथा उप-स्टेशन को 1.990 किलोमीटर की 33 किलोवाट लाइन के माध्यम से चालू किया गया था।

उत्तर इस तथ्य को इंगित करता है कि लाइन अभी भी अपूर्ण है जिसके कारण ₹ 70.70 लाख का व्यय करने के पश्चात् भी परिकल्पित उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

मामला सरकार को जून 2012 में संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2012)।

हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित

4.6 निजी दलों को अनुचित लाभ पहुंचाना

मासिक बिक्रीयों पर छूट अनुमत करते समय बिक्रीयों के असमायोजन के परिणामस्वरूप एजेण्टों को ₹ 19.84 लाख की अस्वीकार्य छूट का भुगतान हुआ।

हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित (कम्पनी) अपने मेहतपुर तथा परवाणु स्थित देशी शराब बोटलिंग संयंत्रों में देशी शराब का विनिर्माण करता है। राज्य के प्रत्येक जिले में विभिन्न

⁶ मैसर्ज एस0 एस0 उद्यम।

⁷ इस स्कीम हेतु विद्युत विनियामक आयोग से कम्पनी द्वारा उधार ली गई निधियों पर ₹ 11.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर जुलाई 2010 से मार्च 2012 तक संगणित किए गए ब्याज की हानि।

परचूनियों को अपनी शराब की थोक बिक्री हेतु कम्पनी ने अपने एजेण्टों के रूप में निजी पार्टियों को आदृत आधार पर नियुक्त किया है। ये एजेण्ट शराब को देशी शराब बोटलिंग संयंत्रों से या तो नकद बिक्री अथवा उधार बिक्री के आधार पर उठाते हैं। शराब की बिक्री बढ़ाने और इन एजेण्टों को नकद भुगतान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अप्रैल 2008 में चलाई गई स्कीम के अनुसार उन्हें मात्रात्मक छूट भी अनुमत की जाती थी। स्कीम के अनुसार छः से 20 ट्रक प्रति मास उठाने हेतु छूट की दरें ₹ 8 प्रति पेटी से लेकर ₹ 13 प्रति पेटी (12 बोटलों) के मध्य थी और 5 ट्रक तक उठाने हेतु छूट दर निविदा दरों के अनुसार अनुमत की जानी थी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ (दिसम्बर 2010) की देशी शराब बोटलिंग संयंत्रों, परवाणु (2008-10 के दौरान) तथा देशी शराब बोटलिंग संयंत्र, मेहतपुर (2009-10 के दौरान) में पांच⁸ जिलों के एजेण्टों को शराब जारी करते हुए केवल मासिक नकद बिक्री आधार पर छूट अनुमत करने की उक्त स्कीम के प्रावधान के प्रतिकूल उधार बिक्रियों के आधार पर उठाई गई शराब की मात्रा पर छूट अनुमत की गई। परिणामतः कम्पनी को इन एजेण्टों को उनके द्वारा मासिक नकद बिक्री आधार पर भी उठाई गई मात्रा पर ₹ 77.16 लाख की स्वीकार्य वास्तविक छूट के प्रति ₹ 97.00 लाख के कुल छूट के भुगतान पर 2008-2009 से 2009-2010 की अवधि के दौरान ₹ 19.84 लाख की हानि हुई। इसके परिणामस्वरूप सम्बन्धित महीनों के दौरान उधार बिक्रियों पर उठाई गई शराब की मात्रा पर ₹ 19.84 लाख की अस्वीकार्य छूट दी गई।

प्रबन्धन ने बताया (जून 2012) कि मात्रात्मक छूट की गणना कुल मासिक उठाए गए के आधार पर की गई क्योंकि एजेण्टों के लिए शराब को उनके संयंत्र से नकद बिक्रियों के आधार पर थोक में उठाना सम्भव नहीं था। यह भी आगे बताया गया कि उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए और शराब की बिक्री को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक मास में उठाई गई समूची मात्रा पर छूट दी जानी थी अन्यथा शराब की बिक्री पर प्रतिकूल प्रभाव होता।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अप्रैल 2008 से मार्च 2010 की अवधि के दौरान ₹ 12.29 करोड़ मूल्य की शराब की कुल मात्रा उठाई गई थी और इसमें से ₹ 9.49 करोड़ मूल्य की मात्रा की मासिक नकदी आधार पर उठाई गई तथा शेष मात्रा उधार बिक्री पर। अतः प्रत्येक मास उठाई गई समूची मात्रा पर अनुमत छूट, जैसा कि उत्तर में बताया गया, न केवल नकद बिक्रियों पर ही छूट अनुमति की अपनी ही नीति को जानबूझकर दर किनार किया अपितु इससे नकद बिक्रियों के बढ़ावे में भी सहायता नहीं मिली।

मामला सरकार को मई 2012 में संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2012)।

⁸ देशी शराब बोटलिंग संयंत्र, परवाणु: शिमला, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर तथा देशी शराब बोटलिंग संयंत्र, मेहतपुर: चम्बा।

हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित

4.7 कार्य प्रभारित स्टाफ व्यय की अवसूली के कारण हानि

उद्योग विभाग के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों/सम्पदाओं की जलापूर्ति स्कीमों के परिचालन एवं अनुरक्षण पर तैनात कार्य प्रभारित स्टाफ के समूचे स्थापना कार्यों की वसूली में कम्पनी की विफलता से ₹ 30.74 लाख की हानि हुई।

हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित (कम्पनी) उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों/सम्पदाओं में जलापूर्ति स्कीमों का परिचालन करती है। कम्पनी इन स्कीमों के परिचालन एवं अनुरक्षण हेतु कार्य प्रभारित स्टाफ तैनात करती है और इस पर किए गए व्यय की प्रति-पूर्ति वार्षिक आधार पर उद्योग विभाग द्वारा की जाती है। कम्पनी आकस्मिकताओं हेतु तीन प्रतिशत प्रावधान सहित प्रत्येक स्कीम के परिचालन एवं अनुरक्षण पर किए जाने वाले व्यय के लिए आकलनों को तैयार करती है। आकलनों को प्रत्येक वर्ष उद्योग विभाग से स्वीकृत किया जाता है और स्वीकृति के पश्चात् राशि को विभाग द्वारा कम्पनी के पास जमा करवाया जाता है।

इन स्कीमों के परिचालन एवं अनुरक्षण से सम्बन्धित अभिलेखों (अगस्त/सितम्बर 2011) की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि कम्पनी ने आकलनों को बनाते हुए इन स्कीमों के परिचालन पर तैनात कार्य प्रभारित स्टाफ के केवल वेतन को ध्यान में रखा किन्तु उन्हें भुगतान किए जाने वाले नियोक्ता के अंशदायी भविष्य निधि के प्रति अंशदान, अवकाश वेतन अंशदान, चिकित्सा व्यय, प्रोत्साहन/बोनस सम्बन्धित निष्पादन, आदि जैसे अन्य व्ययों को सम्मिलित करने में विफल रही।

2008-09 से 2010-11 की अवधि के दौरान कम्पनी ने इस सम्बन्ध में ₹ 26.22 लाख का व्यय किया था किन्तु आकलनों में इस व्यय को सम्मिलित न करने के कारण, जो समय-समय पर उद्योग विभाग से स्वीकृत किया गया था, कम्पनी उसे विभाग से वसूल नहीं कर सकी। इसके अतिरिक्त, आकस्मिकताओं पर किया गया ₹ 4.52 लाख का व्यय भी वसूल नहीं किया गया यद्यपि आकलनों में प्रावधान था। इसके परिणामस्वरूप उद्योग विभाग से ₹ 30.74 लाख (₹ 26.22 लाख + ₹ 4.52 लाख) के व्यय की वसूली नहीं हुई।

प्रबन्धन ने बताया (फरवरी 2012) कि ये व्यय आकस्मिक प्रकृति के थे तथा आकलनों में सम्मिलित नहीं किए जा सकते थे क्योंकि कम्पनी पहले ही अधिकतम तीन प्रतिशत आकस्मिकताओं को प्रभारित कर रही थी। यह भी बताया गया कि कम्पनी ने पहले की भान्ति कार्य प्रभावित कर्मचारियों के विशिष्ट व्ययों की वसूली करने के स्थान पर उद्योग विभाग से जून 2011 से आकलनों में किए गए कार्यों की राशि पर आकस्मिकताओं के प्रति तीन प्रतिशत वसूल करना शुरू कर दिया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कार्य प्रभावित स्टाफ पर उनके अंशदायी भविष्य निधि, अवकाश वेतन अंशदान, चिकित्सा तथा प्रोत्साहन/बोनस सम्बन्धित निष्पादन के प्रति किया गया ₹ 26.22 लाख का सकल व्यय आकस्मिक व्यय नहीं था अपितु यह स्थापना व्यय था तथा वेतन एवं भत्तों

के साथ आकलनों में सम्मिलित किया जाना चाहिए था। कम्पनी को अवगत होना चाहिए कि आकस्मिकताओं हेतु तीन प्रतिशत प्रावधान विविध व्यय की पूर्ति हेतु था जो आकलनों को बनाते समय ज्ञात नहीं होता और आकस्मिकताओं हेतु ऐसे प्रावधानों को वेतन एवं भत्तों पर स्थापना व्ययों का भाग नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि यद्यपि उक्त अवधि हेतु ₹ 4.52 लाख का आकस्मिक व्यय आकलनों में सम्मिलित किए जाने पर भी वसूल नहीं किया गया था।

मामला सरकार को अप्रैल 2012 में संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2012).

हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित

4.8 केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाना

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार चलायमान अग्रिम की समयबद्ध ढंग से वसूली न करने के परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 2.61 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों (अप्रैल 2007) में अनुबंध है कि ठेकेदार को चलायमान अग्रिम का भुगतान आवश्यकता के आधार पर तथा इसकी वसूली समय सीमा के आधार पर, न कि अग्रिम की वसूली को सुनिश्चित करने हेतु कार्य प्रगति से जोड़ कर की जानी चाहिए।

हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित (कम्पनी) द्वारा 111 मेगावाट स्वारा कुड्डू जल विद्युत परियोजना के निर्माण सम्बन्धी कार्यों⁹ को मार्च 2012 (32 महीने) की पूर्णता अनुसूचित तिथि सहित ₹ 283.49 करोड़ की लागत पर मैसर्ज पटेल इंजीनिरिंग सीमित को दिया गया (अगस्त 2009)। ठेकेदार के साथ किए गए (सितम्बर 2009) ठेको करारनामे के खण्ड 14.2 में निहित प्रावधानों के अनुसार ठेकेदार को सितम्बर 2009 तथा मई 2010 के मध्य तीन किस्तों में ब्याज मुक्त चलायमान अग्रिम समग्र ₹ 14.17 करोड़¹⁰ अनुमत किया गया जो संगत राशि की बैंक प्रत्याभूति के प्रति निर्धारित समय अनुसूची के अनुसार जारी किया गया किन्तु केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अप्रैल 2007 के उपरोक्त दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में इसकी वसूली को कार्य की प्रगति/30 प्रतिशत से अधिक के प्रमाणित अन्तरिम भुगतान की स्वीकार्य अनुबंध राशि के साथ जोड़ा गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया (सितम्बर 2011) कि इस प्रकार अनुमत अग्रिम की समूची राशि ठेकेदार के पास बिना किसी वसूली के 23 नवम्बर 2011 तक पड़ी रही क्योंकि ठेकेदार 32

⁹ डाइवर्सन बैराज, पावर इनटेक, अवरोही व्यवस्था द्वारा एवं उत्तोलन व्यवस्था।

¹⁰ ₹ 7.09 करोड़ सितम्बर 2009 में, ₹ 3.54 करोड़ अप्रैल 2010 में तथा ₹ 3.54 करोड़ मई 2010 में।

महीनों के कार्य पूर्णता के अनुसूचित समय के प्रति कार्य सौंपने (अगस्त 2009) की तिथि से 26 महीनों की समाप्ति (नवम्बर 2011 तक) के पश्चात् भी कार्य की निर्दिष्ट 30 प्रतिशत मात्रा के निष्पादन में विफल रहा। तथापि, चलायमान अग्रिम के प्रति वसूली 24 नवम्बर 2011 से 25 वें चालू लेखा बिल से शुरू की गई थी जब ठेकेदार द्वारा अनुबंध किए गए 30 प्रतिशत कार्यों की प्रगति प्राप्त कर ली गई जिसका कारण केवल उसके द्वारा ही कार्य की धीमी गति था। अग्रिम के समायोजन में विलम्ब सार्थक माना गया क्योंकि कम्पनी इस परियोजना के निष्पादनार्थ एशियन विकास बैंक से 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर निधियां उधार ले रही हैं। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार समयबद्ध ढंग से अग्रिम की वसूली हेतु करारनामे में निर्दिष्ट प्रावधानों को न जोड़ने के परिणामस्वरूप ठेकेदार को एशियन विकास बैंक ₹ 2.61 करोड़¹¹ का अनुचित वित्तीय लाभ हुआ जो चलायमान अग्रिम पर आहरण की तिथि से 23 नवम्बर 2011 तक ब्याज की राशि है।

प्रबन्धन ने बताया (फरवरी 2012) कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार ब्याज मुक्त चलायमान अग्रिम की शर्त के निर्णय का अधिकार निदेशक मण्डल के पास है। यह भी बताया गया था कि इस पैकेज के बोली दस्तावेज एशियन विकास बैंक द्वारा तथा बाद में मार्च 2009 में कम्पनी के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किए गए और करारनामे में चलायमान अग्रिम का प्रावधान केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों के विपरीत नहीं था।

मामला सरकार को अप्रैल 2012 में सन्दर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2012)।

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित

4.9 मोटर वाहन कर की अवसूली के कारण परिहार्य हानि

कम्पनी की पंजाब राज्य द्वारा प्रभारित किए गए मोटर वाहन कर को यात्रियों के बस किराए में सम्मिलित करके वसूल करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹68.46 लाख की परिहार्य हानि हुई।

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित (कम्पनी) दिल्ली-धर्मशाला तथा दिल्ली-मनाली मार्गों पर यात्रियों को परिवहन सुविधाएं मुहैया करवाने हेतु अविराम बसों का परिचालन करता है। ये बसें अनुबन्ध वाहन के रूप में अखिल भारतीय पर्यटक परमिट सहित चलती है। कम्पनी द्वारा बस का किराया, डीजल लागत, विभिन्न राज्यों, जिनमें कम्पनी की बसों को गुजरना होता है, द्वारा प्रभारित मोटर वाहन कर एवं सेवाकर को हिसाब में लेते हुए निर्धारित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, बस किराए में मार्गकर, ठहराव प्रभार, सीट कवर/पर्दे का अनुरक्षण आदि जैसे विविध अतिरिक्त प्रभारों को आवृत्त करने हेतु धारण प्रभार भी सम्मिलित होते हैं। कम्पनी द्वारा

¹¹ ब्याज हानि की संगणना किस्ते जारी होने की तिथि से दस प्रतिशत प्रतिवर्ष पर की गई है।

किराए को समय-समय पर ईंधन एवं करों की दरों में वृद्धि को यात्रियों से वसूलने हेतु संशोधित भी किया जाता है ।

लेखापरीक्षा में यात्रियों से प्रभारित किए जा रहे बस किराए के निर्धारण तन्त्र की संवीक्षा की (मार्च/अप्रैल 2011) और पाया कि दिल्ली-मनाली तथा दिल्ली-धर्मशाला मार्गों के बस किराए का निर्धारण करते समय हिमाचल प्रदेश और हरियाणा राज्यों द्वारा प्रभारित किए जा रहे मोटर वाहन कर को घटक में लिया गया किन्तु पंजाब द्वारा प्रभारित मोटर वाहन कर किराए में नहीं जोड़ा गया था । इन दो मार्गों पर परिचालित बसों को पंजाब क्षेत्र से गुजरना पड़ता था, पंजाब राज्य इन बसों से मोटर वाहन कर नियमित रूप से प्रभारित करता था । 2009-10 से 2011-12 (जनवरी 2012 तक) की अवधि के दौरान कम्पनी द्वारा अपनी बसें दिल्ली-मनाली तथा दिल्ली-धर्मशाला मार्गों पर चलाते हुए पंजाब राज्य को ₹ 68.46 लाख के मोटर वाहन कर का भुगतान किया किन्तु बस किराए में इस घटक को सम्मिलित न करने के कारण कम्पनी द्वारा परिचालित बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों से उसे वसूल नहीं किया जा सका ।

अतः यात्रियों से पंजाब मोटर वाहन कर की वसूली न करने के कारण कम्पनी को ₹ 68.46 लाख की परिहार्य हानि हुई क्योंकि इसका भुगतान कम्पनी को अपने स्रोत से करना पड़ा ।

सरकार ने बताया (अगस्त 2012) कि किराया निर्धारित करते समय पंजाब मोटर वाहन कर के घटक को लिया गया था और इस घटक को धारण प्रभारों के अन्तर्गत किराए ढांचे में सम्मिलित किया गया था ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि धारण प्रभारों को कर, ठहराव प्रभार, सीट कवर/पर्दे के अनुरक्षण, आदि जैसे विविध अतिरिक्त प्रभारों को आवृत्त करने हेतु वसूल किया जा रहा था जैसा कि ऊपर बताया गया और न कि मोटर वाहन आवृत्त करने के लिए। पंजाब राज्य द्वारा प्रभारित मोटर वाहन कर को बस किराए में सम्मिलित किया जाना चाहिए था जैसा कि हिमाचल प्रदेश तथा हरियाणा राज्यों द्वारा प्रभारित इसी कर के लिए किया गया था ।

4.10 बैंक प्रभारों की अवसूली के कारण परिहार्य हानि

कम्पनी की ग्राहकों से बैंक प्रभारों की वसूली में विफलता के परिणामस्वरूप 2008-09 से 2011-12 की अवधि के दौरान ₹ 54.33 लाख की परिहार्य हानि हुई ।

हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित (कम्पनी) ने पर्यटकों द्वारा इसके परिसरों में आवास बुकिंग हेतु ऑनलाईन सिस्टम (इंटरनेट पेमेंट ऑफ गेटवे) शुरू किया (2005-06) । कम्पनी ने पर्यटकों को डेबिट/क्रेडिट कार्डों के माध्यम से बिलों के भुगतान करने की सुविधा हेतु इलेक्ट्रॉनिक डाटा कैप्चर टर्मिनल मशीन (ई डी सी मशीन/स्वीप मशीन) भी लगाई (2007-08) । इन सुविधाओं को मुहैया करवाने के लिए कम्पनी ने एच डी एफ सी तथा यू टी आई बैंकों के साथ करारनामा किया (मई 2007) । इन बैंकों ने अपनी सेवाएं प्रदान करने हेतु कम्पनी से सेवा प्रभारों के रूप में 1.25 से 3.50 प्रतिशत प्रभारित किया ।

लेखापरीक्षा में पाया गया (मई 2011) कि कम्पनी ने डेबिट/क्रेडिट कार्डों के माध्यम से ग्राहकों से होटलों के किराए तथा खाने के बिलों के सम्बन्ध में ₹ 29.59 करोड़ प्राप्त किए जिसके प्रति

अप्रैल 2008 से मार्च 2012 की अवधि के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मर्चेड डिस्काउंट रेट ढांचे के प्रावधानों के अन्तर्गत बैंकों द्वारा बैंक प्रभारों के रूप में ₹ 54.33 लाख की राशि डेबिट की गई। तथापि, कम्पनी ने ग्राहकों से बैंक प्रभारों को वसूल नहीं किया। अतः ग्राहकों से बैंक प्रभारों की वसूली न करने के परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा (पर्यटन विभाग) समय-समय पर यथानुमोदित मूल कक्ष किराए/शुल्क दर की कम प्राप्ति के साथ कम्पनी को ₹ 54.33 लाख की अनुवर्ती परिहार्य हानि हुई।

राज्य सरकार ने बताया (अक्टूबर 2012) कि पेमेंट गेटवे के माध्यम से आवास एवं परिवहन बुकिंग की अवधारणा अतिथियों को परेशानी मुक्त सुविधा देने के साथ-साथ विशेष विपणन उपाय के रूप में शुरू की गई थी। ग्राहकों से पृथक रूप से ऐसी छोटी राशि प्रभारित करना एक अच्छा प्रभाव नहीं होगा। इतनी ही नहीं, कम्पनी एयरलाइन्स अथवा अन्य निजी बुकिंग साइट के साथ तुलना नहीं कर सकती जो ग्राहकों से बैंक प्रभारों को प्रभारित कर रहे हैं। राज्य सरकार ने यह भी बताया कि बैंक प्रभारों के भुगतान द्वारा मूल कक्ष किराए को कम नहीं किया गया था क्योंकि यात्रा एजेण्टों को दी जाने वाले कमीशन अथवा बैंक प्रभारों को खर्च के रूप में लिया जा रहा था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यात्रा एजेण्टों को भुगतान योग्य कमीशन की बचतों के अतिरिक्त बैंक प्रभारों पर हुई हानि भी ग्राहकों से वसूली द्वारा परिहार्य हो सकती थी जैसी कि ऐसे ही कारोबार में अन्य निजी/सरकारी होटलों द्वारा वसूली जा रही थी। इसके अतिरिक्त, इससे मूल अनुमोदित कक्ष शुल्कदर आय में कमी आएगी जब बैंकों द्वारा वसूल किया गया कक्ष किराया बैंक प्रभारों को समायोजित करने के पश्चात् कम्पनी को भुगतान किया जाएगा।

सांविधिक निगम

हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम

4.11 सरकारी धन का अपवर्तन

निगम द्वारा उद्योगों की प्रोन्नति हेतु रखे गए असंवितरित ₹ 0.51 करोड़ के उपदान का कार्यशील पूंजी के प्रति अपवर्तन।

भारत सरकार ने देश में औद्योगिकरण की प्रोन्नति हेतु केन्द्रीय निवेश उपदान स्कीम शुरू की (अगस्त 1971)। इस स्कीम के अंतर्गत औद्योगिक इकाईयां पूंजी निवेश पर 25 प्रतिशत के केन्द्रीय उपदान की पात्र थी। तथापि, स्कीम को 30 सितम्बर 1988 से समाप्त कर दिया गया था। उच्चतम न्यायालय के दिसम्बर, 1995 के निर्णयानुसार दावों के शेष मामले (दावे 30 सितम्बर 1988 तक वैध थे) उपदान की मंजूरी हेतु पात्र माने जाने थे।

हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम उन औद्योगिक इकाईयों के सम्बंध में उपदान के वितरण हेतु नोडल एजेंसी थी जिनको उसने वित्तपोषित किया। राज्य सरकार (उद्योग विभाग) ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में निगम द्वारा दाखिल अंतरिम दावों के आधार पर निगम को 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान ₹ 2.57 करोड़ जारी किए। ₹ 2.57 करोड़ में से निगम

केवल ₹ 2.06 करोड़ ही पात्र इकाईयों को संवितरित कर सका तथा ₹ 0.51 करोड़ का शेष असंवितरित उपदान न तो राज्य सरकार को प्रत्यार्पित किया गया न ही ब्याज अर्जित करने वाले लेखे में रखा गया जिससे मामले पर कोई अंतिम निर्णय लेने तक ब्याज प्राप्त किया जा सकता अपितु निगम द्वारा अपनी क्रियाशील पूंजीगत आवश्यकताओं के प्रति प्रयुक्त किया गया ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (जुलाई 2007) निगम ने उद्योग विभाग से असंवितरित उपदान के समायोजनार्थ परामर्श मांगा (दिसम्बर 2007)। तथापि, विभाग ने निगम को परामर्श नहीं दिया और उपदान राशि बिना किसी औचित्य के निगम द्वारा सावधि जमा में निवेश की जगह अपनी क्रियाशील पूंजीगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निरंतर प्रयुक्त किया जा रहा था, जिसे उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी अपने पत्र दिनांक अप्रैल 2008 द्वारा इंगित किया था।

अतः अपनी क्रियाशील पूंजीगत आवश्यकताओं हेतु ₹ 0.51 करोड़ के असंवितरित उपदान को रखने के अविवेकी निर्णय के परिणामस्वरूप विगत 13 वर्षों से अधिक हेतु (अप्रैल 1999 से अक्टूबर 2012) ₹ 0.96 करोड़ की ब्याज हानि के अतिरिक्त सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ ।

निगम ने बताया (अगस्त 2012) कि औद्योगिक इकाईयों द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों के आधार पर निगम ने ₹ 2.06 करोड़ जारी किए तथा ₹ 0.51 करोड़ की शेष राशि हेतु दावे दस्तावेजी साक्ष्य सहित आज तक प्राप्त नहीं हुए थे और इसलिए यह राशि चालू खाते में रखी गई थी जिस पर निगम को ब्याज नहीं मिल रहा था ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निगम राज्य सरकार को या तो असंवितरित उपदान ब्याज सहित प्रत्यार्पित कर सकती थी या राज्य सरकार के अनुमोदन बिना अपनी क्रियाशील पूंजी के प्रति प्रयुक्त के स्थान पर ब्याज अर्जित वाले खाते में रख सकती थी ।

मामला सरकार को जुलाई 2012 में संदर्भित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (नवम्बर 2012)।

सामान्य

4.12 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

बकाया व्याख्यात्मक टिप्पणियां

4.12.1 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सरकार के विभिन्न कार्यालयों तथा विभागों में अनुरक्षित लेखाओं तथा अभिलेखों के आरम्भिक निरीक्षण से प्रारम्भ करते हुए संवीक्षा की प्रक्रिया के चरमबिन्दु को प्रदर्शित करते हैं । इसलिए यह आवश्यक है कि ये कार्यपालिका से उपयुक्त तथा समयोपरि उत्तर प्रकाश में लायें । राज्य के वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित परिच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर लोक उपक्रमों की समिति से किसी भी नोटिस अथवा कॉल की प्रतीक्षा किए बिना विधानसभा को उनकी प्रस्तुती के तीन मास के भीतर की गई परिशोधनात्मक/उपराचात्मक

कार्रवाई अथवा प्रस्तावित की गई कार्रवाई को दर्शाते हुए व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश जारी किए (फरवरी 1994)।

यद्यपि वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को राज्य विधान सभा में अप्रैल 2011 और अप्रैल 2012 में प्रस्तुत किया गया था किन्तु दो विभागों ने 30 सितम्बर 2012 तक 29 परिच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं में से 12 पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत नहीं की जैसाकि नीचे तालिका 4.1 में इंगित है:

तालिका 4.1

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) का वर्ष	प्रस्तुतिकरण की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कुल परिच्छेद/निष्पादन लेखापरीक्षाएं	परिच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुईं
2009-10	अप्रैल 2011	13	1
2010-11	अप्रैल 2012	16	11
योग		29	12

विभागवार विश्लेषण भी निम्न तालिका 4.2 में दिया गया है:

तालिका 4.2

विभाग का नाम	2009-10	2010-11
विद्युत	-	10
वित्त	1	1
योग	1	11

व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत न करने के लिए विद्युत विभाग अधिकांशतः उत्तरदायी था, जिसने 12 परिच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं में से 10 की व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत नहीं की।

लोक उपक्रमों की समिति के प्रतिवेदनों की अनुपालना की गई

4.12.2 लोक उपक्रमों की समिति की सिफारिशों पर टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण से छःमास के भीतर प्रस्तुत की जानी अपेक्षित है। दिसम्बर 2008 तथा अगस्त 2012 के मध्य राज्य विधानसभा को प्रस्तुत किये गए लोक उपक्रमों की समिति के 15 प्रतिवेदनों से सम्बन्धित 17 परिच्छेदों के उत्तर सितम्बर 2012 तक प्राप्त नहीं हुए थे जैसाकि निम्न

तालिका 4.3 में इंगित है:

तालिका 4.3

लोक उपक्रम की समिति के प्रतिवेदन का वर्ष	अन्तर्विष्ट प्रतिवेदनों की कुल संख्या	परिच्छेदों की संख्या जिनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए
2008-09	1	1
2009-10	2	2
2010-11	4	5
2011-12 (30.9.2012 तक)	8	9
योग	15	17

निरीक्षण प्रतिवेदनों, प्रारूप परिच्छेदों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर प्रतिक्रिया

4.12.3 लेखापरीक्षा के दौरान की गई तथा कार्यस्थल पर न निपटाई गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा सम्बन्धित विभागों के अध्यक्षों को सूचित किया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्षों से निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर चार सप्ताह के भीतर सम्बन्धित विभागाध्यक्षों के माध्यम से प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित थे। 21 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित मार्च 2012 तक जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों से उद्घाटित हुआ कि 30 सितम्बर 2012 के अंत तक 989 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित 4,122 परिच्छेद बकाया पड़े हुए थे। 30 सितम्बर 2012 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का विभागवार ब्योरा परिशिष्ट 4.1 में दिया गया है।

इसी भांति, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यप्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों तथा प्रारूप परिच्छेदों को अर्ध शासकीय पत्र द्वारा सम्बद्ध प्रशासनिक विभाग के सचिव को तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करने तथा उन पर उनकी टिप्पणियां छः सप्ताह की अवधि के भीतर प्रस्तुत करने के लिए अग्रेषित किया जाता है। तथापि, दो विभागों को अप्रैल 2012 तथा सितम्बर 2012 के मध्य अग्रेषित एक निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और नौ प्रारूप परिच्छेदों का उत्तर अभी तक (नवम्बर 2012) नहीं दिया गया था, जैसाकि परिशिष्ट 4.2 में ब्योरा है।

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार यह सुनिश्चित करे (क) निर्धारित समय अनुसूची के अनुसार लोक उपक्रम समिति की सिफारिशों पर निरीक्षण प्रतिवेदनों/प्रारूप परिच्छेदों/ टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई हेतु, के उत्तरों का भेजना, (ख) हानि/बकाया अग्रिमों/अधिक भुगतानों की निर्धारित समय अनुसूची के भीतर वसूली की गई, तथा (ग) लेखापरीक्षा टिप्पणियों का उत्तर देने की प्रणाली का नवीकरण करना ।

शिमला
दिनांक

11 MAR 2013




(सतीश लूम्बा)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमालच प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक

14 MAR 2013



(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

(संदर्भ परिच्छेद 1.1, 1.15 तथा 1.35)

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के नवीनतम वर्ष से सम्बन्धित सारांशित वित्तीय परिणाम जिसके लिए लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया

(कॉलम 5 (क) से (10) में आंकड़े ₹ करोड़ में हैं)

क्रमांक	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	लेखा अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	निवल लाभ (+)/ हानि (-)				कुल बिक्री	लेखा टिप्पणियों का प्रभाव ¹	प्रदत्त पूंजी	संचित लाभ (+)/ हानि (-)	नियोजित पूंजी ²	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल ³	नियोजित पूंजी पर प्रतिशतता
				ब्याज तथा मूल्यहास से पूर्व निवल लाभ/हानि (-)	ब्याज	मूल्यहास	निवल लाभ/हानि (-)							
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
क. क्रियाशील सरकारी कम्पनियां														
कृषि एवं समवर्गी														
1.	हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित	2009-10	2011-12	(-)0.49	0.07	0.08	(-)0.64	25.45	(-)7.47	11.80	(-)13.76	(-)4.00	(-)0.57	-
2.	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं विधयन निगम सीमित	2010-11	2011-12	(-)1.50	0.24	0.50	(-)2.24	70.16	(-)9.45	38.76	(-)55.28	(-)7.94	(-)2.00	-
3.	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित	2009-10	2011-12	9.75	1.53	0.51	7.71	136.82	(-)56.08	11.71	(-)40.95	126.45	9.24	7.31
क्षेत्रवार योग				7.76	1.84	1.09	4.83	232.43	(-)73.00	62.27	(-)109.99	114.51	6.67	5.82
वित्त पोषित														
4.	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	2009-10	2012-13	0.77	0.31	0.01	0.45	1.56	-	10.18	4.33	23.28	0.76	3.26
5.	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	2009-10	2011-12	0.17	-	-	0.17	0.35	(-)0.52	5.75	0.25	5.90	0.17	2.88
6.	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	2009-10	2011-12	(-)0.16	0.24	0.03	(-)0.43	0.27	0.89	5.95	(-)2.78	15.05	(-)0.19	-
क्षेत्रवार योग				0.78	0.55	0.04	0.19	2.18	0.37	21.88	1.80	44.23	0.74	1.67

(कॉलम 5 (क) से (10) में आंकड़े ₹ करोड़ में हैं)

क्रमांक (1)	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम (2)	लेखा अवधि (3)	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया (4)	निवल लाभ (+)/ हानि (-)				कुल बिक्री (6)	लेखा टिप्पणियों का प्रभाव ¹ (7)	प्रदत्त पूंजी (8)	संचित लाभ(+)/ हानि (-) (9)	नियोजित पूंजी ² (10)	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल ³ (11)	नियोजित पूंजी पर प्रतिशतता प्रतिफल (12)
				ब्याज तथा मूल्यहास से पूर्व निवल लाभ/हानि (-) (5 (क))	ब्याज (5 (ख))	मूल्यहास (5 (ग))	निवल लाभ/ हानि (-) (5 (घ))							
अवसररचना														
7.	हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसररचना विकास निगम सीमित	2011-12	2012-13	-	-	-	⁴	-	-	25.00	-	753.99	-	-
8.	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित	2010-11	2011-12	(-)2.27	-	0.15	(-)2.42	23.73	(-)0.30	30.82	9.77	52.61	(-)2.42	-
क्षेत्रवार योग				(-)2.27	-	0.15	(-)2.42	23.73	(-)0.30	55.82	9.77	806.60	(-)2.42	-
विनिर्माण														
9.	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित	2011-12	2012-13	0.73	0.21	0.08	0.44	26.10	Under audit	7.16	(-)3.47	6.22	0.65	10.45
क्षेत्रवार योग				0.73	0.21	0.08	0.44	26.10		7.16	(-)3.47	6.22	0.65	10.45
विद्युत														
10.	व्यास घाटी विद्युत निगम सीमित	2011-12	2012-13	-	-	-	⁵	-	-	-	-	-	-	-
11.	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित	2011-12	2012-13	-	-	-	⁵	-	-	-	-	-	-	-
12.	हिमाचल प्रदेश विद्युत संचरण निगम सीमित	2010-11	2011-12	-	-	-	⁵	-	-	-	-	-	-	-
13	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित	-	-	-	-	-	⁶	-	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(कॉलम 5 (क) से (10) में आंकड़े ₹ करोड़ में हैं)

क्रमांक	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	लेखा अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	निवल लाभ (+)/ हानि (-)				कुल बिक्री	लेखा टिप्पणियों का प्रभाव ¹	प्रदत्त पूंजी	संचित लाभ(+)/ हानि (-)	नियोजित पूंजी ²	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल ³	नियोजित पूंजी पर प्रतिशतता प्रतिफल
				ब्याज तथा मूल्यहास से पूर्व निवल लाभ/हानि (-)	ब्याज	मूल्यहास	निवल लाभ/ हानि (-)							
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
खेवा														
14	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम सीमित	2011-12	2012-13	7.40	0.40	0.96	6.04	1117.78	लेखापरीक्षाधीन	3.51	21.63	28.50	6.44	22.60
15.	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम सीमित	2011-12	2012-13	0.36	--	0.06	0.30	30.38	लेखापरीक्षाधीन	3.72	0.67	7.09	0.30	4.23
16.	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम सीमित	2011-12	2012-13	0.72	--	0.04	0.68	21.22	लेखापरीक्षाधीन	8.75	(-)20.38	(-)2.87	0.68	-
17.	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित	2010-11	2011-12	4.29	0.08	2.63	1.58	67.28	(-)0.32	12.30	(-)16.95	(-)1.80	1.66	-
क्षेत्रवार योग				12.77	0.48	3.69	8.60	1236.66	(-)0.32	28.28	(-)15.03	30.92	9.08	29.37
योग क (सभी क्षेत्रवार क्रियाशील सरकारी कम्पनियों)				19.77	3.08	5.05	11.64	1521.10	(-)73.25	175.41	(-)116.92	1002.48	14.72	1.47
ख क्रियाशील सांविधिक निगम														
वित्त पोषण														
1.	हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम	2011-12	2012-13	6.63	7.99	0.06	(-)1.42	10.88	(-)2.74	99.57	(-)118.90	263.25	6.57	2.50
क्षेत्रवार योग				6.63	7.99	0.06	(-)1.42	10.88	(-)2.74	99.57	(-)118.90	263.25	6.57	2.50

2012 की प्रतिवेदन संख्या 4 (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम)

(कलम 5 (क) से (10) में आंकड़े ₹ करोड़ में हैं)

क्रमांक	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	लेखा अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	निवल लाभ (+)/ हानि (-)				कुल बिक्री	लेखा टिप्पणियों का प्रभाव ¹	प्रदत्त पूंजी	संचित लाभ (+)/ हानि (-)	नियोजित पूंजी ²	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल ³	नियोजित पूंजी पर प्रतिशतता प्रतिफल
				ब्याज तथा मूल्यहास से पूर्व निवल लाभ/ हानि (-)	ब्याज	मूल्यहास	निवल लाभ/ हानि (-)							
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
विद्युत														
2.	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड	2009-10	2010-11	129.12	176.21	105.53	(-)152.62	2978.35	(-)156.73 ⁷	971.78	(-)383.18	2556.01	23.59	0.92
क्षेत्रवार योग				129.12	176.21	105.53	(-)152.62	2978.35	(-)156.73	971.78	(-)383.18	2556.01	23.59	0.92
खेवा														
3.	हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम	2011-12	2012-13	(-)49.58	12.22	18.85	(-)80.65	479.89 ⁸	लेखापरीक्षाधीन	439.00	(-)653.45	(-)143.28	(-)68.43	-
क्षेत्रवार योग				(-)49.58	12.22	18.85	(-)80.65	479.89 ⁸		439.00	(-)653.45	(-)143.28	(-)68.43	-
योग-ख (सभी क्षेत्रवार क्रियाशील सांविधिक निगम)				86.17	196.42	124.44	(-)234.69	3469.12	(-)159.47	1510.35	(-)1155.53	2675.98	(-)38.27	
सकल योग (क +ख)				105.94	199.50	129.49	(-)223.05	4990.22	(-)232.72	1685.76	(-) 1272.45	3678.46	(-)23.55	-
ग. अक्रियाशील सरकारी कम्पनियाँ														
कृषि एवं समवर्गी														
1.	कृषि औद्योगिक पैकेजिंग इंडिया सीमित	2010-11	2012-13	(-)1.54	-	0.08	(-)1.62	-	-	17.72	(-)77.80	0.07	(-)1.62	-
क्षेत्रवार योग				(-)1.54	-	0.08	(-)1.62	-	-	17.72	(-)77.80	0.07	(-)1.62	-

(कॉलम 5 (क) से (10) में आंकड़े ₹ करोड़ में हैं)

क्रमांक	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	लेखा अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	निवल लाभ (+)/ हानि (-)				कुल बिक्री	लेखा टिप्पणियों का प्रभाव ¹	प्रदत्त पूंजी	संचित लाभ (+)/ हानि (-)	नियोजित पूंजी ²	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल ³	नियोजित पूंजी पर प्रतिशतता प्रतिफल
				ब्याज तथा मूल्यहास से पूर्व निवल लाभ/हानि (-)	ब्याज	मूल्यहास	निवल लाभ/हानि (-)							
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(1)	(2)	(12)
विनिर्माण														
2.	हिमाचल वर्सटिड मिल्लज सीमित	2000-01	2001-02	(-)0.01	-	-	(-)0.01	-	-	0.92	(-)5.44	(-)0.64	(-)0.01	-
3	नाहन फाउंडरी सीमित	2010-11	2011-12	0.01	-	-	0.01	-	-	3.50	(-)4.76	(-)1.28	0.01	-
क्षेत्रवार योग				-	-	-	-	-	-	4.42	-	(-)1.92	-	-
योग-ग (सभी क्षेत्र वार अक्रियाशील सरकारी कम्पनियां)				(-)1.54	-	0.08	(-)1.62	-	-	22.14	(-)88.00	(-)1.85	(-)1.62	-
सकल योग (क+ख+ग)				104.40	199.50	129.57	(-)224.67	4990.22	(-)232.72	1707.90	(-) 1360.45	3676.62	(-)25.17	-

- 1 लेखा टिप्पणियों के प्रभाव में सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के कुल प्रभाव शामिल हैं तथा लाभ में वृद्धि/हानियों में कमी (+)लाभ में कमी/हानि में वृद्धि (-) द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है।
- 2 वित्त कम्पनियों/निगमों जिनमें नियोजित पूंजी प्रदत्त पूंजी, मुक्त रिजर्व, बॉण्ड, जमा एवं उधारों (पुनः निधियन सहित) के अथशेष एवं अंतिम शेष को सकल औसत के रूप में संगणित किया जाता है, के मामले के अतिरिक्त नियोजित पूंजी निवल अचल परिसम्पत्तियों (पूंजीगत प्रगतिरत कार्यों सहित) जमा संचालन पूंजी को प्रदर्शित करती है।
- 3 नियोजित पूंजी पर प्रतिफल की गणना लाभ एवं हानि लेखा को लाभ व प्रभारित ब्याज जमा करके की गई है।
- 4 आय से अधिक व्यय की राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जाती है।
- 5 कम्पनियों (क्रम संख्या क-10, 11, 12) ने लाभ व हानि लेखे तैयार नहीं किए हैं।
- 6 क्रम संख्या-13 में कम्पनी ने निगमीकरण से अपने प्रथम लेखे तैयार नहीं किए हैं।
- 7 सरकार से (₹ 0.20 करोड़) उपदान/आर्थिक सहायता को ध्यान में रखने से पूर्व।
- 8 इनमें वर्ष के दौरान निःशुल्क/रियायती पास जारी करने तथा घाटे के मार्गों पर बसें चलाने के कारण प्राप्त किए ₹ 90 करोड़ का उपदान शामिल है।

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भ परिच्छेद 1.7)

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के सम्बन्ध में 31 मार्च 2012 तक अद्यतन प्रदत्त पूंजी, बकाया ऋण तथा मानवशक्ति के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

(कॉलम 5 (क) से 6 (घ) आंकड़े ₹ करोड़ में हैं)

क्रमांक	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	निगमोकरण का मास एवं वर्ष	प्रदत्त पूंजी ⁹				2011-12 के अन्त में बकाया ऋण ¹⁰				2011-12 हेतु ऋण इक्विटी अनुपात (विगत वर्ष)	मानव शक्ति (31.3.2012 तक)
				राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	(7)	(8)
क. क्रियाशील सरकारी कम्पनियाँ													
कृषि एवं समवर्गी													
1.	हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित	बागवानी	सितम्बर 1970	9.84	1.96	-	11.80	-	-	-	-	-	191
2.	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पादन विपणन एवं विधायन निगम सीमित	बागवानी	जून 1974	31.19	1.50	6.07	38.76	7.00	-	0.37	7.37	0.19:1 (0.01:1)	338
3.	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित	वन	मार्च 1974	11.71	-	-	11.71	-	-	110.75	110.75	9.46:1 (12.30:1)	2398
क्षेत्रवार योग				52.74	3.46	6.07	62.27	7.00	-	111.12	118.12	1.90 2.34:1	2927
वित्त पोषण													
4.	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण	जनवरी 1994	10.18	-	-	10.18	-	-	12.01	12.01	1.18:1 (1.07:1)	18
5.	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण	अप्रैल 1989	7.09	0.10	-	7.19	-	-	-	-	-	6
6.	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण	सितम्बर 996	7.45	-	-	7.45	-	-	13.13	13.13	1.76:1 (1.86:1)	13
क्षेत्रवार योग				24.72	0.10	-	24.82	-	-	25.14	25.14	1.01:1 (1.03:1)	37
अवसरचना													
7.	हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसरचना विकास निगम सीमित	लोक निर्माण	जून 1999	25.00	-	-	25.00	-	-	-	-	-	2
8.	हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित	उद्योग	नवम्बर 1966	30.82	-	-	30.82	-	-	-	-	-	178
विनिर्माण				55.82	-	-	55.82	-	-	-	-	-	180

(कॉलम 5 (क) से 6 (ग) में आंकड़े ₹ करोड़ में हैं)

क्रमांक	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	निगमीकरण का मास एवं वर्ष	प्रदत्त पूंजी ⁹				2011-12 के अन्त में बकाया ऋण ¹⁰				2011-12 हेतु ऋण इक्विटी अनुपात (विगत वर्ष)	मानवशक्ति (31.3.2012 तक)
				राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	(7)	(8)
विनिर्माण													
9.	हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित	उद्योग	नवम्बर 1972	7.04	-	0.12	7.16	2.97	-	-	2.97	0.41:1 (0.41:1)	212
क्षेत्रवार योग				7.04	-	0.12	7.16	2.97	-	-	2.97	0.41:1 (0.41:1)	212
विद्युत													
10.	व्यास घाटी विद्युत निगम सीमित	बहुउद्देशीय परियोजना एवं विद्युत	मार्च 2003	-	-	259.16	259.16	-	-	467.00	467.00	1.80:1 (1.81:1)	277
11.	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित	बहुउद्देशीय परियोजना एवं विद्युत	दिसम्बर 2006	150.50	-	646.26	796.76	721.20	-	42.42	763.62	0.96:1 (0.46:1)	993
12.	हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित	बहुउद्देशीय परियोजना एवं विद्युत	अगस्त 2008	166.70	-	-	166.70	-	-	112.89	112.89	0.68:1	105
13	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित	बहुउद्देशीय परियोजना एवं विद्युत	दिसम्बर 2009	396.53	-	575.25	971.78	19.11	-	1819.54	1838.65	1.89:1 (2.02:1)	20,882
क्षेत्रवार योग				713.73	-	1480.67	2194.40	740.31	-	2441.85	3182.16	1.45:1 (1.36:1)	22,257
खेवा													
14.	हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम	खाद्य एवं आपूर्ति	सितम्बर 1980	3.51	-	-	3.51	0.09	-	-	0.09	0.03:1 (0.03:1)	976
15.	हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम सीमित	उद्योग	अक्टूबर 1984	3.72	-	-	3.72	1.80	-	-	1.80	0.48:1 (0.52:1)	66
16.	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम सीमित	उद्योग	मार्च 1974	8.72	0.03	-	8.75	0.50	-	-	0.50	0.06:1 (0.06:1)	106
17.	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित	पर्यटन एवं नागरिक विमानन	सितम्बर 1972	12.30	-	-	12.30	-	-	-	-	-	1729
क्षेत्रवार योग				28.25	0.03	-	28.28	2.39	-	-	2.39	0.08:1 (0.09:1)	2877
योग क (सभी क्षेत्रवार क्रियाशील सरकारी कम्पनियाँ)				882.30	3.59	1486.86	2372.75	752.67	-	2578.11	3330.78	1.40:1 (1.33:1)	28490

2012 की प्रतिवेदन संख्या 4 (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम)

(कॉलम 5 (क) से 6 (घ) में आंकड़े ₹ करोड़ में हैं)

क्रमांक	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	निगमीकरण का मास एवं वर्ष	प्रदत्त पूंजी ⁹				2011-12 के अन्त में बकाया ऋण ¹⁰				2011-12 हेतु ऋण इक्विटी अनुपात (विगत वर्ष)	मानवशक्ति (31.3.2012 तक)
				राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	7	8
ख. क्रियाशील सांविधिक निगम													
वित्त पोषण													
1.	हिमाचल प्रदेश वितीय	उद्योग	अप्रैल 1967	92.98	-	6.59	99.57	-	-	147.68	147.68	1.48:1 (1.69:1)	47
क्षेत्रवार योग				92.98	-	6.59	99.57	-	-	147.68	147.68	1.48:1 (1.69:1)	47
सेवा													
2.	हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम	परिवहन	सितम्बर 1974	423.56	15.44	-	439.00	-	-	62.26	62.26	0.14:1 (0.14:1)	8492
क्षेत्रवार योग				423.56	15.44	-	439.00	-	-	62.26	62.26	0.12:1 (0.14:1)	8492
योग ख (सभी क्षेत्रवार क्रियाशील सांविधिक निगम)				516.54	15.44	6.59	538.57	-	-	209.94	209.94	0.39:1 (0.14:1)	8539
सकल योग (क +ख)				1398.84	19.03	1493.45	2911.32	752.67	-	2788.05	3540.72	1.22:1 (1.16:1)	37029
ग. अक्रियाशील सरकारी कम्पनियाँ													
कृषि एवं समवर्ती													
1.	एग्रो इण्डस्ट्रियल पैकेजिंग इंडिया सीमित		फरवरी 1987	16.75	-	0.97	17.72	57.07	-	-	57.07	3.22:1 (1.25:1)	3
क्षेत्रवार योग				16.75	-	0.97	17.72	57.07	-	-	57.07	3.22:1 (1.25:1)	3

(कॉलम 5 (क) से 6 (घ) में आंकड़े ₹ करोड़ में हैं)

क्रमांक	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	निगमीकरण का मास एवं वर्ष	प्रदत्त पूंजी ⁹				2011-12 के अन्त में बकाया ऋण ¹⁰				2011-12 हेतु ऋण इक्विटी अनुपात (विगत वर्ष)	मानवशक्ति (31.3.2012 तक)
				राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	(7)	(8)
विनिर्माण													
1.	हिमाचल वसंस्टिड मिल्ल्स सीमित	उद्योग	अक्टूबर 1974	-	-	0.92	0.92	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग				-	-	0.92	0.92	-	-	-	-	-	-
योग ग (सभी क्षेत्रवार अक्रियाशील सरकारी कम्पनियां)				16.75	-	1.89	18.64	57.07	-	-	57.07	3.06:1 (1.00:1)	3
सकल योग (क+ख+ग)				1415.59	19.03	1495.34	2929.96	809.74	-	2788.05	3597.79	1.23:1 (1.16:1)	37032

टिप्पणी: उपरोक्त क्रमांक क-10 व क-11 में दो भाग 619-ख कम्पनियां शामिल हैं।

9 प्रदत्त पूंजी में शेयर एप्लीकेशन राशि शामिल है।

10 2011-12 के अन्त में बकाया ऋण केवल दीर्घावधि ऋण को दर्शाते हैं।

परिशिष्ट 1.3

(संदर्भ परिच्छेद 1.10)

वर्ष के दौरान प्राप्त/प्राप्य अनुदान एवं उपदान, प्राप्त गारंटियां, देयताओं का अधित्याग, बट्टे खाते में डाले गए ऋणों तथा इक्विटी में परिवर्तित ऋणों और मार्च 2012 के अंत में गारंटी वचनबद्धता को दर्शाने वाली विवरणी

(कॉलम 3 (क) से 6 (घ) तक के आंकड़े ₹ करोड़ में हैं)

क्रमांक	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	वर्ष के दौरान बजट में से प्राप्त इक्विटी/ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान व उपदान				वर्ष के दौरान प्राप्त गारंटियां तथा वर्ष के अन्त में वचनबद्धता ¹¹		वर्ष के दौरान देयताओं का अधित्याग			
		इक्विटी	ऋण	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	योग	प्राप्त	वचनबद्धता	बट्टे खाते में डाली गई ऋण चुकोती	इक्विटी में परिवर्तित ऋण	अधित्याग किया गया ब्याज/दण्डस्वरूप ब्याज	योग
(1)	(2)	3 (क)	3 (ख)	4 (क)	4 (ख)	4 (ग)	4 (घ)	5 (क)	5 (ख)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)
क. क्रियाशील सरकारी कम्पनियां													
कृषि एवं समवर्गी													
1.	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित	-	-	5.44	21.77	-	27.21	5.00	-	-	-	-	-
2.	हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित	-	-	-	-	-	-	-	98.95	-	-	-	-
3.	हिमाचल प्रदेश कृषि औद्योगिक निगम सीमित	-	-	-	-	-	-	-	1.07	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		-	-	5.44	21.77	-	27.21	5.00	100.02	-	-	-	-
वित्त पोषण													
4.	हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	-	-	-	-	-	-	15.00	12.01	-	-	-	-
5.	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	1.14	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-
6.	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	0.50	-	-	0.01	-	0.01	18.00	13.13	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		1.64	-	-	0.02	-	0.02	33.00	25.14	-	-	-	-

(कॉलम 3 (क) से 6(घ) तक के आंकड़े ₹ करोड़ में हैं)

क्रमांक	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	वर्ष के दौरान बजट में से प्राप्त इक्विटी/ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान व उपदान				वर्ष के दौरान प्राप्त गारंटियां तथा वर्ष के अन्त में वचनबद्धता ¹¹		वर्ष के दौरान देयताओं का अधित्याग			
		इक्विटी	ऋण	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	योग	प्राप्त	वचनबद्धता	बूटे खाते में डाली गई ऋण चुकौती	इक्विटी में परिवर्तित ऋण	अधित्याग किया गया ब्याज/दण्ड स्वरूप ब्याज	योग
(1)	(2)	3 (क)	3 (ख)	4 (क)	4 (ख)	4(ग)	4(घ)	5 (क)	5 (ख)	6(क)	6(ख)	6(ग)	6(घ)
अवसंरचना													
7.	हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित	-	-	-	311.00	-	311.00	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		-	-	-	311.00	-	311.00	-	-	-	-	-	-
विद्युत													
8.	हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम सीमित	150.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित	-	-	19.10	148.37	-	167.47	1200.00	946.76	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		200.25	-	19.10	148.37	-	167.47	1200.00	946.76	-	-	-	-
खेवा													
11.	हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम सीमित	-	-	2.13	3.80	-	5.93	0.60	0.60	-	-	-	-
12.	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित	-	-	6.50	0.54	1.91	8.95	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		-	-	8.63	4.34	1.91	14.88	0.60	0.60	-	-	-	-
योग क (सभी क्षेत्रवार क्रियाशील सरकारी कम्पनियां)		201.89	-	33.17	495.50	1.91	530.58	1238.60	1072.52	-	-	-	-

2012 की प्रतिवेदन संख्या 4 (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम)

(कॉलम 3 (क) से 6 (घ) तक के आंकड़े ₹ करोड़ में हैं)

क्रमांक	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	वर्ष के दौरान बजट में से प्राप्त इक्विटी/ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान व उपदान				वर्ष के दौरान प्राप्त गारंटियां तथा वर्ष के अंत में वचनबद्धता ¹¹		वर्ष के दौरान देयताओं का अधित्याग			
		इक्विटी	ऋण	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	योग	प्राप्त	वचनबद्धता	बट्टे खाते में डाली गई ऋण चुकौती	इक्विटी में परिवर्तित ऋण	अधित्याग किया गया ब्याज/दण्ड स्वरूप ब्याज	योग
(1)	(2)	3 (क)	3 (ख)	4 (क)	4 (ख)	4 (ग)	4 (घ)	5 (क)	5 (ख)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)
ख. क्रियाशील सांविधिक निगम													
वित्त पोषण													
1.	हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम	-	-	-	-	-	-	-	77.35	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		-	-	-	-	-	-	-	77.35	-	-	-	-
खेवा													
2.	हिमाचल पथ परिवहन निगम	25.30	-	-	- ¹²	-	-	40.00	10.00	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग		25.30	-	-	- ¹²	-	-	40.00	10.00	-	-	-	-
योग ख (सभी क्षेत्रवार क्रियाशील सांविधिक निगम)		25.30	-	-	-	-	-	40.00	87.35	-	-	-	-
सकल योग (क+ख)		227.19	-	33.17	495.50	1.91	530.58	1278.60	1159.87	-	-	-	-

11 आंकड़े वर्ष के अंत तक बकाया कुल गारंटियों को इंगित करते हैं।

12 समाज के विभिन्न वर्गों के लिए प्रदान की गई निःशुल्क/रियायत सुविधाएं तथा घाटे के मार्गों पर बसें चलाने के सम्बन्ध में निगम द्वारा उठाई गई हानियों के अंतर को पूरा करने के लिए 2011-12 के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 90 करोड़ का उपदान जारी किया। इस प्रकार प्रदान किए गए उपदान को उपदान के बजाए यात्री आय के रूप में लिया गया है।

परिशिष्ट 1.4

(संदर्भ परिच्छेद 1.25)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, जिनके लेखे बकाया हैं, में राज्य सरकार द्वारा किये गये निवेश को दर्शाने वाली विवरणी

क्रमांक	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	वर्ष जब तक लेखों को अंतिम रूप दिया गया	नवीनतम अंतिम रूप प्राप्त लेखों के अनुसार प्रदत्त पूंजी	राज्य सरकार द्वारा उन वर्षों के दौरान किया गया निवेश, जिनके लेखे बकाया हैं			
				इक्विटी	ऋण	अनुदान/उपदान	अन्य
क्रियाशील कम्पनियाँ/निगम				₹ करोड़			
1	हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित	2010-11	38.76	-	-	31.77	5.44
2	हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित	2010-11	12.30	-	-	0.54	8.41
3	हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम	2009-10	5.75	0.30 (2010-11) 1.14 (2011-12)	-	0.01	-
4	हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	2009-10	5.95	1.00 (2010-11) 0.50 (2011-12)	-	0.01	-
5	हिमाचल प्रदेश विद्युत संचारण निगम सीमित	2010-11	116.70	50.00 (2011-12)	-	-	-
	योग:		179.46	52.94	-	32.33	13.85

परिशिष्ट 1.5

(संदर्भ परिच्छेद 1.15)

सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति दर्शाने वाली विवरणी

(₹ करोड़)

1 हिमाचल पथ परिवहन निगम				
	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12
क	दायिताएं			
	पूंजी (पूंजीगत ऋण एवं इक्विटी पूंजी सहित)	387.85	413.70	439.00
	उधार (सरकार)	-	-	-
	(अन्य)	114.71	59.63	62.26
	निधियां ¹³	25.41	9.60	8.91
	व्यापार देयताएं एवं अन्य चालू दायिताएं (प्रावधान सहित)	181.57	224.73	272.85
	योग-क	709.54	707.66	783.02
ख	परिसम्पत्तियां			
	सकल ब्लाक	234.05	240.15	254.56
	घटाएं: मूल्यहास	135.03	143.65	157.25
	निबल स्थायी परिसम्पत्तियां	99.02	96.50	97.31
	प्रगतिरत पूंजीगत कार्य (चैसिस लागत सहित)	1.77	1.55	0.42
	चालू परिसम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम	59.02	36.81	31.84
	संचित हानियां	549.73	572.80	653.45
	योग-ख	709.54	707.66	783.02
ग	नियोजित पूंजी ¹⁴	(-)21.76	(-)89.87	(-)143.28
2 हिमाचल प्रदेश वित्त निगम				
	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12
क	दायिताएं			
	प्रदत्त पूंजी (शेयर एप्लीकेशन राशि सहित)	99.57	99.57	99.57
	आरक्षित निधि एवं अन्य रिज़र्व तथा अधिशेष	4.97	4.97	4.97
	उधार:	-	-	-
	बॉण्ड एवं ऋणपत्र	89.58	89.53	77.35
	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	80.28	69.31	63.81
	अन्य (राज्य सरकार सहित)	12.76	10.09	7.32
	अन्य दायिताएं एवं प्रावधान	73.47	78.50	80.15
	योग-क	360.63	351.97	333.17

¹³ मूल्यहास निधियों के अतिरिक्त।

¹⁴ नियोजित पूंजी निबल स्थायी परिसम्पत्तियां (प्रगतिरत कार्यों सहित) जमा क्रियाशील पूंजी को दर्शाती है।

ख	परिसम्पत्तियां			
	रोकड़ एवं बैंक शेष	18.91	16.67	22.44
	निवेश	71.05	71.05	71.05
	ऋण एवं अग्रिम	165.21	143.36	118.14
	निबल स्थायी परिसम्पत्तियां	0.90	0.89	0.83
	लाभोपार्जन घटा लेखा	0.79	0.79	0.79
	अन्य परिसम्पत्तियां	0.93	1.73	1.02
	लाभ एवं हानि लेखा	102.84	117.48	118.90
	योग-ख	360.63	351.97	333.17
ग	नियोजित पूंजी ¹⁵	258.12	280.31	263.25

¹⁵ नियोजित पूंजी प्रदत्त पूंजी के अथशेष एवं अंत शेष के औसत, पूंजी के बदले ऋण, सीड मनी, ऋणपत्रों, रिजर्व (उनके अतिरिक्त जो विशेष रूप से निधिबद्ध हैं तथा बाह्य निवेश द्वारा समर्थित हैं), बॉण्ड, निक्षेप एवं उधार (पुनः वित्त पोषण के अतिरिक्त) को प्रस्तुत करती हैं।

परिशिष्ट 1.6

(संदर्भ परिच्छेद 1.15)

सांविधिक निगमों के कार्यचालन परिणामों को दर्शाने वाली विवरणी

(₹ करोड़)

1		हिमाचल पथ परिवहन निगम		
विवरण		2009-10	2010-11	2011-12
प्रचालन				
	(क) राजस्व	395.09	486.90	479.89
	(ख) व्यय	421.78	499.58	550.14
	(ग) अधिशेष(+)/घाटा(-)	(-)26.69	(-)12.68	(-)70.25
गैर-प्रचालन				
	(क) राजस्व	1.50	1.09	1.82
	(ख) व्यय	12.31	11.48	12.22
	(ग) अधिशेष(+)/घाटा(-)	(-)10.81	(-)10.39	(-)10.40
	(क) राजस्व	396.59	487.99	481.71
	(ख) व्यय	434.09	511.06	562.36
	(ग) निवल लाभ(+)/हानि(-)	(-)37.50	(-)23.07	(-)80.65
	पूंजी एवं ऋणों पर ब्याज	12.31	11.48	12.22
	नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल	(-)25.19	(-)11.59	(-)68.43
	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता	-	-	-
2		हिमाचल प्रदेश वित्त निगम		
विवरण		2009-10	2010-11	2011-12
1 आय				
	(क) ऋणों पर ब्याज	17.62	11.30	12.55
	(ख) अन्य आय	5.38	0.09	0.02
	योग-1	23.00	11.39	12.57
2 खर्चे				
	(क) दीर्घावधि एवं अल्पावधि ऋणों पर ब्याज	18.67	15.16	7.99
	(ख) अन्य खर्चे	5.12	6.01	4.77
	(ग) अनिष्पादित परिसम्पत्तियों हेतु प्रावधान	-	4.86	1.23
	योग-2	23.79	26.03	13.99

3	कर पूर्व(1-2)लाभ (+)/हानि(-)	(-)0.79	(-)14.64	(-)1.42
4	कर हेतु प्रावधान	-	-	
	कर पश्चात् (3-4)लाभ (+)/हानि(-)	(-)0.79	(-)14.64	(-)1.42
5	अन्य विनियोग (आयकर अधिनियम, 1961 के भाग 36(1)(viii) के प्रयोजनार्थ विशेष रिजर्व तथा सामान्य रिजर्व)	-	-	-
6	लाभांश हेतु उपलब्ध राशि	-	-	-
7	भुगतान किया गया/भुगतान योग्य लाभांश	-	-	-
8	नियोजित ¹⁶ पूंजी पर कुल प्रतिफल	17.88	0.52	6.57
9	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल की प्रतिशतता	6.93	0.19	2.50

¹⁶ नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल की गणना करने हेतु उधार निधियों पर ब्याज को लाभ एवं हानि लेखे में प्रकटीकरण के समय निवल लाभ में जमा किया जाता है/हानि से घटाया जाता है।

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ परिच्छेद 2.10.1)

2011-12 तक पांच वर्षों के दौरान आयोजित बोल्डेजवार क्षमता परिवर्धन, वास्तविक परिवर्धन तथा कमी को दर्शाने वाली विवरणी

क्रमांक (1)	विवरण (2)	2007-08 (3)	2008-09 (4)	2009-10 (5)	2010-11 (6)	2011-12 (7)
220 किलोवोल्ट उप-स्टेशन (संख्या)						
1	वर्ष के आरम्भ में	6	6	6	6	7
2	वर्ष में आयोजित परिवर्धन	-	-	-	-	1
3	वर्ष के दौरान वास्तविक परिवर्धन	-	-	-	1	-
4	वर्षान्त पर (1+3)	6	6	6	7	7
5	परिवर्धनों में कमी (2-3)	-	-	-	-	1
220 किलोवोल्ट ट्रांसफार्मर क्षमता (मेगा वोल्ट एम्पीयर)						
1	वर्ष के आरम्भ में	873	873	936	936	1136
2	वर्ष में आयोजित परिवर्धन/सम्बर्धन	-	83	31.5	200	374
3	वर्ष के दौरान वास्तविक परिवर्धन	-	63	-	200	31
4	वर्षान्त पर क्षमता (1+3)	873	936	936	1136	1167
5	परिवर्धन/सम्बर्धन में कमी (2-3)	-	20	31.5	-	343
220 किलोवोल्ट लाइनें (सर्किट किलोमीटर)						
1	वर्ष के आरम्भ में	422.490	422.490	422.490	422.490	450.059
2	वर्ष में आयोजित परिवर्धन	-	-	-	37.949	37.000
3	वर्ष के दौरान वास्तविक परिवर्धन	-	-	-	27.569	-
4	वर्षान्त पर (1+3)	422.490	422.490	422.490	450.059	450.059
5	परिवर्धनों में कमी (2-3)	-	-	-	10.380	37.000
132 किलोवोल्ट उप-स्टेशन (संख्या)						
1	वर्ष के आरम्भ में	26	27	27	28	28
2	वर्ष में आयोजित परिवर्धन	2	-	-	-	4
3	वर्ष के दौरान वास्तविक परिवर्धन	1	-	1	-	-
4	वर्षान्त पर (1+3)	27	27	28	28	28
5	परिवर्धनों में कमी (2-3)	1	-	-	-	4
132 किलोवोल्ट ट्रांसफार्मर क्षमता (मेगा वोल्ट एम्पीयर) (132/66)						
1	वर्ष के आरम्भ में	1489.0	1608.3	1705.5	1814.5	1830.0
2	वर्ष में आयोजित परिवर्धन/सम्बर्धन	132.1	97.2	140.5	31.0	451.5
3	वर्ष के दौरान वास्तविक परिवर्धन	119.3	97.2	109.0	15.5	-
4	वर्षान्त पर क्षमता (1+3)	1608.3	1705.5	1814.5	1830.0	1830.0
5	परिवर्धन/सम्बर्धन में कमी (2-3)	12.8	-	31.5	15.5	451.5
132 किलोवोल्ट लाइनें (सर्किट किलोमीटर)						
1	वर्ष के आरम्भ में	1763.960	1772.918	1776.487	1784.480	1784.480
2	वर्ष में आयोजित परिवर्धन	18.439	3.569	9.900	19.110	98.457
3	वर्ष के दौरान वास्तविक परिवर्धन	8.958	3.569	7.993	-	62.028
4	वर्षान्त पर (1+3)	1772.918	1776.487	1784.480	1784.480	1846.508
5	परिवर्धनों में कमी (2-3)	9.481	-	1.907	19.110	36.429

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भ परिच्छेद 2.11.3)

2007-08 से 2011-12 के दौरान विभिन्न अतिरिक्त उच्च वोल्टेज लाइनों तथा उप-स्टेशनों पर अधिक लागत व अधिक समय को दर्शाने वाली विवरणी

क्रमांक	स्कीम का नाम	संस्वीकृति मास	संस्वीकृत राशि (₹ करोड़)	पूर्णतया अवधि	लिया गया अधिक समय	व्यय	अधिक आई लागत	लाभ की क्षति	वर्तमान कार्य स्थिति	टिप्पणियां
				(महिनों में)	(करोड़ में)					
1	ऊहल से हमीरपुर डी/सी लाइन (50 सर्किट किलोमीटर) 132 डी/सी लाइन (16 सर्किट किलोमीटर) ऊहल से बस्सी का निर्माण	फरवरी 1991	14.04	54	28	23.30	9.26	-	अपूर्ण	लेखापरीक्षा ने पाया कि 2005 तथा फरवरी 2008 के दौरान ₹ करोड़ मूल्य की टॉवर सामग्री जुलाई 2006 तथा अप्रैल 2009 के मध्य प्राप्त हुई और निर्माण कार्य विभागीय रूप से छोटे ठेकेदारों के माध्यम से शुरू किया गया था (जनवरी 2010)। पूर्ण किए गए 52 प्रतिशत कार्य पर ₹22.30 करोड़ खर्च (मार्च 2012 तक) किया जा चुका था। कार्य निष्पादन में लगे 28 महिनों के अधिक समय के परिणामस्वरूप ₹ 9.26 करोड़ की लागत अधिक आई।
2	220/66 किलोवोल्ट, 2X80/100 उप स्टेशन, बद्दी तथा 220 किलोवोल्ट डी/सी लाइन उपरला नंगल-बद्दी का निर्माण	मई 2000	17.12	24	119	2.46		-	लाइन अर्जित नहीं की	दूसरी सर्किट कुनिहार-पंचकुला लाइन को एल0आई0एल0ओ0 मुहैया करवाने के लिए ₹ 2.46 करोड़ का व्यय करने के पश्चात् 5.439 सर्किट किलोमीटर 220 किलो वोल्ट लाइन का निर्माण पूर्ण किया गया (जनवरी 2005)। तथापि एच0वी0पी0एन0एल0 ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को इस आशंका से दूसरे सर्किट पर एल0आई0एल0ओ0 को अर्जित करने की अनुमति नहीं दी कि 220 किलो वोल्ट भावा-कुनिहार-पंचकुला लाइन अंतर्राज्यीय लाइन थी तथा बद्दी स्थित एल0आई0एल0ओ0 द्वारा अतिभारित होगी। लेखापरीक्षा ने पाया कि झगड़े को सुलझाने में असाधारण विलम्ब (86 महिने) के परिणामस्वरूप ₹ 2.46 करोड़ (फरवरी 2012 तक) का अवरोधन तथा महाने ₹ 1.92 करोड़ की ब्याज हानि हुई।
3	खोदरी से माजरी 35.020 सर्किट किलोमीटर विद्यमान 220 किलो वोल्ट सिंगल सर्किट लाइन पर दूसरा सर्किट मुहैया करवाना	नवम्बर 1988	1.90	24	256	9.79	7.89	-	अपूर्ण	दूसरे सर्किट (टॉवर संख्या 59 से 106- गोंदपुर से गिरि) की स्थापना ₹ 2.71 करोड़ की लागत से पूर्ण (1991-92) की गई और उसका शेष भाग सामग्री बाधाओं के कारण पूर्ण नहीं किया जा सका। शेष कार्य दोनों किनारों पर टर्मिनल उपकरण सहित 1998-99 में शुरू किया गया तथा ₹ 9.79 करोड़ का व्यय (नवम्बर 2011 तक) किया जा चुका था। पहले से प्राप्त किए गए टर्मिनल उपकरण/रिले पैनल (₹0.15 करोड़) खोदरी किनारे समय तथा स्थान बाधाओं के बीतने के कारण अनुपयुक्त पाए गए, इसलिए कॉम्पैक्ट साईज के डिजिटल टाईप कन्ट्रोल रिले पैनलों के ₹ 0.10 करोड़ के आपूर्ति आदेश दिए गए (जून 2010)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि फर्म ने उनको जांचने/चालू करने हेतु अभियन्ताओं को तैनात नहीं किया। इसीलिए दूसरा सर्किट मार्च 2012 तक चालू नहीं किया जा सका। इसके परिणामस्वरूप अकुशल तथा अवास्तविकता योजना के कारण 256 महिनों तक 35.2 सर्किट किलोमीटर लक्ष्य की प्राप्ति न होने के अतिरिक्त ₹ 7.89 करोड़ की अधिक लागत आई और ₹ 9.79 करोड़ की निधियों का अवरोधन हुआ।

2012 की प्रतिवेदन संख्या 4 (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम)

4	नालागढ़ से कुनिहार (34.000 सर्किट किलोमीटर) 400 किलो वोल्ट लाइन तथा 400/220 किलो वोल्ट, 2 X315 मेगा वोल्ट एम्पीयर उप-स्टेशन, कुनिहार स्थित का निर्माण	नवम्बर 1996	67.82 150.29 (संशोधित)	78	106		82.47	972.53	अपूर्ण	स्कीम का परियोजना प्रतिवेदन जुलाई 2000 में अर्थात् स्कीम की संस्वीकृति के 44 महीने पश्चात् तैयार किया गया। स्कीम के सम्बद्ध कार्यों पर 2003-04 तक ₹ 7.75 करोड़ का प्रयोज्यता व्यय किया गया। हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने प्रयोज्यता द्वारा इसकी आवश्यकता हेतु विनियामक युक्तियुक्त औचित्य को प्रस्तुत न करने के कारण शक्ति निष्क्रमण पर रोक लगा दी (जुलाई 2004)। रोक हटा दी गई (अप्रैल 2010), संशोधित स्कीम बनाई गई (अगस्त 2010) तथा 2012-13 के दौरान पूर्ण किए जाने हेतु ₹ 150.29 करोड़ में अनुमोदित (जनवरी 2012) की गई। अतः ₹ 972.53 करोड़ के लाभों की हानि और ₹ 7.75 करोड़ की निधियों के अवरोधन पर ₹ 6.73 करोड़ के ब्याज की हानि के अतिरिक्त अधिक समय व लागत क्रमशः 106 महीने तथा ₹ 82.47 करोड़ थी।
5(क)	पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन इण्डिया लिमिटेड उप स्टेशन नांगल से नालागढ़ (5.000 सर्किट किलोमीटर) 220 किलोवोल्ट डबल सर्किट लाइन का निर्माण	मार्च 2007	67.34	24	12	18.64	-	-	-	“विद्यमान 66 किलो वोल्ट उप-स्टेशन को जोड़ने वाली 66 किलो वोल्ट डबल सर्किट सहित 400/220 किलो वोल्ट पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन इण्डिया लिमिटेड उप-स्टेशन नालागढ़ से 220 किलोवोल्ट डबल सर्किट लाइन तथा प्रस्तावित 220/66 किलो वोल्ट नालागढ़ उप-स्टेशन के निर्माण की स्कीम ₹ 67.34 करोड़ हेतु अनुमोदित (मार्च 2007) की गई जिसे ग्रामीण विद्युतिकरण निगम से ऋण की संस्वीकृति पश्चात् (जुलाई 2007) 24 महीनों के भीतर अर्थात् जुलाई 2009 तक पूर्ण किया जाना था। स्कीम में प्रति वर्ष 6214.252 एल0यू0 की अतिरिक्त ऊर्जा की बिक्री परिकल्पित थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि उप-स्टेशन का पहला पॉवर ट्रांसफार्मर जुलाई 2010 के दौरान अर्थात् अनुबद्ध पूर्णता निर्धारित समय से 12 महीनों के पश्चात् अर्जित किया गया। इसके परिणामस्वरूप समय अधिक (12 महीने) लिया गया।
5(ख)	पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन इण्डिया लिमिटेड उप-स्टेशन, नालागढ़ से उपरला नांगल 220 किलोवोल्ट डबल सर्किट लाइन का निर्माण	मार्च 2007	67.34	24	13			36.04	-	टर्न की आधार पर 16 महीनों की पूर्णता अवधि (जून 2010) के साथ ₹ 34.83 करोड़ के उप-स्टेशन के निर्माण का अधिनिर्णय लिया गया (फरवरी 2009)। दोनों लाइनों के निर्माण कार्य ₹ 7.48 करोड़ में सौंपा गया (सितम्बर 2009) जिसे 4 महीने के भीतर पूर्ण किया जाना था (जनवरी 2010)। 220 किलोमीटर लाइन का पहला सर्किट जून 2010 के दौरान निर्मित किया गया तथा उप-स्टेशन का पहला ट्रांसफार्मर जुलाई 2010 के दौरान चालू किया गया। उप-स्टेशन तथा लाइनों के मध्य अधिनिर्णय अवस्था पर बेमेल पांच महीनों के कारण लक्ष्यावधि 13 महीने तक (लाइनों तथा उप-स्टेशन में क्रमशः 12 महीने व 13 महीने) आगे बढ़ गई, परिणामतः अकुशल योजना एवं प्रबन्धन के कारण 200 मेगा वोल्ट एम्पीयर की अतिरिक्त क्षमता में विलम्ब, ₹ 36.04 करोड़ के परिकल्पित लाभों का अनुद्ग्रहण और ₹ 32.25 लाख की ब्याज हानि हुई।

6	विद्यमान 132 किलोवोल्ट सिंगल सर्किट 8.620 सर्किट किलोमीटर विद्यमान 132 किलोवोल्ट सोलन-गिरि ट्रांसमिशन लाइन का गौड़ा-एल0आई0एल0 ओ0 स्थित 16 मेगावोल्ट एम्पीयर (अनमैन्ड मोड 132/11 किलोवाट उप-स्टेशन निर्माण)	अगस्त 2010	14.21	9	10	12.54	-	अपूर्ण	हिमाचल राज्य विद्युत बोर्ड सीमित द्वारा 9 महीने के भीतर अर्थात् मई 2011 तक पूर्ण किए जाने के लिए टर्न की आधार पर ₹ 8.17 करोड़ में उप-स्टेशन (आपूर्ति एवं निर्माण) का निर्माण कार्य सौंपा गया (अगस्त 2010)। परिवहन बाधाओं के कारण ठेकेदार निर्माण कार्य बहाल नहीं कर पाया जिसके कारण हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित ने परिवहन बाधाएं दूर करने तथा मैन्ड मोड से उप-स्टेशन का निर्माण करने पर 3X 5.33 मेगा वोल्ट एम्पीयर सिंगल फेज ट्रांसफार्मरों के साथ 1X 16 मेगा वोल्ट एम्पीयर ट्रांसफार्मर बदलने के अतिरिक्त अधिनिर्णय रद्द करने का निर्णय लिया (अगस्त 2011)। करारनामा/निष्पादन गारण्टी कार्यान्वित न करने के कारण ठेकेदार के प्रति युटिलिटी कोई कार्रवाई नहीं कर सकी। पुनर्निविदा समझौते के पश्चात् (जनवरी 2012) ₹12.54 करोड़ की न्यूनतम दरें प्राप्त हुई (अधिनिर्णय फरवरी 2012) जो ₹3.36 करोड़ (ट्रांसफार्मर लागत समायोजन पश्चात्) तक उच्चतर थी। शुरू के ठेकेदार के साथ निष्पादन गारंटी/करारनामा को कार्यान्वित न करने के परिणामस्वरूप न केवल ₹ 3.36 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ अपितु 16 मेगा वोल्ट एम्पीयर की परिवर्धन क्षमता भी 10 महीनों तक (मार्च 2012 तक) टल गई।
7.	132/33/11 किलो वोल्ट 2X 16 मेगावोल्ट एम्पीयर उप-स्टेशन गगरेट तथा अम्ब से गगरेट 132 किलोवोल्ट, सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन+ 500 सर्किट किलोमीटर का निर्माण	दिसम्बर 2006	95.97	12	28	1.39	8.51	अपूर्ण	12 महीनों (अर्थात् दिसम्बर 2007) की पूर्णता अवधि में ₹8.60 करोड़ की सहमत राशि हेतु टर्न की आधार पर 132/33/11 किलोवोल्ट उप-स्टेशन, गगरेट के निर्माण का अधिनिर्णय लिया गया (दिसम्बर 2006)। इसे 28 महीनों के विलम्ब के पश्चात् दिसम्बर 2009 के दौरान चालू किया गया (एस0सी0ए0डी0ए0 प्रणाली के विलम्ब से लगाने के कारण जिसे अगस्त 2011 के दौरान ओ0पी0जी0डब्ल्यू प्रणाली के माध्यम से प्रचालन योग्य बनाया जा सकता था) निरसन के पश्चात् विभागीय रूप से ₹1.39 करोड़ के व्यय से करवाए गए कार्य से लाइन को जून 2009 के दौरान चालू किया गया। इसके परिणामस्वरूप उप-स्टेशन तथा लाइन को चालू करने की अवधि के मध्य बेमेल 6 महीनों हेतु (जुलाई 2009 से दिसम्बर 2009) ₹1.39 करोड़ के अवरोधन पर ₹ 0.08 करोड़ की ब्याज हानि तथा ₹8.51 करोड़ के परिकल्पित लाभ की हानि के अतिरिक्त 24 महीनों तक 32 मेगा वोल्ट एम्पीयर की नयी परिवर्तित क्षमता का लक्ष्य टल गया।
8	220 किलोवोल्ट डबल सर्किट लाइन जमता (सोलन-गिरि लाइन का टावर-61) से दीवानी-कला अम्ब	जनवरी 2009	-	-	-	-	14.19	अपूर्ण	वन अनुमति प्राप्त न होने के कारण कम्पनी ₹14.19 करोड़ (473055768 यूनिट X ₹0.30/यूनिट) का परिकल्पित लाभ प्राप्त नहीं कर सकी।

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भ परिच्छेद 2.16.1)

उपभोक्ताओं से लागतांश की अवसूली का ब्योरा दर्शाने वाली विवरणी

क्रमांक	उपभोक्ता का नाम	कार्य का नाम	वसूली योग्य	वसूल की गई	शेष बकाया
			राशि	राशि	
			(₹ करोड़)		
1.	निदेशक उद्योग हिमाचल प्रदेश सरकार	विद्यमान 220/132/33 किलोवोल्ट उप-स्टेशन जसूर स्थित ट्रांसफार्मर 31.5 मेगावोल्ट एम्पीयर का परिवर्धन	1.78	--	1.78
2.	मैसर्ज जे0पी0 एसोसिएट्स, बग्गा	बग्गा स्थित स्विचिंग उप-स्टेशन सहित 132 किलो वोल्ट डबल सर्किट कांगू-बग्गा लाइन का सर्किट-I का एल0आई0एल0ओ0 132 किलो वोल्ट कांगू-कुनिहार लाइन	6.03	--	6.03
3.	आई0पी0पी0 (मैसर्ज ब्रह्मगंगा तथा एम0एस0 टैस)	मलाना एच0ई0पी0 के 132 किलो वोल्ट उप-स्टेशन के निकट 33/132, 1X16 मेगा वोल्ट एम्पीयर ट्रांसफार्मर के अधिष्ठापन के माध्यम से लघु एच0ई0पी0-ब्रह्मगंगा (5 मेगा वॉट) तथा टैस (10-मेगावॉट) द्वारा अर्जित विद्युत का निष्क्रमण	1.40	--	1.40
4.	मैसर्ज अम्बुजा सीमेंट लिमिटेड दाड़लाघाटा	मैसर्ज अम्बुजा सीमेंट लिमिटेड को संयोजित विद्युत हेतु 220 किलोवोल्ट द्वितीय सर्किट कांगू-रौड़ी लाइन	4.31	--	4.31
5.	मैसर्ज ल्यूमिनियस पावर टेक्नोलॉजी लिमिटेड, गगरेट	132/33/11 किलोवोल्ट उप-स्टेशन, गगरेट	0.86	0.24	0.62
6.	मैसर्ज ल्यूमिनियस टेली इनफ्रा लिमिटेड गगरेट	132/33/11 किलोवोल्ट उप-स्टेशन, गगरेट	0.57	0.08	0.49
7.	मैसर्ज निकॉन फेरो कैमिकल, अम्ब	132/33 किलोवोल्ट उप-स्टेशन, अम्ब	0.66	0.27	0.39
8.	मैसर्ज अरविंद कार्स्टिंग प्राईवेट लिमिटेड ऊना	132 किलोवोल्ट उप-स्टेशन, रक्कड़	0.41	0.25	0.16
	मैसर्ज हिम एलॉय एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड अम्ब	132/33/11 किलोवोल्ट उप-स्टेशन, अम्ब (प्रथम संयोजन)	0.34	0.02	0.32
9.	-तदैव-	द्वितीय संयोजन	0.55	0.38	0.17
10.	मैसर्ज केस्ट स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, अम्ब	132/33/11 किलोवोल्ट उप-स्टेशन, अम्ब	0.90	0.40	0.50
11.	मैसर्ज गौरी एण्टरप्राईजिज, अम्ब	132/33/11 किलोवोल्ट उप-स्टेशन, अम्ब	0.04	0.02	0.02
12.	मैसर्ज एम0एम0फेरो कैमिकल (प्राईवेट) लिमिटेड, अम्ब	132/33/11 किलोवोल्ट उप-स्टेशन, अम्ब	0.21	0.20	0.01
	योग		18.98	1.86	17.12

(स्रोत: प्रबन्धन को समय-समय पर जारी लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन)

परिशिष्ट 4.1

(संदर्भ परिच्छेद 4.12.3)

विभागवार बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं परिच्छेदों को दर्शाने वाली विवरणी

क्रमांक	विभाग का नाम	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया परिच्छेदों की संख्या	वर्ष जिससे बकाया है
1	बागवानी	3	11	71	2005-06
2	उद्योग	5	17	61	2005-06
3	वन	1	5	61	2005-06
4	लोक निर्माण	1	4	21	2008-09
5	कल्याण	3	6	20	2007-08
6	खाद्य एवं आपूर्ति	1	1	8	2010-11
7	पर्यटन एवं नागरिक विमानन	1	12	36	2007-08
8	बहुउद्देशीय परियोजना एवं विद्युत	4	823	3349	2005-06
9	परिवहन	1	108	492	2005-06
10	सूचना प्रौद्योगिकी	1	2	3	2009-10
	योग	21	989	4,122	

परिशिष्ट 4.2

(संदर्भ परिच्छेद 4.12.3)

विभागवार प्रारूप परिच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों, जिनके उत्तर प्रतीक्षित हैं, को दर्शाने वाली विवरणी

क्रमांक	विभाग का नाम	प्रारूप परिच्छेदों की संख्या	निष्पादन लेखापरीक्षा की संख्या	जारी करने की अवधि
1	बहुउद्देशीय परियोजना एवं विद्युत	5	1	अप्रैल, जुलाई तथा सितम्बर 2012
2	उद्योग	4		अप्रैल, मई तथा जुलाई 2012
	योग	9	1	